



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2020 की प्रतिवेदन सं. 11

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2020 की प्रतिवेदन सं. 11

.....को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
मुख्य बातें	iii-xii
अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन	1-16
i. संघ सरकार के संसाधन	1
ii. प्रत्यक्ष करों का स्वरूप	1-5
iii. सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व	5
iv. प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग	5-6
v. प्रत्यक्ष करों में वृद्धि	6-11
vi. कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव	11-12
vii. बकाया मांग	12-13
viii. अपील मामलों के निपटान	13-14
ix. तलाशी एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण	14-15
x. आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता	15-16
अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव	17-39
i. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार	17
ii. प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता	17-21
iii. निगम कर और आय कर निर्धारण मामलों के संबंध में सतत् और व्यापक अनियमितताएं	21-27
iv. लेखापरीक्षा उत्पाद और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	28-30
v. लेखापरीक्षा प्रभाव	31-32
vi. कालबाधित मामले	33
vii. बेमेल टीडीएस	33-38
viii. अभिलेखों का उपलब्ध न करना	38-39
अध्याय III: निगम कर	41-66
i. प्रस्तावना	41-42
ii. निर्धारणों की गुणवत्ता	42-50
iii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	50-58
iv. त्रुटियों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय	58-65
v. कर/ब्याज का अधिप्रभार	65-66

अध्याय IV: आय कर	67-81
i. प्रस्तावना	67-68
ii. निर्धारणों की गुणवत्ता	68-72
iii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	72-77
iv. त्रुटियों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय	77-81
अध्याय V: अधिनियम की धाराएँ 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज	83-119
i. प्रस्तावना	83
ii. हमने यह विषय क्यों चुना	83-84
iii. लेखापरीक्षा उद्देश्य	84
iv. कानूनी ढांचा	84-85
v. लेखापरीक्षा आवृत्त क्षेत्र	85
vi. नमूना आकार	85
vii. अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण	86
viii. लेखापरीक्षा परिणाम	86-116
ix. निष्कर्ष	117-118
x. सिफारिशें	118-119
अध्याय 6: पेनी स्टॉक पर दीर्घावधि पूंजी लाभ	121-131
i. प्रस्तावना	121
ii. पृष्ठभूमि	122
iii. कार्यप्रणाली सार	122-123
iv. लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	123
v. लेखापरीक्षा उद्देश्य	123
vi. लेखापरीक्षा परिणाम	123-130
vii. निष्कर्ष	130-131
परिशिष्ट	133-141
संकेताक्षर	142-143

प्राक्कथन

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष करों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो 2018-19 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वो मामले भी, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; जहाँ आवश्यक समझा गया, वहाँ 2018-19 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, शामिल किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

मुख्य बातें

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ सरकार की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष कर प्रशासन से संबंधित सभी पहलुओं पर यथा लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा सम्बद्ध नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों आदि के अनुपालन की प्राथमिक रूप से चर्चा की गई है। इस प्रतिवेदन में छह अध्याय सम्मिलित हैं जिनकी मुख्य बातों की चर्चा नीचे की गई है:

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2018-19 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 11,37,718 करोड़ थीं, जिसमें वि.व. 2017-18 (₹ 10,02,738 करोड़) की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष कर वि.व. 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.0 प्रतिशत था। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का भाग वि.व. 2017-18 में 52.2 प्रतिशत से बढ़कर वि.व. 2018-19 में 54.7 प्रतिशत हो गया।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटकों में से, निगम कर से संग्रहण वि.व. 2017-18 में ₹ 5.71 लाख करोड़ से 16.2 प्रतिशत बढ़कर वि.व. 2018-19 में ₹ 6.64 लाख करोड़ हो गया। आयकर से संग्रहण वि.व. 2017-18 में ₹ 4.08 लाख करोड़ से 13.1 प्रतिशत बढ़कर वि.व. 2018-19 में ₹ 4.62 लाख करोड़ हो गया। निर्धारितियों द्वारा स्वैच्छिक अनुपालना (निर्धारण-पूर्व चरण) से वि.व. 2018-19 में निगम और आयकर के कुल संग्रहणों का 82.6 प्रतिशत संग्रहित किया गया था।

गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व. 2017-18 में 5.38 करोड़ से बढ़कर वि.व. 2018-19 में 6.20 करोड़ हो गई। निगमित निर्धारितियों की संख्या 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व. 2017-18 में 7.99 लाख से बढ़कर वि.व. 2018-19 में 8.46 लाख हो गई।

विगत तीन वित्तीय वर्षों में निगम कर के प्रथम तिमाही से संग्रहण के अतिरिक्त कुल प्रतिदाय की राशि का 40 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले वर्षों के संग्रहण में से इन वित्तीय वर्षों की पहली तिमाहियों में ही प्रतिदाय कर दिया गया।

बकाया मांग वि.व. 2017-18 में ₹ 11.1 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2018-19 में ₹ 12.3 लाख करोड़ हो गई। जबकि मुश्किल से वसूली जाने वाली मांग में वृद्धि के कारण निवल संग्रहण योग्य मांग वि.व. 2017-18 में ₹ 20,159 करोड़ की तुलना में वि.व. 2018-19 में ₹ 14,593 करोड़ तक घट गई। विभाग ने दर्शाया कि 98.8 प्रतिशत से अधिक की असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल है।

सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलों की संख्या वि.व. 2017-18 में 3.0 लाख से बढ़कर वि.व. 2018-19 में 3.4 लाख हो गई। इन मामलों में अवरुद्ध राशि वि.व. 2018-19 में 5.6 लाख करोड़ थी। उच्च स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) में लंबित कुल मामले वि.व. 2017-18 में 0.82 लाख से बढ़कर वि.व. 2018-19 में 1.35 लाख हो गए।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

वि.व. 2017-18 के दौरान आयकर विभाग (आईटीडी) ने वि.व. 2018-19 की लेखापरीक्षा योजना के अनुसार लेखापरीक्षित की गई इकाईयों में 2.99 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किये थे, जिसमें से हमने 2.72 लाख मामलों की जांच की। इसके अतिरिक्त, वि.व. 2018-19 के दौरान पूर्व वित्तीय वर्षों में पूरे किये गये 1.59 लाख संवीक्षा निर्धारण में से हमने 0.60 लाख मामलों की भी लेखापरीक्षा की। वि.व. 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किये गये निर्धारणों में विगत वर्ष 6.45 प्रतिशत के प्रति इस वर्ष 5.95 प्रतिशत (19,768 मामले) में त्रुटियाँ देखी गई थी।

विगत वर्षों में निगम कर और आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में सतत् और व्यापक अनियमितताएं रही हैं। पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बार-बार इंगित करने के बावजूद ऐसी अनियमितताएं बार-बार होना, विभाग में संरचनात्मक कमजोरी के साथ-साथ इनमें सुधार के लिए आवश्यक सस्थांगत तंत्र की कमी की ओर इशारा करती हैं। ऐसी अनियमितताएं विशेषतः महाराष्ट्र के निर्धारण प्रभारों में देखी गई थीं।

हमने इस रिपोर्ट के अध्याय III और IV में मंत्रालय को सूचित किये गये 393 उच्च मूल्य के मामले शामिल किये हैं। इनमें से, 30 जून 2020, तक हमने 190 मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त किये, जिनमें से 174 मामले (91.5 प्रतिशत) स्वीकार किये गये थे और 16 मामले स्वीकृत नहीं किये गये थे। शेष 203 मामलों में मंत्रालय/आयकर विभाग ने उत्तर नहीं दिया। इसके अलावा, अध्याय V में अधिनियम की धाराओं '234ए, 234बी, 234सी और

244ए के अधीन ब्याज' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की हमारी रिपोर्ट को शामिल किया गया है। अध्याय बताता है कि ब्याज की गलत गणना या तो निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) में प्रणालीगत कमियों के कारण या निर्धारण अधिकारियों (ए.ओ.) द्वारा गलत हस्तक्षेप/गणना के कारण हुई थी। एएसटी में मैनुअल हस्तक्षेप की सुविधा की उपलब्धता का दुरुपयोग निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिक राशि पर ब्याज को संशोधित करके किया गया था जिसके कारण निर्धारिती का प्रतिदाय अवरूद्ध हो गया था। ब्याज की गणना के संबंध में प्रणाली की कमी अभी भी नए एप्लीकेशन अर्थात् “इन्कम टैक्स बिज़नेस एप्लीकेशन” में बनी हुई है। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट के अध्याय VI में एक दीर्घ ड्राफ्ट पैराग्राफ अर्थात् “पेनी स्टॉक्स पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ” अलग से शामिल किया गया है।

विगत तीन वर्षों में आयकर विभाग ने निर्धारणों में उन त्रुटियों, जिन्हें हमारे द्वारा उठाया गया था, को सुधारने के लिए की गई मांगों से ₹ 657.94 करोड़ वसूल किए थे। 53,117 ऐसे मामले हैं जिनमें ₹ 1.20 लाख करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल हैं, जिनका आयकर विभाग से उत्तर के अभाव में 31 मार्च 2019 तक निपटान नहीं हुआ था।

वि.व. 2018-19 के दौरान ₹ 2,237.05 करोड़ के कर प्रभाव वाले 1,961 मामले किसी सुधारात्मक कार्रवाई किये जाने के लिए समय बाधित हो गये।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, 82 प्रतिशत से अधिक व्यक्तिगत करदाता, फार्म 26एएस में उपलब्ध राशि और करदाताओं द्वारा आईटीआर में दावा की गई राशि में कारण बेमेल टीडीएस की समस्या का सामना कर रहे हैं जिसमें बहुसंख्यक वेतन भोगी करदाता हैं।

टीडीएस राशि के बेमेल होने के संभावित कारण हो सकते हैं - कटौतीकर्ता ने समय पर टीडीएस जमा नहीं किया, समय पर तिमाही टीडीएस रिटर्न फाईल नहीं की, टीडीएस रिटर्न में दर्ज गलत राशि, गलत पैर उद्धृत करना, आईटीआर में कटौतीकर्ता का गलत रूप से दर्ज टेन, निर्धारण वर्ष के चयन में त्रुटि। इसके परिणामस्वरूप, आयकर विभाग ने टीडीएस के लिए क्रेडिट नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप या तो मांग बढ़ गई या आयकर विभाग द्वारा प्रतिदाय जारी नहीं किया गया, जिससे निर्धारितियों, विशेष रूप से व्यक्तिगत निर्धारितियों का उत्पीड़न हुआ।

बेमेल टीडीएस के कारण, उनके समाधान की स्थिति, समाधान का तरीका, विभाग के प्रयास, साथ ही साथ आयकर विभाग द्वारा साझा की गई

जानकारी की सत्यता और पूर्णता आदि की जांच करने के लिए हमने लेखापरीक्षा करने का प्रयास किया।

लेकिन, हम लेखापरीक्षा नहीं कर सके क्योंकि निर्धारण रिकॉर्ड क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उन्हें निर्धारण वर्ष के दो वर्षों के बाद भी सीपीसी-बेंगलुरु द्वारा आगे नहीं भेजा गया था।

लेखापरीक्षा को पूरा करने के लिए संगत जानकारी प्रस्तुत करने में विभाग की अक्षमता ने सीएजी को अपने संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने से रोक दिया।

आयकर विभाग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि क्या यह बेमेलता आईटी प्रणाली के कारण थी या सही रिटर्न/जानकारी प्रस्तुत करने में कटौतीकर्ता की विफलता के कारण थी। कटौतीकर्ताओं की विफलता के मामले में, आयकर विभाग द्वारा अधिनियम के तहत दोषी कटौतीकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। यह भी अभिनिश्चित करना आवश्यक है कि कितने मामलों में आयकर विभाग द्वारा बेमेलता की वजह से करदाताओं से मांग की गई, जिसके कारण करदाता को परेशानी हुई। आयकर विभाग को बेमेलता की जांच कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस व्यक्ति पर कोई कर नहीं लगाया जाये जिसे कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय III: निगम कर

हमने ₹ 8,210.43 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर से संबंधित 316 उच्च मूल्य के मामले इंगित किये। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है जैसे-

- (क) निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 1,477.60 करोड़ (51 मामले) का कर प्रभाव शामिल है;
- (ख) कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 5,456.76 करोड़ (176 मामले) का कर प्रभाव शामिल है;
- (ग) त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गई आय जिसमें ₹ 1,043.41 करोड़ (77 मामले) का कर प्रभाव शामिल है और
- (घ) कर/ब्याज का अधिक प्रभार जिसमें ₹ 232.66 करोड़ (12 मामले) शामिल है।

अध्याय IV: आयकर

हमने ₹ 170.36 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर के 77 उच्च मूल्य के मामले इंगित किये। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है जैसे-

- (क) निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 19.05 करोड़ (29 मामले) का कर प्रभाव शामिल है;
- (ख) कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 121.72 करोड़ (30 मामले) का कर प्रभाव शामिल है;
- (ग) त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गई आय जिसमें ₹ 26.27 करोड़ (17 मामले) का कर प्रभाव शामिल है और
- (घ) कर/ब्याज का अधिक प्रभार जिसमें ₹ 3.32 करोड़ (एक मामला) शामिल है।

निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियां कीं। आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियों वाले गलत निर्धारणों के मामले केलकुलेटर और कम्प्यूटर के समय में मात्र त्रुटियों के रूप में स्वीकार किए जाने कठिन हैं। इसके अतिरिक्त कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना, ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां, अधिक अथवा अनियमित प्रतिदाय आदि या तो अक्षमता अथवा की ओर संकेत करती है या बदनियती की ओर और साथ ही आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रणों में कमियों की ओर, जिसे सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा संवीक्षा निर्धारण पद्धति अपारदर्शी है।

जबकि मंत्रालय ने इन मामलों में सुधार करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की है, यह उल्लेख किया जाता है कि ये मात्र कुछेक निदर्शी मामले हैं। समस्त निर्धारणों के पूरे यूनीवर्स में, गैर-संवीक्षा निर्धारणों सहित, कई और मामलों में ऐसी त्रुटियां होने या किए जाने की पूरी संभावना है। सीबीडीटी को न केवल अपने निर्धारणों की पुनः जांच करने की आवश्यकता है बल्कि इस प्रकार की त्रुटियों को समाप्त करने के लिए एक त्रुटिरहित आईटी सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी रखने की आवश्यकता है।

त्रुटियों की पुनरावृत्ति के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग को ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारी कदम उठाने चाहिए।

यह सुझाव दिया जाता है कि सीबीडीटी जांच करें कि क्या पाई गई 'त्रुटियों' के दृष्टांत भूल के या जानबूझ कर किए गये हैं और यदि ये जानबूझ कर की गई त्रुटियां हैं, तो आयकर विभाग को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय V: अधिनियम की धारा 234ए, 234बी, 234सी और 244ए के अधीन ब्याज

हमने 6,217 निर्धारण मामलों जिन्हें एएसटी मॉड्यूल/ प्रणाली के माध्यम से संसाधित/पूरा किया गया था, की लेखापरीक्षा की और ब्याज की शुद्धता की, जिसकी प्रणाली के माध्यम से गणना की गई थी और आयकर अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी, 234सी और 244ए के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधित किया गया था, की जांच की। हमने पाया कि ब्याज की गणना 70.51 प्रतिशत मामलों में एएसटी प्रणाली के माध्यम से गलत तरीके से की गई थी। ब्याज की गलत राशि की गणना गलत की गई थी। बावजूद इसके कि इस प्रणाली को, अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत ब्याज की गणना के निर्धारण कार्यों के लिए बनाया गया था।

लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं:

- क) प्रणालीगत कमियों के कारण अथवा निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत हस्तक्षेप के कारण 8,35,727 अभिलेखों की संख्या में से चयनित 6,217 के नमूनों के मामलों के 76.68 प्रतिशत¹ में आईटीडी द्वारा ब्याज को गलत रूप से परिकलित किया गया था।
- ख) अन्य आईटीडी मॉड्यूल के इनपुट को एएसटी प्रणाली में उचित रूप से कैप्चर नहीं किया जा रहा था इसके परिणामस्वरूप काफी मामलों में ब्याज का गलत परिकलन हुआ जिससे अंतिम कर संग्रहण तथा प्रतिदाय पर प्रभाव पड़ा।
- ग) निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अन्तर्गत प्रणाली के माध्यम से परिकलित गलत ब्याज को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, भले ही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्याज के मूल्य को संशोधित करने के लिए निर्धारण अधिकारी को एएसटी प्रणाली ने अनुमत किया, जिसके

¹ 6,217 निर्धारण मामलों में से 4,767 निर्धारण मामले जिन्हें लेखापरीक्षित किया गया था।

परिणामस्वरूप या तो कम उदग्रहण/भुगतान हुआ अथवा ब्याज का अधिक उदग्रहण/भुगतान हुआ।

- घ) निर्धारण अधिकारी ने कुछ मामलों में प्रणाली के माध्यम से परिकलित गलत ब्याज को अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के तहत संशोधित किया। तथापि इन सभी मामलों को सही राशि पर संशोधित नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज का या तो कम उदग्रहण/भुगतान अथवा अधिक उदग्रहण/भुगतान हुआ।
- ङ) जहां ब्याज की सही राशि को प्रणाली के माध्यम से परिकलित किया गया था वहाँ निर्धारण अधिकारी ने ब्याज राशि को मैनुअल रूप से संशोधित किया, जो कि उचित नहीं था, इसके परिणामस्वरूप ब्याज का या तो कम उदग्रहण/भुगतान अथवा अधिक उदग्रहण/भुगतान हुआ जिसके कारण करदाता को कठिनाई तथा उत्पीड़न हुआ।

यह स्पष्ट नहीं है, कि मानवीय रूप से संशोधन को क्यों अनुमत किया गया है, यदि अपवादात्मक मामलों में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो वह भी स्पष्ट रूप से वरिष्ठ स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के प्रोटोकॉल के बिना। वास्तव में यदि प्रत्येक स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है या उसे जारी रखा जाता है तो यह या तो खराब आईटी सिस्टम की ओर अथवा विवेकाधिकार बनाए रखने के लिए बिना स्पष्ट कारण के जानबूझकर प्रयास की ओर इंगित करता है।

- च) एसटी की संशोधन विशेषता का प्रयोग करते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज के गलत उदग्रहण (अधिक उदग्रहण) परिणामस्वरूप न केवल निर्धारिती को देय प्रतिदाय को अवरूद्ध किया गया, बल्कि नागरिक चार्टर द्वारा किये गये वादों को भी पूरा नहीं किया जा सका। इससे एक तरफ विभाग की दक्षता प्रभावित हुई और दूसरी तरफ निर्धारिती का अनुचित उत्पीड़न हुआ।
- छ) सभी आयकर रिटर्न (आईटीआर) पहले केन्द्रीयकृत संशोधन केन्द्र (सीपीसी), बेंगलूरु में धारा 143(1) के अन्तर्गत संक्षिप्त रूप में संसाधित की जाती है। सीपीसी द्वारा आईटीआर को संसाधित करना पूर्णतया स्वचालित माना जाता है। तथापि, निर्धारिती के प्रतिदाय को सीपीसी के माध्यम से संक्षिप्त तरीके से संसाधित मामलों में भी ब्याज राशि को संशोधन करके अवरूद्ध किया गया था।

ज) करों का निवल संग्रहण प्रतिदायों² के लिए अनुमत करके परिकल्पित किया जाता है। इसलिए अवरुद्ध प्रतिदायों का परिणाम बढ़ा हुआ निवल कर संग्रहण होता है। इसके अलावा ब्याज के अधिक उदग्रहण के कारण निर्धारिती से अनुचित कर मांग के परिणामस्वरूप विवाद तथा इसके अलावा अधिक बकाया होता है। इस प्रकार, प्रतिदाय का अवरुद्ध होना तथा अधिक मांग सरकार के राजस्व संग्रहण पर परिणामी प्रभाव डालते हैं।

ये सिफारिश की जाती है कि

- क) सीबीडीटी कर तथा ब्याज की गणना में त्रुटि को बारंबार रोकने के लिए इन्कम टैक्स बिजनेस एप्लिकेशन (आईटीबीए) में उचित नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था करे।
- ख) प्रत्यक्ष कर के लिए आईटी प्रणाली को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि निर्धारिती तथा आयकर अधिकारियों के मध्य शून्य या कम से कम व्यक्तिगत सम्पर्क हो। सरकार प्रत्यक्ष करों के लिए आईटी प्रणाली को सीबीडीटी से एक उचित दूरी पर एक स्वतंत्र सरकारी संस्था या संगठन के साथ रखने पर विचार कर सकती है।
- ग) एसटी माँड्यूल ब्याज राशि के मानवीय संशोधन की अनुमति देता है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की गणना में त्रुटियाँ हुई हैं। आईटीडी को एसटी के माध्यम से ब्याज की गणना में त्रुटियों के कारण और आईटी सिस्टम में मानवीय संशोधन की अनुमति देने के कारणों के बारे में जाँच करनी चाहिए।
- घ) प्रणाली को निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए संशोधन, यदि कोई हो तो, का लेखापरीक्षा ट्रेल उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए संशोधनों के लिए सभी औचित्य प्रणाली में उपलब्ध होना चाहिए।
- ङ) सीबीडीटी यह जाँच करे कि क्या पाई गई 'त्रुटियों' के दृष्टांत भूल के या जानबूझ कर किए गये त्रुटियों के हैं और यदि ये जानबूझ कर की गई त्रुटियाँ हैं, तो आईटीडी को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

² सीबीडीटी अकाउंट्स मैनुअल का पैरा 7.2.2.

- च) आईटी विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कि समान प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति का जोखिम कम से कम हो एओ की जवाबदेही तय करे ।
- छ) सीबीडीटी यह सुनिश्चित करे कि निर्धारिती को देय प्रतिदाय निर्धारित समय सीमा में जारी किया जाए, मैनुअल हस्तक्षेप द्वारा इसे रोकने/अवरूद्ध करने के बजाय नागरिक चार्टर के माध्यम से इसके वादों को कायम रखा जाए।
- ज) ब्याज का कम प्रभार करने के साथ-साथ प्रतिदाय को अवरूद्ध करने के संबंध में निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई को जांचा जाए।
- झ) जबकि लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों के नमूने का परिक्षण किया है, एएसटी में संशोधन किए गए हों वहाँ सभी मामलों की जाँच करनी चाहिए। सीबीडीटी को चूक और जानबूझकर की गई गलती के मामलों की पहचान करनी चाहिए एवं कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्याय VI: पेनी स्टॉक्स पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ

हमने देखा कि एलटीसीजी दावा करने की आयकर विभाग के पास सूचना होने के बावजूद भी पेनी स्टॉक कंपनियों के शेयरों में व्यापार करने वाले निर्धारितियों की आईटीआर को न तो संवीक्षा हेतु चुना गया था और न ही संवीक्षा हेतु दोबारा खोला गया था। आयकर विभाग ऐसे निर्धारितियों को आईटीआर फाइल करने का नोटिस जारी करने में विफल रहा जो पेनी स्टॉक में व्यापार करते थे परंतु अपनी आईटीआर फाइल नहीं की थी। ऐसे नॉन फाइलर्स की पहचान करने के लिए नॉन फाइलर्स निगरानी प्रणाली का भी प्रभावपूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया था। निर्धारण अधिकारियों में इस तथ्य के बावजूद कि परिवर्धन के आधार एक समान थे एलटीसीजी छूट के परिवर्धन में एकरूपता नहीं थी। कुछ मामलों में, निर्धारण अधिकारियों ने दावा किए गए छूट प्राप्त एलटीसीजी के लिए कोई परिवर्धन नहीं किया था जिसके लिए निर्धारण आदेशों में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारियों ने विभिन्न प्रतिशतता पर परिवर्धन किए थे जबकि निर्धारितियों ने समान पेनी स्टॉक कंपनियों के शेयरों में व्यापार किया था। आयकर विभाग में पेनी स्टॉक में व्यापार कर रहे लाभार्थियों के मामलों से संव्यवहार करने के लिए कोई पद्धति नहीं थी क्योंकि कुछ मामलों में समस्त बिक्री प्रतिफल को अननुमत किया गया था जबकि कुछ मामलों में केवल दावा

की गई एलटीसीजी को ही अननुमत किया गया था। प्रवेश और निकास प्रदाता को पेनी स्टॉक के लाभार्थी से प्राप्त कमिशन की अननुमति में भी अंतर है।

यह सिफारिश की जाती है कि

- (i) आयकर विभाग सीएसएस मानदंडों को इस प्रकार पुनः परिभाषित करे कि आईटीआर या अन्य स्रोतों से आयकर विभाग के पास उपलब्ध विशिष्ट सूचना का, संवीक्षा हेतु मामलों का चुनाव करने में प्रयोग किया जा सके।
- (ii) सीएसएस के अंतर्गत संवीक्षा हेतु चयन की पद्धति को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ साझा किया जाए जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 9 में कहा गया था ताकि लेखापरीक्षा में देखा जा सके कि क्या संवीक्षा हेतु मामलों का चयन सीएसएस मानदंडों के अनुसार हुआ है।
- (iii) आयकर विभाग यह जांच करे कि क्या पेनी स्टॉक पर एलटीसीजी का दावा किए गए मामलों के निर्धारण में हुई त्रुटियां भूल के कारण या जानबूझ कर की गई थी यदि ये त्रुटियां जानबूझ कर की गई थी तो आईटीडी को कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। निम्न तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2018-19 और वि.व. 2017-18 के लिए संघ सरकार के संसाधनों का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन	(₹ करोड़ में)	
	वि.व. 2018-19	वि.व. 2017-18
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	25,67,917	23,64,148
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	11,37,718	10,02,738
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ³	9,42,747	9,16,445
iii. गैर-कर प्राप्तियां	4,86,389	4,41,383
iv. अनुदान सहायता और योगदान	1,063	3,582
ख. विविध पूँजी प्राप्तियां⁴	94,979	1,00,049
ग. ऋणों और अग्रिमों की वसूली⁵	30,257	70,639
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां⁶	67,58,482	65,54,002
भारत सरकार की प्राप्तियां (क + ख + ग + घ)	94,51,635	90,88,838

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों को संघ वित्त लेखे से लिया गया है। कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे सौंपे गए वि.व. 2018-19 में ₹ 7,61,454 करोड़ और वि.व. 2017-18 में ₹ 6,73,005 करोड़ शामिल हैं।

1.1.2 वि.व. 2018-19 में, भारत सरकार की प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों और कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि द्वारा होती है। वि.व. 2018-19 में प्रत्यक्ष कर कुल राजस्व प्राप्तियों का 44.3 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में 13.5 प्रतिशत बढ़ा था।

1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उदग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यतः शामिल हैं,

- कम्पनियों की आय पर उदग्रहीत निगम कर;
- व्यक्तियों की आय पर उदग्रहीत आयकर (कम्पनियों को छोड़कर);

³ अप्रत्यक्ष कर माल और सेवाओं पर लगाया गया जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर, एकीकृत माल और सेवा कर आदि;

⁴ इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

⁵ संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;

⁶ भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधारियां;

iii. प्रतिभूति लेनदेन कर⁷, धनकर⁸ आदि सहित अन्य प्रत्यक्ष कर।

1.2.2 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन					
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
₹ करोड़ में					
1. प्रत्यक्ष कर संग्रहण	6,95,792	7,42,012	8,49,801	10,02,738	11,37,718
निगम कर	4,28,925	4,53,228	4,84,924	5,71,202	6,63,571
आय कर	2,58,374	2,80,390	3,40,592	4,08,202	4,61,652
अन्य प्रत्यक्ष कर	8,493	8,394	24,285	23,334	12,495
2. प्रतिदाय	1,12,163	1,22,596	1,62,582	1,51,639	1,61,037
संख्या लाख में					
3. फाईल किए गए वास्तविक रिटर्न					
क. गैर-निगमित निर्धारितियों	360.6	398.0	436.9	537.9	619.8
ख. निगमित निर्धारितियों	6.8	6.9	7.1	8.0	8.5
4. राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	4,148	4,689	5,623	6,172	7,168
स्रोत: क्रम सं. 1 और 4 संघ वित्त लेखे, क्रम सं. 2 प्र. सीसीए, सीबीडीटी और क्रम सं. 3 सीबीडीटी					

1.2.3 निम्न तालिका 1.3 में आय की विभिन्न श्रेणियों में गैर-निगमित निर्धारितियों के विवरण दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.3: गैर-निगमित निर्धारिती							(आंकड़े लाख में)
वित्तीय वर्ष	क ⁹	ख ₁ ¹⁰	ख ₂ ¹¹	ग ¹²	घ ¹³	कुल	
2014-15	76.32	216.31	46.11	21.80	0.01	360.55	
2015-16	55.93	264.47	52.94	24.69	0.01	398.04	
2016-17	54.17	290.16	61.85	30.69	0.02	436.89	
2017-18	61.16	360.63	79.04	37.05	0.02	537.90	
2018-19	68.08	403.35	103.36	44.96	0.03	619.78	
स्रोत: सीबीडीटी; यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान वास्तविक फाईल किए गए रिटर्न के आधार पर हैं।							

गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या में वि.व. 2017-18 में 23.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2018-19 में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। जैसा कि उपरोक्त तालिका 1.3 और चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, वि.व.

⁷ भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर।

⁸ निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम 1957 की धारा 2 (ईए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियां शामिल हैं। धन कर को वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

⁹ श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ 2 लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;


¹⁰ श्रेणी 'ख'₁ निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ दो लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ पांच लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;

¹¹ श्रेणी 'ख'₂ निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक; परन्तु ₹ 10 लाख से नीचे आय/हानि वाले निर्धारण;

¹² श्रेणी 'ग' निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण

¹³ श्रेणी 'घ' निर्धारिती - तलाशी और जब्ती निर्धारण

2017-18 की तुलना में वि.व. 2018-19 के दौरान श्रेणी 'ख₁', श्रेणी 'ख₂' और श्रेणी 'ग' में 11.8 प्रतिशत, 30.8 प्रतिशत और 21.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, इन श्रेणियों में विगत वर्षों की तुलना में वि.व. 2017-18 के दौरान 24.3 प्रतिशत, 27.8 प्रतिशत और 20.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान गैर-निगमित करदाताओं में 71.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान गैर निगमित करदाताओं से कर संग्रह में 78.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, कर संग्रह में वृद्धि गैर-निगमित करदाताओं में वृद्धि से अधिक थी।




1.2.4 निम्न तालिका 1.4 में आय की विभिन्न श्रेणियों में निगमित निर्धारितियों के विवरण दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.4 : निगमित निर्धारित							(आंकड़ें लाख में)	
वित्तीय वर्ष	क ¹⁴	ख ₁ ¹⁵	ख ₂ ¹⁶	ग ¹⁷	घ ¹⁸	कुल	रु 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारित	31 मार्च को आरओसी के अनुसार करने वाली कंपनियां
2014-15	3.20	1.51	0.48	1.56	0.00*	6.75	0.69	10.16
2015-16	3.08	1.59	0.50	1.71	0.00 [^]	6.88	0.76	10.82
2016-17	3.14	1.65	0.53	1.81	0.00 [#]	7.13	1.44	11.11
2017-18	3.57	1.85	0.58	1.99	0.00 ^{\$}	7.99	1.31	10.49
2018-19	3.66	2.00	0.61	2.19	0.00 [@]	8.46	1.45	11.56

स्रोत: सीबीडीटी यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान वास्तविक फाईल की गई रिटर्न के आधार पर हैं।

* 256 निर्धारित; [^] 337 निर्धारित; # 134 निर्धारित; \$ 195 निर्धारित, @ 146 निर्धारित

निगमित निर्धारितियों में वि.व. 2017-18 में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2018-19 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान निगमित करदाताओं में 25.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान निगमित करदाताओं से कर संग्रह में 54.7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार, कर संग्रह में वृद्धि निगमित करदाताओं में वृद्धि से अधिक थी।



¹⁴ श्रेणी 'क' निर्धारित - ₹ 50,000 से कम आय/हानि वाले निर्धारण;

¹⁵ श्रेणी 'ख₁' निर्धारित (निम्न आय समूह) - ₹ 50,000 और उससे अधिक परंतु ₹ पांच लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;

¹⁶ श्रेणी 'ख₂' निर्धारित (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक; परंतु ₹ 10 लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;

¹⁷ श्रेणी 'ग' निर्धारित - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण;

¹⁸ श्रेणी 'घ' निर्धारित - तलाशी और जब्ती वाले निर्धारण;

1.2.5 कम्पनियों के रजिस्ट्रार (आरओसीज़)¹⁹ के डाटा के अनुसार कुल कार्यरत कम्पनियों के आंकड़े की आयकर विभाग के अनुसार कुल फाईलर्स के साथ तुलना से पता चला कि आयकर विभाग द्वारा पहचाने गए नॉन फाइलर्स द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराना प्रभावी नहीं था। वि.व. 2017-18 के अनुसार, आरओसी में 10.49 लाख कम्पनियां पंजीकृत थी जिसके प्रति यह देखा गया कि वि.व. 2018-19 में, केवल 8.5 लाख कम्पनियों ने आयकर रिटर्न फाइल किया था। यद्यपि सभी कार्यरत कम्पनियों (चाहे लाभ अर्जन करने वाली या हानि उठाने वाली) को आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधान के अनुसार अपनी आयकर रिटर्न फाइल करना अपेक्षित है, जबकि आरओसी में ऐसी पंजीकृत कार्यरत कंपनियों ने वि.व. 2016-17 में 28.0 प्रतिशत के विपरीत वि.व. 2017-18 में 19.4 प्रतिशत ने अपनी आयकर रिटर्न फाइल नहीं की।

1.3 सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1.3.1 वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। उसके साथ-साथ, यह आयकर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आयकर विभाग प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों के साथ कर अपवंचन, राजस्व आसूचना, कर आधार बढ़ाने, करदाताओं को सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित मामलों को देखना है।

1.3.2 31 मार्च 2019 को आयकर विभाग की समस्त स्टाफ संख्या और कार्यरत संख्या क्रमशः 76,243 तथा 46,264 थी। अधिकारियों²⁰ की संस्वीकृत और कार्यरत संख्या क्रमशः 10,858 और 9,706 थी। वर्ष 2018-19 के लिए आईटीडी का राजस्व व्यय ₹ 7,168 करोड़²¹ था।

1.4 प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग

1.4.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) शामिल होती हैं। बजट अनुमानों के तदनुसारी वास्तविक से तुलना राजकोषीय

¹⁹ स्रोत: कॉरपोरेट मामला मंत्रालय, सांख्यिकीय डिविजन, नई दिल्ली

²⁰ प्र. सीसीआईटी/प्र.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्र. सीआईटी/प्र.डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अपर सीआईटी/अपर डीआईटी/जेसीआईटी/जेडीआईटी, डीसीआईटी/डीडीआईटी/एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओ

²¹ वि.व. 2018-19 के संघ वित्त लेखे।

प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविक आंकड़े अप्रत्याशित और अनियमित रूप से बाह्य घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं या महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में अवास्तविक धारणाओं के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

1.4.2 निम्न तालिका 1.5 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) तथा प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रहण के ब्यौरे दर्शाती है।

तालिका 1.5: प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रहण की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान (₹ करोड़ में)							
वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक माइनस बजट अनुमान	वास्तविक माइनस संशोधित अनुमान	बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में अंतर	संशोधित अनुमानों के प्रतिशत के रूप में अंतर
2014-15	7,36,221	7,05,628	6,95,792	(-) 40,429	(-) 9,836	(-) 5.5	(-) 1.4
2015-16	7,97,995	7,52,021	7,42,012	(-) 55,983	(-) 10,009	(-) 7.0	(-) 1.3
2016-17	8,47,097	8,47,097	8,49,801	2,704	2,704	0.3	0.3
2017-18	9,80,000	10,05,000	10,02,738	22,738	(-) 2,262	2.3	(-) 0.2
2018-19	11,50,000	12,00,000	11,37,718	(-) 12,282	(-) 62,282	(-) 1.1	(-) 5.2

स्त्रोत: बीई और आरई आंकड़े संबंधित प्राप्त बजट और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार हैं।

1.4.3 संशोधित अनुमानों और वास्तविक संग्रहण के बीच भिन्नता वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 की अवधि के दौरान संशोधित अनुमानों के (-)5.2 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत तक थी। वि.व. 2018-19 के दौरान बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच भिन्नता संशोधित अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच भिन्नता की तुलना में अधिक थी।

1.5 प्रत्यक्ष करों में वृद्धि

1.5.1 निम्न तालिका 1.6 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान सकल कर प्राप्तियों²² (जीटीआर) और सकल घरेलू उत्पादों (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

²² इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं।

तालिका 1.6: प्रत्यक्ष करों की वृद्धि					(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	डीटी	जीटीआर	जीटीआर के प्रतिशत के रूप में डीटी	जीडीपी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में डीटी
2014-15	6,95,792	12,45,135	55.9	1,25,41,208	5.5
2015-16	7,42,012	14,55,891	51.0	1,35,76,086	5.5
2016-17	8,49,801	17,15,968	49.5	1,51,83,709	5.6
2017-18	10,02,738	19,19,183	52.2	1,67,73,145	6.0
2018-19	11,37,718	20,80,465	54.7	1,90,10,164	6.0

स्रोत: प्रत्यक्ष कर तथा जीटीआर-संघ वित्त लेखे, जीडीपी-केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; वि.व. 2018-19 के लिए जीडीपी - 31 मई 2019 को सीएसओ द्वारा प्रकाशित प्रेस नोट।

1.5.2 यद्यपि, वि.व. 2017-18 की तुलना में वि.व. 2018-19 में डीटी में 13.5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, फिर भी जीटीआर में प्रत्यक्ष करों के भाग में वि.व. 2017-18 की तुलना में वि.व. 2018-19 में (2.4 प्रतिशत) वृद्धि हुई। वि.व. 2016-17 में 5.6 प्रतिशत की तुलना में प्रत्यक्ष कर वि.व. 2018-19 और वि.व. 2017-18 के दौरान जीडीपी का 6.0 प्रतिशत था।

1.5.3 निम्न तालिका 1.7 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान प्रत्यक्ष करों और अपने प्रमुख संघटकों जैसे निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) में वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.7: प्रत्यक्ष करों और इसके प्रमुख घटकों की वृद्धि								(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	निगम कर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	आयकर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	जीडीपी	पिछले साल की तुलना में प्रतिशत की वृद्धि
2014-15	6,95,792	9.0	4,28,925	8.7	2,58,374	8.6	1,25,41,208	10.5
2015-16	7,42,012	6.6	4,53,228	5.7	2,80,390	8.5	1,35,76,086	8.3
2016-17	8,49,801	14.5	4,84,924	7.0	3,40,592	21.5	1,51,83,709	11.8
2017-18	10,02,738	18.0	5,71,202	17.8	4,08,202	19.9	1,67,73,145	10.5
2018-19	11,37,718	13.5	6,63,572	16.2	4,61,652	13.1	1,90,10,164	13.3

स्रोत: संघीय वित्तीय लेखे

1.5.4 वि.व. 2017-18 में आयकर में 19.9 प्रतिशत तथा निगम कर में 17.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2018-19 में निगम कर में 16.2 प्रतिशत तथा आय कर में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। डीटी (13.5 प्रतिशत) और निगम कर (16.2 प्रतिशत) की वृद्धि 2018-19 में जीडीपी की वृद्धि से अधिक थी जो 13.3 प्रतिशत थी।

1.5.5 निगम तथा आयकर दोनों के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न स्तर हैं जैसे स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, नियमित निर्धारण कर। टीडीएस, अग्रिम कर तथा स्व-निर्धारण

कर के माध्यम से निर्धारण-पूर्व संग्रहण, प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन का सूचक है। नियमित निर्धारण चरण के माध्यम से किया गया कर संग्रह निर्धारण पश्च पर होता है।

1.5.6 निम्न तालिका 1.8 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान विभिन्न चरणों के तहत निगम और आय कर के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.8: निगम और आयकर का संग्रहण								
								(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व निर्धारण संग्रहण (कॉ.2 + 3 + 4)	कुल पूर्व-निर्धारण संग्रहण की प्रतिशतता	नियमित निर्धारण कर	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रहण (कॉ. 5+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2014-15	2,59,106	3,26,525	52,050	6,37,681	79.8	80,189	81,589	7,99,459
2015-16	2,87,412	3,52,899	54,860	6,95,171	81.2	63,814	96,940	8,55,925
2016-17	3,43,144	4,06,769	68,160	8,18,073	82.8	74,138	95,887	9,88,098
2017-18	3,80,641	4,70,242	83,219	9,34,102	82.6	92,044	1,04,897	11,31,043
2018-19	4,50,769	5,27,529	84,174	10,62,471	82.6	99,032	1,24,757	12,86,260

स्रोत: प्र.सीसीए, सीबीडीटी। अन्य प्राप्तियों में अधिभार तथा उपकर शामिल हैं। संग्रहण आंकड़ों में प्रतिदाय भी शामिल है।

1.5.7 तालिका 1.8 में दर्शाया गया है कि निर्धारितियों (निर्धारण-पूर्व चरण) द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन से वि.व. 2018-19 में निगम और आयकर के कुल संग्रहण का 2014-15 में 79.8 प्रतिशत के प्रति 2018-19 में 82.6 प्रतिशत तक संगणित की गई जबकि नियमित निर्धारण (निर्धारण के बाद) द्वारा संग्रहण 2014-15 में कुल संग्रहण के 10 प्रतिशत से घट कर 2018-19 में 7.7 प्रतिशत तक रह गया। यह दर्शाता है कि निर्धारितियों द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन जोकि वि.व. 2014-15 से वि.व. 2016-17 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शा रहा था, इसके बाद यह स्थिर रहा।

1.5.8 प्रतिदायों की प्रवृत्ति

जब देय कर राशि से अधिक कर राशि अदा की जाती है, निर्धारिती अधिक राशि के प्रतिदाय का हकदार होता है। आयकर विभाग समय-समय पर निर्धारितियों को यह प्रतिदाय जारी करता है। नीचे तालिका 1.9 में वि.व. 2016-17 से वि.व. 2018-19 के दौरान निगम कर और आयकर के संबंध में किये गये प्रतिदाय की तिमाही प्रवृत्ति और राजस्व संग्रहण को दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: प्रतिदाय की तिमाही प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)							
वि.व.	तिमाही समाप्त	निगम कर			आयकर		
		सकल संग्रहण	प्रतिदाय	संग्रहण के संदर्भ में प्रतिदाय की प्रतिशतता	सकल संग्रहण	प्रतिदाय	संग्रहण के संदर्भ में प्रतिदाय की प्रतिशतता
2016-17	जून 2016	1,05,330	51,320	48.7	74,081	7,257	9.8
	सितंबर 2016	1,49,278	16,499	11.1	90,935	13,526	14.9
	दिसंबर 2016	1,57,724	24,232	15.4	93,954	13,946	14.8
	मार्च 2017	1,93,273	28,630	14.8	1,23,523	7,172	5.8
	कुल	6,05,605	1,20,681	19.9	3,82,493	41,901	11.0
2017-18	जून 2017	1,11,789	44,530	39.8	87,685	11,269	12.9
	सितंबर 2017	1,56,759	16,113	10.3	99,112	7,682	7.8
	दिसंबर 2017	1,84,392	17,180	9.3	1,09,388	14,915	13.6
	मार्च 2018	2,27,400	31,315	13.8	1,54,714	8,831	5.7
	कुल	6,80,340	1,09,138	16.0	4,50,899	42,697	9.5
2018-19	जून 2018	1,27,468	61,078	47.9	98,049	12,834	13.1
	सितंबर 2018	1,90,200	12,848	6.8	1,27,210	16,823	13.2
	दिसंबर 2018	1,94,177	10,468	5.4	1,21,069	16,503	13.6
	मार्च 2019	2,57,554	21,434	8.3	1,70,533	9,049	5.3
	कुल	7,69,399	1,05,828	13.8	5,16,861	55,209	10.7

स्रोत: प्र. सीसीए, सीबीडीटी

उपरोक्त तालिका 1.9 से यह देखा जा सकता है कि विगत वर्षों के संग्रहण में से वि.व. 2016-17, वि.व. 2017-18 और वि.व. 2018-19 की पहली तिमाहियों के दौरान निगम कर के सकल संग्रहण का क्रमशः 48.7 प्रतिशत, 39.8 प्रतिशत और 47.9 प्रतिशत, उक्त तिमाही के दौरान प्रतिदाय कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, विगत वर्षों के संग्रहण में से वि.व. 2016-17, वि.व. 2017-18 और वि.व. 2018-19 की पहली तिमाहियों के दौरान निगम कर की कुल प्रतिदाय राशि का क्रमशः 42.5 प्रतिशत, 40.8 प्रतिशत और 57.7 प्रतिशत का प्रतिदाय कर दिया गया। यह भी देखा गया है कि सकल संग्रहण की प्रतिशतता के रूप में प्रतिदाय आयकर की तुलना में निगम कर के मामले में अधिक हैं। इस अधिक प्रतिदाय का संभावित कारण अपने राजस्व संग्रहण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विगत वित्तीय वर्षों के दौरान विभाग द्वारा उठाई गई अत्यधिक मांग हो सकती थी। 2017 की हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 40 के अध्याय V में अत्यधिक मांग का मामला भी उठाया गया है। आयकर विभाग द्वारा मामले की जांच की जा सकती है।

1.5.9 भारत के संविधान के अनुच्छेद 114(3) का उल्लंघन-सीबीडीटी द्वारा विनियमन के बिना करों की धन वापसी पर ब्याज पर किए गए व्यय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 114(3) यह अनुबंध करता है कि विधि द्वारा विनियोग किए बिना समेकित निधि से कोई धनराशि निकाली नहीं जा सकती। अधिक कर की वापसी पर ब्याज का भुगतान समेकित निधि पर भारित है और कानून द्वारा किए गए विनियोग के अंतर्गत अधिकृत होने के बाद ही देय है। संविधान के अनुच्छेद 266(3) के अनुसार, संसद द्वारा पारित विनियोग कानून के बिना किसी भी विधायी प्राधिकारी को अधिक कर के जमा/ वापसी पर ब्याज वापस लेने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा, डी एफ पी आर का नियम 8 'ब्याज' को ब्याज व्यय के वर्गीकरण के लिए विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में वर्णित करता है।

राजस्व विभाग/ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग (सीबीडीटी) ने उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त कर के वापसी पर ब्याज का वर्गीकरण राजस्व में कमी के रूप में कर रहा है और इस गलत प्रथा पर केंद्र सरकार के लेखों पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ-साथ प्रत्यक्ष करों पर सीएजी की प्रतिवेदन में भी बार-बार टिप्पणी की गई है। परन्तु विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इस मुद्दे की जांच लोक लेखा समिति (पीएसी) ने की थी और पीएसी ने अपनी 66वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2012-13) में संसदीय अनुमोदन के बिना आयकर वापसी पर ब्याज भुगतान के लिए समेकित निधि से धन आहरण को अस्वीकृत किया। बाद में, उनकी अनुवर्ती रिपोर्ट (96वीं रिपोर्ट, 15वीं लोकसभा 2013-14, दिनांक 31 जनवरी 2014) में माननीय महान्यायवादी (6 मई 2013) की संशोधित राय और बाद में इनकी गवाही पर विचार करने के बाद समिति ने निष्कर्ष निकाला कि संविधान में व्यय के प्राधिकरण के तरीके या समेकित निधि से धनराशि आहरण में कोई संदेह नहीं है और इसप्रकार राजस्व विभाग के पास अनुच्छेद 114 और 115(1)(ए) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन द्वारा या अनुच्छेद 115(1)(बी) के अधीन संसद से कार्योत्तर अनुमोदन के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएसी द्वारा इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करने तथा सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस मुद्दे को बार-बार इंगित किए जाने के बावजूद वर्ष 2018-19 में वापसी पर ब्याज के लिए बजट प्राक्कलन में बजट प्रावधान और भुगतान के लिए संसदीय अनुमोदन नहीं लिया गया।

वर्ष के दौरान रिफंड पर ब्याज में ₹ 20,566.33 करोड़ की धनराशि का व्यय किया और इस तरह के भुगतान को राजस्व में कमी के रूप में दिखाया गया था।

विभाग ने अपने जवाब (जनवरी 2017 और जनवरी 2019) में माननीय महान्यायवादी की दिनांक 6 मई 2013 की कानूनी राय को दोहराते हुए कहा कि अतिरिक्त कर और उस पर ब्याज की वापसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक व्यय नहीं है। विभाग ने यह भी कहा कि माननीय महान्यायवादी की उपरोक्त राय के आधार पर वित्त मंत्री के अनुमोदन के साथ विभाग ने पीएसी (15वीं लोकसभा) की 96वीं प्रतिवेदन में शामिल अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया था।

लेखापरीक्षा में हांलाकि देखा गया कि पीएसी ने अपनी अनुशंसा बनाते समय पहले ही माननीय महान्यायवादी की राय पर ध्यान दिया था और इंगित किया कि माननीय महान्यायवादी ने कहा था कि “एक राय अंततः एक राय है और यह समिति का दायित्व है जो यह तय करें कि सही प्रक्रिया क्या है”।

1.6 कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव

1.6.1 किसी कर कानून तथा इसके प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों के वित्तपोषण हेतु राजस्वों को बढ़ाना है। सृजित राजस्व की राशि प्राथमिक रूप से कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर करती है। इन दो कारकों के निर्धारक उपायों की श्रेणी है जिसमें विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, रियायतें, आस्थगित अदायगी और क्रेडिट शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से ‘कर प्रोत्साहन या कर प्राथमिकता’ कहा जाता है। इन्हें कर व्यय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

1.6.2 आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम), अन्य विषयों के साथ-साथ, निर्यात संवर्धन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, रोजगार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक शोध और विकास, सहकारी क्षेत्र में वृद्धि तथा व्यक्तियों द्वारा बचत तथा धर्मार्थ दान हेतु कर प्रोत्साहनों का प्रावधान करता है। इनमें से अधिकतर कर लाभों को निगमित और गैर-निगमित दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

1.6.3 संघ प्राप्ति बजट निगमित करदाताओं और गैर निगमित करदाताओं द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई रिटर्न के आधार पर प्रमुख प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के विवरण को दर्शाता है। तालिका 1.9 वि.व.

2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान प्रमुख कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 1.9: कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव	प्रतिशत के रूप में राजस्व प्रभाव		
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर
2014-15	1,18,593	0.9	17.0	9.5
2015-16	1,38,658	1.0	18.7	9.5
2016-17	1,55,840	1.0	18.3	9.1
2017-18	1,83,580	1.1	18.3	9.6
2018-19	2,13,225	1.1	18.7	10.3

नोट: कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़े वि.व. 2018-19 (अनुमानित) को छोड़कर वास्तविक हैं। इनमें धर्मार्थ संस्थान शामिल नहीं हैं। तथापि, धर्मार्थ संस्थानों द्वारा 31 मार्च 2019 तक इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाईल की गई, 2,18,787 रिटर्न के संबंध में ₹ 5,03,783 करोड़ प्रयोग किये गये थे। स्रोत: संबंधित प्राप्ति बजट

वि.व. 2019-2020 के प्राप्ति बजट में बताये अनुसार, 34.4 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के विपरीत वि.व. 2017-18 के लिए निगम कर की प्रभावी दर 29.5 प्रतिशत थी।

1.6.4 वि.व. 2018-19 में दिये गये मुख्य कर प्रोत्साहन के संबंध में धारा 80सी के अंतर्गत विशेष निवेश और भुगतान (₹ 75,244 करोड़), धारा 32 के अंतर्गत तीव्र मूल्यहास (₹ 59,474 करोड़), धारा 10एए के अंतर्गत एसईजेड इकाईयों के निर्यात लाभ की कटौतियां (₹ 24,839 करोड़), धारा 80-आईए के तहत ऊर्जा के उत्पादन/संचरण एवं वितरण में उपक्रमों में कटौतियां (₹ 15,677 करोड़), धारा 35(1), (2एए) और (2एबी) के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौतियां (₹ 11,022 करोड़) थीं।

1.6.5 कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में वि.व. 2014-15 में ₹ 1,18,593 करोड़ से वि.व. 2018-19 में ₹ 2,13,225 करोड़ तक 79.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि यह कर प्रोत्साहन वि.व. 2017-18 की तुलना में वि.व. 2018-19 में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परंतु डीटी और जीटीआर में कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के भाग में वृद्धि क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत थी। वि.व. 2015-16 और वि.व. 2016-17 में 1.0 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 2018-19 और वि.व. 2017-18 के दौरान जीडीपी का कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव 1.1 प्रतिशत था।

1.7 बकाया मांग

1.7.1 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 की अवधि के दौरान लंबित मांग की बकाया राशि की प्रवृत्ति तालिका 1.10 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.10: मांग का बकाया					(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	विगत वर्षों की मांग का बकाया	चालू वर्ष की मांग का बकाया	मांग का कुल बकाया	मुश्किल से वसूली जाने वाली मांग	निवल संग्रहणीय मांग
2014-15	5,68,724	1,31,424	7,00,148	6,73,032	27,116
2015-16	6,67,855	1,56,356	8,24,211	8,02,256	21,955
2016-17	7,33,229	3,11,459	10,44,688	10,29,725	14,963
2017-18	7,36,975	3,77,207	11,14,182	10,94,023	20,159
2018-19	9,46,190	2,87,888	12,34,078	12,19,485	14,593

स्रोत: आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं), संबंधित वि.व. के मार्च माह हेतु मांग एवं संग्रहण रिपोर्ट (सीएपी-1)।

1.7.2 संबंधित वित्तीय वर्ष के मार्च माह के मांग एवं संग्रहण विवरण में विभिन्न कारकों का विश्लेषण किया गया अर्थात् वसूली हेतु कोई परिसम्पत्ति नहीं/ वसूली हेतु अपर्याप्त परिसम्पत्तियां, परिसमापन/बीआईएफआर के तहत मामलों, निर्धारिता का पता न लगना, न्यायालयों/आईटीएटी/आईटी प्राधिकरणों द्वारा स्थगित मांग, टीडीएस/किए गए पूर्व बेमेल भुगतान कर आदि, जिनके कारण मुश्किल से वसूल की जाने वाली यह मांग वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है और यह वि.व. 2017-18 में 98.2 प्रतिशत के प्रति वि.व. 2018-19 में मांग के कुल बकाया का 98.8 प्रतिशत आंकी गई। यद्यपि, वि.व. 2017-18 (₹ 11,14,182 करोड़) की तुलना में कुल बकाया मांग वि.व. 2018-19 में ₹ 12,34,078 करोड़ होकर 10.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जबकि मुश्किल से वसूली जाने वाली मांग में वृद्धि के कारण निवल संग्रहण योग्य मांग वि.व. 2017-18 में ₹ 20,159 करोड़ की तुलना में वि.व. 2018-19 में ₹ 14,593 करोड़ तक घट गई। वि.व. 2018-19 में, मुश्किल से वसूली जाने वाली मांग में वृद्धि उक्त वर्ष के दौरान कुल बकाया मांग में वृद्धि से ₹ 5,566 करोड़ अधिक थी।

1.8 अपील मामलों के निपटान

1.8.1 तालिका 1.11 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.11: सीआईटी (ए) द्वारा अपील के मामलों का निपटान					
वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया अपील मामले	निपटाए गए अपील मामले	लंबित अपील मामले	प्रतिशतता में लम्बन	अपील मामलों में अवरुद्ध राशि
	(संख्या लाख में)				(₹ करोड़ में)
2014-15	3.06	0.74	2.32	75.8	3,83,797
2015-16	3.53	0.94	2.59	73.3	5,16,250
2016-17	4.08	1.18	2.90	71.1	6,11,227
2017-18	4.25	1.21	3.04	71.7	5,18,647
2018-19	4.62	1.23	3.39	73.4	5,62,806

स्रोत: सीबीडीटी

1.8.2 वि.व. 2018-19 में सीआईटी (अपील) के पास अपील मामलों में अवरुद्धित राशि भारत सरकार के राजस्व घाटे से अधिक है।

1.8.3 तालिका 1.12, वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 के दौरान आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (आईटीएटीज)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.12 आईटीएटीज/उच्च न्यायालयों / सर्वोच्च न्यायालय के साथ लंबित अपील (₹ करोड़ में)								
वित्तीय वर्ष	आईटीएटीज		उच्च न्यायालयों		सर्वोच्च न्यायालय		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
2014-15	37,506	1,45,535	34,281	37,684	5,661	4,654	77,448	1,87,873
2015-16	32,834	1,35,984	32,138	1,61,418	5,399	7,092	70,371	3,04,494
2016-17	37,968	1,43,771	38,481	2,87,818	6,375	8,048	82,806	4,39,637
2017-18	37,353	2,34,999	39,066	1,96,053	6,224	11,773	82,643	4,42,825
2018-19	92,205	उपलब्ध नहीं	38,539	1,36,465	4,425	74,368 [#]	1,35,169	2,10,833

स्रोत: सीबीडीटी # निर्धारित द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपीलों की राशि उपलब्ध नहीं है।

1.8.4 आईटीएटी के पास लंबित मामलों में वि.व. 2017-18 (37,572 मामलों) की तुलना में वि.व. 2018-19 में 92,205 तक की अभिप्रायपूर्ण वृद्धि हुई। उच्च स्तरों पर (आईटीएटीज/उच्च न्यायालयों/ सर्वोच्च न्यायालय), कुल लंबित मामलों में वि.व. 2017-18 में 0.82 लाख मामलों की तुलना में वि.व. 2018-19 में 1.35 लाख तक की वृद्धि हुई।

1.9 तलाशी एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण

तलाशी एवं जब्ती²³ तथा सर्वेक्षण²⁴, मुख्य प्रमाण संग्रहण तंत्रों में से एक है जो कि उन मामलों में प्रयुक्त होते हैं जहाँ कर-वंचन के बारे में विश्वसनीय सूचना आयकर विभाग के अधिकार में है। निम्न तालिका

²³ किसी भी अघोषित आय या कीमती वस्तुओं का पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी एवं जब्ती की जाती है।

²⁴ किसी भी जानकारी को एकत्र करने के लिए अधिनियम की धारा 133ए और 133बी के तहत सर्वेक्षण किया जाता है, जो आयकर विभाग के लिए कर अपवंचन रोकने में उपयोगी हो सकता है।

1.14, वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 तक के दौरान किए गए तलाशी एवं जब्ती प्रचालनों तथा सर्वेक्षण और स्वीकृत/पता लगाई गई अप्रकटित आय को दर्शाती है।

तालिका 1.13: तलाशी और जब्ती और सर्वेक्षण के मामलों की स्थिति (₹ करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	तलाशी किए गए समूहों की संख्या	स्वीकार की गई अप्रकटित आय (तलाशी और जब्ती में)	किए गए सर्वेक्षणों की संख्या	पता लगाई गई अप्रकटित आय (सर्वेक्षणों में)
2014-15	545	10,288	5,035	12,820
2015-16	447	11,226	4,428	9,700
2016-17	1,152	15,497	12,526	13,716
2017-18	577	15,913	13,487	9,634
2018-19	983	18,594	15,401	16,126

स्रोत: जांच स्कंद, सीबीडीटी

वि.व. 2018-19 के दौरान, वि.व. 2017-18 से संबंधित आंकड़ों की तुलना में तलाशी एवं जब्ती के दौरान स्वीकृत की गई अप्रकटित आय 16.8 प्रतिशत तक बढ़ी और सर्वेक्षण के दौरान पता लगाई गई अप्रकटित आय में 67.4 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

1.10 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.10.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संसाधित किए जा रहे हैं। आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा ने वि.व. 2017-18 में लेखापरीक्षित 1,89,409 मामलों के प्रति वि.व. 2018-19 में 1,62,467 मामलों की लेखापरीक्षा पूर्ण की।

1.10.2 तालिका 1.14 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2018-19 तक प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

तालिका 1.14: आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)								
वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		निपटान		लम्बन	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
2014-15	20,834	8,368	9,927	2,292	15,586	3,805	15,175	6,855
2015-16	19,137	8,023	13,148	6,463	12,891	2,205	19,394	12,281
2016-17	19,405	12,283	12,972	2,451	11,256	3,352	21,121	11,382
2017-18	21,129	11,295	13,297	2,562	9,062	1,283	25,364	12,575
2018-19	25,408	12,602	16,975	3,147	11,847	4,334	30,536	11,415

स्रोत: आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखापरीक्षा); ^मार्च को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही विवरण के प्रस्तुतीकरण के बाद संबंधित सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सत्यापन के बाद संशोधित आंकड़े।

1.10.3 वि.व. 2017-18 में 6,267 मामलों में से 1,613 मामलों (25.7 प्रतिशत) की तुलना में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई 7,818 मुख्य आपत्तियों के मामलों²⁵ में से एओ (निर्धारण अधिकारी) ने, वि.व. 2018-19 में केवल 1,923 मामलों (24.6 प्रतिशत) पर कार्य किया। निर्धारण अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के फोलो अप में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

²⁵ 2017 के निदेश सं. 6 दिनांक 21.7.2017 के अनुसार, मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की मौद्रिक सीमा को ₹ दो लाख से ₹ 10 लाख तक बढ़ा दिया गया है।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) संसद द्वारा बनाये गये या निर्धारित किसी भी कानून के अंतर्गत संघ और राज्य और किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। संसद ने 1971 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का डीपीसी अधिनियम (सीएजी डीपीसी अधिनियम) पारित किया था। सीएजी डीपीसी अधिनियम की धारा 16, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व और पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करने और स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों और क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत पालन किया जा रहा है, का प्राधिकार प्रदान करती है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली, 2007 (विनियम) में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

2.2 प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता

2.2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में मुख्यतः निम्नवत के बारे में प्रणालियों एवं क्रियाविधियों और उनकी प्रभावकारिता की जांच को शामिल किया जाता है:

- क. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर अपवंचन का पता लगाना और रोकना;
- ख. शास्तियों के उदग्रहण और अभियोग चलाने सहित विवेकाधिकार शक्तियों का उपयुक्त रूप से प्रयोग करना;
- ग. विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कार्रवाई;
- घ. राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने या सुधारने के लिए आरंभ किये गये कोई उपाय;
- ड. राशि जो बकाया में हो, बकाया के अभिलेखों का रख-रखाव और बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई कार्रवाई;

च. समुचित सावधानी से दावों का अनुसरण करना और यह सुनिश्चित करना कि उपयुक्त औचित्य और उचित प्राधिकार के अलावा उन्हें न तो परित्यक्त किया गया है और न ही कम किया गया है।

2.2.2 उपरोक्त को प्राप्त करने के लिए हमने वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा पूरे किये गए निर्धारणों की जांच की। इसके अतिरिक्त, पूर्व वर्षों में पूरे किये गए कुछ निर्धारणों को भी जांच के अंतर्गत रखा गया।

2.2.3 आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारितियों द्वारा फाईल किये गये रिटर्नों का आयकर विभाग नमूना संवीक्षा निर्धारण करता है। आयकर विभाग द्वारा निर्धारित और पूर्व परिभाषित मानदंडों के आधार पर कंप्यूटर एडिड संवीक्षा चयन (सीएसएस) द्वारा संवीक्षा के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) का चयन किया जाता है। तत्पश्चात इन मामलों का सही निर्धारण करने हेतु कटौतियों, हानियों, छूटों आदि के दावों के संबंध में गहनता से जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करों का कोई अपवंचन नहीं हुआ है। निर्धारिती को उसके दावे की पुष्टि का अवसर दिया जाता है जिसके विफल रहने पर निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) जैसा उचित समझे निर्धारण करता है। संवीक्षा मामलों के संबंध में प्रसंस्करण, पूर्णता और निर्धारण आदेश का सुधार कार्य निर्धारण सूचना प्रणाली (एसटी)/आयकर बिज़नेस एप्लीकेशन (आईटीबीए) मोड्यूल में निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाता है। एसटी/आईटीबीए अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर की गणना, ब्याज की गणना, समयबाधित नियंत्रण आदि देखता है। संवीक्षा निर्धारण, सुधार, अपील प्रभावी आदेश के मामले में आदेशों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रणाली में आंकड़ों का डेटा भरा जाता है। टीडीएस/टीसीएस और अग्रिम कर आदि के संबंध में निर्धारिती द्वारा किये गये भुगतान क्रमशः 26 एस एप्लीकेशन और ओल्टास एप्लीकेशन से स्वतः ही भरे जाते हैं।

संवीक्षा निर्धारण मामलों की जांच के आधार पर लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बार-बार विशेष प्रकार की अनियमितताओं को इंगित किये जाने के बावजूद भी निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरे किये संवीक्षा निर्धारणों के दौरान कर कानूनों और सीबीडीटी के अनुदेशों और निर्देशों का पालन करने में ये अनियमितताएँ बार-बार घटित हुईं जो कर प्रशासन की कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। अग्रलिखित पैराग्राफ में इनमें से कुछ मामलों पर चर्चा की गई है।

2.2.4 वि.व. 2017-18²⁶ के दौरान कुल 545.89 लाख रिटर्न फाईल की गई थी। आयकर विभाग ने उक्त वि.व. में 2,99,232 संवीक्षा निर्धारण उन युनिटों में, जिनकी लेखापरीक्षा वि.व. 2018-19 की लेखापरीक्षा योजना में की गई थी, पूरे किये। इन 2,99,232 संवीक्षा निर्धारणों में से हमने 2,72,110 निर्धारण मामलों की जांच की। इसके अतिरिक्त हमने वि.व. 2018-19 के दौरान 2017-18 से पिछले वित्तीय वर्षों में पूरे किए गए संवीक्षा निर्धारण के 1,59,388 मामलों में से 60,129 मामलों की भी लेखापरीक्षा की। 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित कुल संवीक्षा निर्धारण 3,32,239 थे और जिन संवीक्षा निर्धारणों में लेखापरीक्षा ने त्रुटियां पाई उनकी संख्या 19,768 थीं। वि.व. 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किये गये निर्धारणों में गलतियों की घटनायें 5.95 प्रतिशत थी जो कि विगत वर्ष के 6.45 प्रतिशत से कम थी। हमारे द्वारा लेखापरीक्षा किये गये संवीक्षा निर्धारणों के मामलों में से आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा में 18,747 मामलों की जांच की गई थी। चूंकि हमारे नमूने के अनुसार हमने केवल सीमित संख्या में ही निर्धारण मामलों/रिकॉर्ड देखे थे, मंत्रालय द्वारा न केवल नमूने के मामलों की अपितु संपूर्ण रूप से इन की जांच करने की आवश्यकता है।

2.2.5 निर्धारण में गलतियों की राज्य-वार संख्या परिशिष्ट-2.1 में दी गई हैं। नीचे तालिका 2.1 त्रुटियों वाले निर्धारणों की उच्चतम प्रतिशतता वाले 11 राज्यों के विवरण दर्शाती है जहाँ 10,000 से अधिक निर्धारणों की जांच वि.व. 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई थी।

²⁶ वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान दाखिल किए गए रिटर्न की कुल संख्या 444.02 लाख थी।

तालिका 2.1: 11 राज्यों का विवरण जिन में घटनाएं या त्रुटिपूर्ण आकलन उच्चतम हैं, जहां पर 10,000 से अधिक निर्धारणों की जांच की गई थी					(₹ करोड़ में)
राज्य	निर्धारण			लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल राजस्व प्रभाव	त्रुटियों वाले निर्धारणों का प्रतिशत
	2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों में पूर्ण किए गए	2018-19 के दौरान लेखा परीक्षा में जांचे गये	त्रुटियों के साथ		
क. तमिलनाडु	23,843	20,466	1,899	2,373.66	9.28
ख. कर्नाटक	12,737	12,342	1,071	6,380.78	8.68
ग. मध्य प्रदेश	25,626	20,091	1,512	4,750.27	7.53
घ. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	25,620	22,160	1,548	1,412.90	6.99
इ. केरल	11,080	10,770	725	251.16	6.73
च. गुजरात	16,291	15,923	1,049	2,146.06	6.59
छ. पश्चिम बंगाल	42,078	39,632	2,271	2,313.85	5.73
ज. महाराष्ट्र	1,60,227	75,596	3,502	18,816.02	4.63
झ. राजस्थान	15,530	14,988	665	170.26	4.44
ण. दिल्ली	42,378	32,794	1,372	1,373.40	4.18
त. उत्तर प्रदेश	26,617	26,257	884	1,127.25	3.37

यह दर्शाता है कि तमिलनाडू में गलतियों वाले निर्धारणों की प्रतिशतता उच्चतम (9.28 प्रतिशत) थी जिसके बाद कर्नाटक (8.68 प्रतिशत) आता है। आयकर विभाग द्वारा निर्धारणों में पाई गई त्रुटियों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

2.2.6 नीचे दी गई तालिका 2.2 में वि.व. 2018-19 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा में देखी गई आपत्तियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: निर्धारणों में आपत्तियों का कर-वार विवरण		(₹ करोड़ में)
श्रेणी	आपत्तियों की संख्या	कर प्रभाव (टीई)
क. निगम कर (सीटी) और आय कर (आईटी)	21,266	44,920.89 ²⁷
ख. अन्य प्रत्यक्ष कर (ओडीटी)	267	11.25
कुल	21,533	44,932.14

नोट: उपरोक्त निष्कर्ष तथा सभी अनुवर्ती निष्कर्ष विशेष रूप से चयनित निर्धारणों की लेखापरीक्षा पर आधारित है।

²⁷ ₹ 752.25 करोड़ के कर प्रभाव के अधिक निर्धारण के 393 मामले शामिल हैं।

2.2.7 नीचे दी गई तालिका 2.3 निगम कर और आय कर से संबंधित कम निर्धारण से संबंधित आपत्तियों के वर्ग-वार ब्यौरे दर्शाती है। परिशिष्ट-2.2 उनके तहत उप-श्रेणियों के संबंध में ब्यौरे दर्शाता है।

तालिका 2.3: कम निर्धारण से संबंधित आपत्तियों का श्रेणी-वार विवरण		(₹ करोड़ में)
श्रेणी	आपत्तियों की संख्या	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	7,504	9,768.64
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	6,407	18,533.62
ग. त्रुटियों के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय	2,536	6,939.74
घ. अन्य	4,426	8,926.64
कुल	20,873	44,168.64

2.3 निगम कर और आय कर निर्धारण मामलों के संबंध में सतत् और व्यापक अनियमितताएं

निर्धारण अधिकारियों (एओ) द्वारा पूरे किये गये निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाई गई अननुपालना और अनियमितताओं की घटनाएं प्रत्येक वर्ष हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट- राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर में दर्शाई जाती है। यदि कोई अनियमितता साल दर साल होती है तो वह सतत् समझी जाती है। यदि वह समस्त प्रणाली को प्रभावित करती है और कई निर्धारण क्षेत्राधिकारों में फैल जाती है तो यह व्यापक कहलाती है। हमने वर्ष दर वर्ष अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में निगम और आय कर मामलों के निर्धारण के संबंध में विभिन्न अनियमितताएं बताई हैं और सतत तथा व्यापक दोनों प्रतीत होने वाली इन अनियमितताओं में से कुछ अनियमितताएं निम्नलिखित से संबंधित हैं:

- (i) मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूंजीगत हानियों आदि को अनुमत करने में अनियमितताएं,
- (ii) कारोबार व्यय की गलत अनुमति की घटनाएं,
- (iii) अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज, और
- (iv) मेट/टनेज टैक्स आदि सहित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत त्रुटियां।

लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बार-बार इंगित किये जाने के बावजूद, अनियमितताओं का बार-बार होना न केवल ऐसी दोहराई जाने वाली गलतियों के होने को रोकने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त प्रणाली संस्थापित करने के लिए गंभीर न होने का संकेत है अपितु यह प्रभावी निगरानी में कमी तथा प्रणालीबद्ध और

संरचनात्मक कमियों से निपटने के लिए संस्थागत तंत्र की कमी को भी दर्शाता है जिसके कारण राजस्व की हानि होती है। लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जो 2019-20 के दौरान ड्राफ्ट पैरा के रूप में मंत्रालय को जारी की गईं, के साथ-साथ वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट²⁸ में शामिल की गईं लेखापरीक्षा आपत्तियों का विश्लेषण गलतियों के सतत और व्यापक होने की जांच करने के लिए किया गया। यद्यपि विभिन्न राज्यों में देखी गई अनियमितताओं से राज्यों के बीच इनके घटित होने के किसी विशेष पैटर्न का पता नहीं चलता है, वे अन्य राज्यों की अपेक्षा कुछ राज्यों में बार-बार हो रही थी; ये घटनाएं महाराष्ट्र में लगातार ज्यादा होती देखी गई थीं।

उपर्युक्त निर्दिष्ट श्रेणियों में बताई गई ऐसी अनियमितताओं के मामलों की चर्चा नीचे की गई है।

2.3.1 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूंजीगत हानियां आदि अनुमत करने में अनियमितताएं

हमने कारोबार हानियों, पूंजीगत हानियों और अनावशोषित मूल्यहास को गलत अनुमत करने और समायोजित करने, मूल्यहास आदि की गलत अनुमति आदि से संबंधित अनियमितताएं देखीं। ऐसी त्रुटियों की प्रकृति में निम्नलिखित शामिल थी:

- (i) अग्रेषित कारोबार हानियों और अनावशोषित मूल्यहास, जहां पूर्व निर्धारण वर्षों (एवाई) के संबंध में कोई हानि उपलब्ध नहीं थी; को समायोजित करने की गलत अनुमति,
- (ii) गलत आंकड़ों को अपनाना जैसे मौजूदा निर्धारण वर्ष में रिटर्न्ड हानि के रूप में पूर्व वर्षों की कारोबार हानि को अपनाना,
- (iii) कारोबार हानि को अग्रेनित करने की गलत अनुमति जबकि उक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय कर रिटर्न; रिटर्न फाईल करने की निर्धारित तिथि के बाद जमा की गई थी,
- (iv) मूल्यहास के संबंध में दोहरी कटौती आदि।

निर्धारण अभिलेखों के परस्पर मिलान न करने के कारण ये अनियमितताएं हुईं जो उचित सावधानी बरतने और विधि का अनुपालन करने में निर्धारण

²⁸ सीएंडएजी की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (संघ सरकार - राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर) 2017 की संख्या 2 (मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु), 2017 की संख्या 40 (मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए) और 2019 की संख्या 9 (मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए)।

अधिकारी की विफलता को दर्शाती है। 2015-16 से 2017-18 के दौरान मूल्यहास/कारोबार हानियों/ पूंजीगत हानियों आदि की अनुमति में देखी गई त्रुटियों को, जिन्हें विगत तीन वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया गया था, मौजूदा वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2018-19) के निष्कर्षों सहित नीचे तालिका 2.4 में सारबद्ध किया गया है।

तालिका 2.4: मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूंजीगत हानियों आदि की अनुमति देने में पाई गई गलतियां							(₹ करोड़ में)	
निर्धारण	निम्न को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट							
	मार्च 2016		मार्च 2017		मार्च 2018		मार्च 2019	
	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटि की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटि की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटि की संख्या	कर प्रभाव
सीटी	71 ²⁹	590.75	81 ³⁰	1,144.10	66 ³¹	1,796.86	75	2,655.15
आईटी	9	15.72	9	24.41	7 ³²	9.19	14	21.29

2015-16 के दौरान, इस संबंध में अननुपालना, मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूंजीगत हानियों आदि के गलत अनुमति के संबंध में निगम कर पर ड्राफ्ट पैरा के कुल कर प्रभाव के संबंध में सर्वाधिक महाराष्ट्र में 63 प्रतिशत थी। 2016-17 के दौरान, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (36 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (32 प्रतिशत) में सर्वाधिक थी। 2017-18 के दौरान, इस संबंध में अनियमितताएं महाराष्ट्र (58 प्रतिशत) में सर्वाधिक थी और 2018-19 के दौरान, ये बिहार (38.6 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (34 प्रतिशत) में सर्वाधिक थी। इसके अतिरिक्त, त्रुटियों का कर प्रभाव जो मार्च 2016 में ₹ 590.75 करोड़ था, से बढ़ कर मार्च 2019 में ₹ 2,655.15 करोड़ हो गया जो इस अवधि में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

आयकर के संबंध में, 2015-16 के दौरान मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूंजीगत हानियों आदि की गलत अनुमति के संबंध में आयकर पर ड्राफ्ट पैरा के कुल कर प्रभाव के 68 प्रतिशत पर ऐसी अनियमितताएं सर्वाधिक महाराष्ट्र में थीं। 2016-17 के दौरान, इस संबंध में कर प्रभाव सर्वाधिक बिहार (67 प्रतिशत)

²⁹ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

³⁰ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

³¹ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

³² बिहार, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।

में और 2017-18 के दौरान महाराष्ट्र (67 प्रतिशत) में थी। 2018-19 के दौरान, ये अनियमितताएं सर्वाधिक बिहार (30 प्रतिशत) में थीं।

2.3.2 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-कारोबार व्यय की गलत अनुमति

हमने कारोबार व्यय के अयोग्य दावों जैसे पूंजीगत व्यय, अदा न किये गये दावे और अनिश्चित देयता के रूप में माने गये प्रावधान आदि की गलत अनुमति से संबंधित अनियमितताएं देखीं। मौजूदा वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2018-19) के निष्कर्षों सहित 2015-16 से 2017-18 के दौरान देखी गई व्यय की गलत अनुमति की त्रुटियों को जिन्हें विगत तीन वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाया गया है, नीचे तालिका 2.5 में सारबद्ध किया गया है।

तालिका 2.5: कारोबार व्यय की अनुमति में देखी गई त्रुटियां (₹ करोड़ में)								
निर्धारण	निम्न को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट							
	मार्च 2016	मार्च 2017		मार्च 2018		मार्च 2019		
	त्रुटि की संख्या	कर प्रभाव संख्या	त्रुटि की संख्या	कर प्रभाव संख्या	त्रुटि की संख्या	कर प्रभाव संख्या	त्रुटि की संख्या	
सीटी	47 ³³	514.09	50 ³⁴	478.67	48 ³⁵	875.47	49	764.39

2015-16 के दौरान, ऐसी अनियमितताएं सर्वाधिक महाराष्ट्र (कारोबार व्यय की गलत अनुमति से संबंधित ड्राफ्ट पैराग्राफों के कुल कर प्रभाव का 23 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (30 प्रतिशत) में थीं। 2016-17 के दौरान, इस संबंध में अननुपालना सर्वाधिक महाराष्ट्र (64 प्रतिशत) में थी, जबकि 2017-18 में ऐसी अननुपालना सर्वाधिक महाराष्ट्र (60 प्रतिशत) और तमिलनाडु (28 प्रतिशत) में थी। 2018-19 के दौरान, इस संबंध में अनियमितताएं सर्वाधिक महाराष्ट्र (47 प्रतिशत) और कर्नाटक (22.5 प्रतिशत) में थीं।

2.3.3 निर्धारणों की गुणवत्ता-अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज

हमने गणना की त्रुटियों, पहले से जारी/समायोजित प्रतिदाय पर विचार नहीं करने, प्रतिदाय पर ब्याज की अधिक गणना आदि के कारण होने वाले अधिक

³³ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

³⁴ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

³⁵ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र।

या अनियमित प्रतिदाय या प्रतिदाय पर ब्याज से उद्भूत होने वाली अनियमितताएं पाईं। 2015-16 से 2017-18 के दौरान इस श्रेणी में होने वाली त्रुटियां, जो पिछले तीन वर्ष के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शायी गयी थी, के साथ वर्तमान वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2018-19) के निष्कर्षों को नीचे तालिका 2.6 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.6: अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज		(₹ करोड़ में)						
निर्धारण	निम्न को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2016		मार्च 2017		मार्च 2018		मार्च 2019	
	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव
सीटी	6 ³⁶	49.46	6 ³⁷	50.35	4 ³⁸	30.98	5	1114.29
आईटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	0.11

2015-16 के दौरान, केरल (निगम कर और आयकर पर अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज से संबंधित डीपी के कुल कर प्रभाव का 78 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (17 प्रतिशत) में ऐसी अनियमितताएँ सबसे अधिक थीं जबकि 2016-17 में यह कर्नाटक (78 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (22 प्रतिशत) में सबसे अधिक पायीं गयीं। 2017-18 के दौरान, यह महाराष्ट्र में 100 प्रतिशत पाई गई। 2018-19 के दौरान, ये अनियमितताएँ कर्नाटक में उच्चतम (99.6 प्रतिशत)³⁹ थीं।

2.3.4 त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गयी आय - मैट/टनेज टैक्स आदि सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत त्रुटियां

हमने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर उद्ग्रहण में गलतियों से संबंधित अनियमितताओं को देखा, जो निम्न के कारण थीं:

- (i) बही लाभ की गणना में त्रुटियाँ,
- (ii) बही लाभ की गणना के लिए सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत अस्वीकृत व्यय पर विचार नहीं करना,
- (iii) बही लाभ की गणना के लिए निर्दिष्ट व्यय पर विचार नहीं करना,

³⁶ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

³⁷ कर्नाटक और महाराष्ट्र

³⁸ महाराष्ट्र

³⁹ जहां कहीं महत्वपूर्ण का उल्लेख हो वहां केवल कुल कर प्रभाव के संदर्भ में है और न कि मामलों की संख्या के संबंध में।

(iv) विशेष प्रावधानों आदि के बजाय सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाना।

2015-16 से 2017-18 के दौरान ध्यान में आई अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत गलतियां, जो कि पिछले तीन वर्षों के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाई गई थी, के साथ चालू वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2018-19) के निष्कर्षों को नीचे तालिका 2.7 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.7: मैट/टनेज भार कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत त्रुटियां							(₹ करोड़ में)	
निर्धारण	निम्न को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2016		मार्च 2017		मार्च 2018		मार्च 2019	
	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव	त्रुटियों की सं.	कर प्रभाव
सीटी	13 ⁴⁰	62.35	1 ⁴¹	2.06	28 ⁴²	100.43	22	447.85
आईटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1 ⁴³	0.22	2	1.26

2015-16 के दौरान इस संबंध में गैर-अनुपालन उत्तर प्रदेश (निगम कर और आयकर पर मैट/टनेज भार कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत त्रुटियों के डीपी के कुल कर प्रभाव का 52 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (23 प्रतिशत) में सबसे अधिक⁴⁴ पाया गया। 2016-17 में, महाराष्ट्र में 100 प्रतिशत गैर-अनुपालन था जबकि 2017-18 में महाराष्ट्र (48 प्रतिशत) और कर्नाटक (13 प्रतिशत) में इस तरह का गैर-अनुपालन सबसे अधिक था। 2018-19 के दौरान, दिल्ली (68.8 प्रतिशत) में ये अनियमितताएँ सबसे अधिक थीं। इन मामलों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2018-19 के लिए डीपी के रूप में रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा, त्रुटियां का कर प्रभाव मार्च 2016 में ₹ 62.35 करोड़ से बढ़कर मार्च 2019 में ₹ 447.85 करोड़ हो गया जो इस अवधि के दौरान 600 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

कर कानूनों और सीबीडीटी के अनुदेशों और निर्देशों का पालन न करना, कर प्रशासन की दक्षता को प्रभावित करने वाले प्रमुख जोखिम वाले क्षेत्रों में से

⁴⁰ दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

⁴¹ महाराष्ट्र

⁴² आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

⁴³ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश;

⁴⁴ जहां कहीं भी महत्वपूर्ण का उल्लेख किया गया है, वह केवल कुल कर प्रभाव के संदर्भ में है, न कि मामलों की संख्या के संदर्भ में।

एक है। इस में सुधार करने के लिए, कुशल प्रसंस्करण और निर्धारण के सभी चरणों में बेहतर अनुपालन के लिए पिछले वर्षों में विभागीय प्रणालियों और प्रक्रियाओं को काफी कम्प्यूटरीकृत किया गया है। आयकर विभाग पूर्व निर्धारित पैरामीटरों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच जांच के लिए सीएएसएस (CASS) के माध्यम से मामलों का चयन करता है। संवीक्षा निर्धारण के दौरान, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती से आवश्यक जानकारी मांगता है और अधिनियम के लागू प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उनकी जांच करता है। हालाँकि, जैसा कि उपरोक्त विश्लेषण से देखा गया है, गैर-अनुपालन के जोखिम अभी भी उपरोक्त क्षेत्रों में मौजूद हैं जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष-दर-वर्ष इस ओर इंगित करने के बावजूद काफी समय से इस प्रकार की अनियमितताओं की निरन्तरता से संकेत मिलते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि एओ को सदृश अथवा समरूप त्रुटियों की पुनरावृत्ति को, यदि समाप्त न किया जा सके तो कम से कम करने के लिए अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कोई प्रणाली नहीं है।

निष्कर्ष और सिफारिश

उपरोक्त विश्लेषण से और हमारे पिछले अनुभवों से भी यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा में बताए जाने के बावजूद कर योग्य आय की गणना में समान प्रकार की त्रुटियों की पुनः आवर्तिता और पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक प्रणालियां और प्रक्रियाएं विभाग में अनुपस्थित थी। जब निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण निर्धारण में देखी गई ऐसी अनियमितता को लेखापरीक्षा में बताया जाता है तो यह अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में निर्धारण में इस प्रकार की अनियमितताओं और त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त कदम, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्दे नजर कि अब निर्धारण अधिकारी द्वारा संवीक्षा निर्धारण प्रणाली पर किए जा रहे हैं, जो इन मामलों में दिखाई नहीं दिए।

यह अनुशंसा की जाती है कि आईटी विभाग (i) निर्धारण अधिकारी की जवाब देही तय करें (ii) प्रणाली और प्रक्रियात्मक जाँच स्थापित करने के अलावा, तदनुसार अपनी प्रणाली के बिजनस रूल्स की मैपिंग में सुधार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समान प्रकार की अनियमितताओं के पुनरावृत्ति का जोखिम कम से कम हो।

2.4 लेखापरीक्षा उत्पाद और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.4.1 लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों में लेखापरीक्षित ईकाइयों से हम प्रतिक्रिया मांगते हैं। फील्ड लेखापरीक्षा पूरा होने पर विनियम 193 के प्रावधान के अनुसार, हम टिप्पणियों के लिए आयकर विभाग को स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) जारी करते हैं।

2.4.2 नीचे तालिका 2.8 में वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जारी एलएआर में शामिल अभ्युक्तियों की संख्या और उन पर प्राप्त उत्तरों और स्वीकार की गयी अभ्युक्तियों (संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को) की स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: स्थानीय लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया						
वित्तीय वर्ष	जारी की गई अभ्युक्तियां	प्राप्त उत्तर		उत्तर प्राप्त नहीं हुआ	स्वीकृत अभ्युक्तियों का प्रतिशत	उत्तर प्राप्त नहीं होने का प्रतिशत
		स्वीकृत अभ्युक्तियां	अस्वीकृत अभ्युक्तियां			
2016-17	22,579	4,074	3,546	14,959	53.46	66.25
2017-18	24,502	3,983	2,882	17,637	58.02	71.98
2018-19	21,533	3,357 ⁴⁵	2,743	15,433	55.03	71.67

उपरोक्त तालिका 2.8 से यह देखा जा सकता है कि उत्तर प्राप्त नहीं होने का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 66.25 प्रतिशत से निरंतर वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 71.67 प्रतिशत हो गया ।

2.4.3 नीचे दी गई तालिका 2.9 लंबित अभ्युक्तियों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 2.9: बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)								
अवधि	सीटी		आईटी		ओडीटी		कुल	
	सं.	टीई	सं.	टीई	सं.	टीई	सं.	टीई
मार्च 2017 तक	15,845	58,688.78	12,305	8,923.22	1,855	361.24	30,005	67,973.24
मार्च 2018	6,370	21,241.47	7,443	3,903.89	308	227.76	14,121	25,373.12
मार्च 2019	3,407 ⁴⁶	18,817.95	5,448	7,362.39	136	7.97	8,991	26,188.31
कुल	25,622	98,748.20	25,196	20,189.50	2,299	596.97	53,117	1,19,534.67

⁴⁵ 1,236-अभ्युक्तियां स्वीकार की गईं और सुधारात्मक कार्यवाही की गई; 2,121-अभ्युक्तियों को स्वीकार किया गया लेकिन सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई

⁴⁶ अभ्युक्तियों के जारी होने के छह महीने बाद अभ्युक्तियां लंबित हो जाती हैं

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर लम्बन में वृद्धि के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 तक ₹ 1,19,534.67 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 53,117 मामले एकल हो गये।

लेखापरीक्षा विनियम 202 और 203 में निरीक्षण रिपोर्ट/लेखापरीक्षा टिप्पणियों में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर पर्याप्त, ठोस और समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली और क्रिया विधियों की स्थापना और लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने और निपटान के लिए लेखापरीक्षा समितियों की स्थापना करने की अपेक्षा की गयी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित अवधि में लेखापरीक्षा को उत्तर भेजे गए हैं, विभाग का प्रयास संतोषजनक नहीं है। लेखापरीक्षा विनियमों के प्रावधानों का आयकर विभाग द्वारा अक्षरशः अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है।

2.4.4 हम विनियम 205 से 209 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने से पहले टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को लेखापरीक्षा में पाए गए महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य के मामले जारी करते हैं। हम मंत्रालय को, जारी किए गए मामलों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने से पहले, उन पर अपनी टिप्पणी देने के लिए छह सप्ताह का समय देते हैं। हमने इस रिपोर्ट के अध्याय III और IV में 393 उच्च मूल्य वाले मामलों को शामिल किया है, जिनमें से 30 जून 2020 तक 190 मामलों पर उत्तर प्राप्त हुए थे। मंत्रालय/आयकर विभाग ने 174 मामलों⁴⁷ (91.5 प्रतिशत) को स्वीकार किया जिनमें ₹ 2,326.90 करोड़ (92.8 प्रतिशत) का कर प्रभाव शामिल था, जबकि उसने ₹ 180.75 करोड़ के कर प्रभाव वाले 16 मामलों⁴⁸ को स्वीकार नहीं किया था। ₹ 5,873.14 करोड़ के कर प्रभाव वाले शेष 203 मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तालिका 2.10 में इन मामलों⁴⁹ का श्रेणीवार विवरण दिखाया गया है।

⁴⁷ मंत्रालय-96 मामले; आयकर विभाग-78 मामले

⁴⁸ मंत्रालय-7 मामले; आयकर विभाग-9 मामले

⁴⁹ उपश्रेणीवार - विवरण परिशिष्ट-2.3 में दिए गए हैं

तालिका 2.10: उच्च मूल्य के मामलों की त्रुटियों का श्रेणी-वार विवरण					(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	सीटी		आईटी		कुल	
	सं.	टीई	सं.	टीई	सं.	टीई
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	51	1,477.60	29	19.05	80	1,496.65
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	176	5,456.76	30	121.72	206	5,578.48
ग. त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गयी आय	77	1,043.41	17	26.27	94	1,069.68
घ. कर/ब्याज का अधिभार	12	232.66	1	3.32	13	235.98
कुल	316	8,210.43	77	170.36	393	8,380.79

2.4.5 अध्याय III और IV में क्रमशः निगम कर और आयकर के संबंध में निर्धारण में त्रुटियों का विवरण दिया गया है। इसके अलावा, अध्याय V में 'अधिनियम की धारा 234ए, 234बी, 234सी और 244ए के अंतर्गत ब्याज' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (SSCA) पर हमारी रिपोर्ट दी गयी है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि ब्याज की गलत गणना या तो एएसटी में प्रणालीगत कमियों के कारण या निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत हस्तक्षेप/ गणना के कारण हुई थी। एएसटी में मैनुअल हस्तक्षेप की उपलब्धता का दुरुपयोग निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिक राशि पर ब्याज को संशोधित करने के माध्यम से किया गया था, जिसके कारण निर्धारिती के प्रतिदाय को अवरुद्ध किया गया था। ब्याज की गणना के संबंध में प्रणाली की कमी अभी भी नए एप्लीकेशन, अर्थात् इन्कम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन में बनी हुई थी।

2.4.6 इसके अलावा, 'पेनी स्टॉक्स पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ' पर एक दीर्घ ड्राफ्ट पैराग्राफ को इस रिपोर्ट के अध्याय VI में अलग से शामिल किया गया है। इस अध्याय में आयकर निदेशालय (जांच) कोलकाता द्वारा अपनी रिपोर्ट 'प्रोजेक्ट बीएसई में लिस्टेड पेनी स्टॉक्स के माध्यम से बोगस एलटीसीजी/एसटीसीएल' और नियंत्रण का अभाव, यदि कोई हो, में चिह्नित लाभार्थियों द्वारा दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) के दावे के निर्धारण में कमियों पर मुंबई क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों की एक नमूना जांच की लेखापरीक्षा अभियुक्तियां शामिल हैं।

2.5 लेखापरीक्षा प्रभाव

लेखापरीक्षा के कहने पर संशोधन

2.5.1 हमने लेखापरीक्षा के प्रभाव के परिणाम का, जो हमारी लेखापरीक्षा अभियुक्तियों/सिफारिशों के आधार पर आयकर अधिनियम और नियमों में संशोधनों के रूप में होता है, का अध्ययन किया। वि.व. 2017-18 के दौरान, निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट यथा 2017 की रिपोर्ट संख्या 27- "निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम/मेडिकल क्लिनिक, मेडिकल कॉलेज/अनुसंधान संस्थान, नैदानिक केंद्र, पैथोलॉजिकल लैब और अन्य चिकित्सा आपूर्ति एजेंसियों/स्टोर्स का निर्धारण" को संसद में प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित पैराग्राफ 2.5.2 से 2.5.5 में लेखापरीक्षा के प्रभाव को बताया गया है।

2.5.2 महाराष्ट्र में स्थित ट्रस्ट अस्पतालों के एक नमूने की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (बीपीटी एक्ट) में निर्दिष्ट शर्तों को कुछ मामलों में पूरा नहीं किया गया था, तथापि ऐसे ट्रस्टों⁵⁰ को छूट प्रदान की गई थी। आयकर अधिनियम, हालांकि बीपीटी अधिनियम के गैर-अनुपालन को छूट से इनकार करने के लिए एक आधार के रूप में स्वीकार नहीं करता था और आयकर अधिनियम में मापने और आंकने योग्य आधार जैसे बीपीटी अधिनियम के अंतर्गत वर्णित है, पर धर्मार्थ संस्थानों की पहचान और वर्गीकृत करने के लिए अपने स्वयं के मापदंड नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में, राज्य के लागू अधिनियमों में निर्धारित धर्मार्थ के मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले ट्रस्ट आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट का दावा करने में सक्षम थे। इसके अलावा ऐसे मामलों में जहां ट्रस्ट निर्धारिती की पंजीकरण स्थिति राज्य कानूनों के अंतर्गत बदल जाती है, यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या आयकर विभाग के पास इस तरह के मामलों में पहले से दी गई छूट से निपटने के लिए कोई तंत्र था।

2.5.3 ऐसे ट्रस्टों को अपने उद्देश्यों से भटकने से रोकने के लिए, पीसीआईटी को किसी अन्य कानून, जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं, की अपेक्षाओं का उल्लंघन करने वाले ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द करने के लिए, सुनाई देने का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2019 में अधिनियम की धारा 12एए में एक संशोधन किया गया है।


⁵⁰ 2017 की रिपोर्ट सं.27 का पैरा सं.3.2.1

2.5.4 लेखापरीक्षा ने देखा⁵¹ कि 10 प्रतिशत मामलों में धारा 80 जी (दान के लिए दान प्राप्त कर्ता द्वारा दानदाताओं को जारी की गई रसीदें) प्रमाण पत्र उपलब्ध थे। शेष मामलों में प्राप्त दान की केवल एक सूची उपलब्ध थी। सेक्शन 80जी प्रमाण पत्र के अभाव में, यह स्पष्ट नहीं था कि निर्धारण अधिकारी ने दान प्राप्तियों को दावों के सापेक्ष किस प्रकार प्रति सत्यापित किया। दानदाताओं और दान लेने वालों द्वारा किए गए दावों के प्रति सत्यापन के लिए तंत्र की अनुपस्थिति में अयोग्य निर्धारितियों को कटौती मिलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था। इसलिए, लेखापरीक्षा ने सिफारिश⁵² की थी कि सीबीडीटी एक निश्चित सीमा से ऊपर 80जी प्रमाण पत्र की स्वचालित उत्पत्ति शुरू करने की संभावना पर विचार करे।

2.5.5 उपरोक्त समस्या को हल करने के लिए, 2020 में धारा 80जी में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया कि दान प्राप्त करने वाली संस्थाएँ प्राप्त दान का विवरण दाखिल करेंगी और दानकर्ता को एक प्रमाण-पत्र जारी करेंगी।

2.6 लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली

आयकर विभाग ने हमारे द्वारा इंगित की गई निर्धारणों में त्रुटियों को दूर करने के लिए उठाई गई मांग से पिछले तीन वर्षों (चार्ट 2.1) में ₹ 657.94 करोड़ की वसूली की। इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में वसूल किए गए ₹ 107.56 करोड़ शामिल हैं।



⁵¹ 2017 की रिपोर्ट सं.27 का पैरा सं.3.2.5

⁵² 2017 की रिपोर्ट सं.27 का पैरा सं.3.5 (iii)

2.7 कालबाधित मामले

2.7.1 नीचे दी गयी तालिका 2.11 में वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कालबाधित मामलों⁵³ का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 2.11: कालबाधित मामलों का विवरण		(₹ करोड़ में)
रिपोर्ट का वर्ष	मामले	कर प्रभाव
2016-17	2,243	1,637.81
2017-18	2,739	2,735.17
2018-19	1,961	2,237.05

2.7.2 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 2,237.04 करोड़ के कर प्रभाव वाले 1,961 मामले सुधारात्मक कार्यवाही के लिए कालबाधित हो गए, जिनमें से अकेले ओडिशा में इस कर प्रभाव का 28.91 प्रतिशत है जिसके बाद 26.29 प्रतिशत पर पश्चिम बंगाल है। परिशिष्ट-2.4 वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ऐसे मामलों का राज्यवार विवरण दर्शाता है। ऐसे मामलों में समय पर सुधारात्मक कार्यवाही नहीं करने के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समय पर सुधारात्मक कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

2.8 बेमेल टीडीएस

स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) संव्यवहार होने पर राजस्व के संग्रहण को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। टीडीएस संग्रहण जो कि वि.वर्ष. 2016-17 में ₹ 3.43 लाख करोड़ था, यह वि.वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹ 4.51 लाख करोड़ तक हो गया था और अब यह अपने निरंतर बढ़ते महत्व को बल देते हुए सकल प्रत्यक्ष कर के 35 प्रतिशत से अधिक तक अपना योगदान दे रहा है। टीडीएस का सबसे बड़ा घटक वेतन भुगतान पर टीडीएस है तथा यह विगत तीन वर्षों में लगभग 43 प्रतिशत तक रहा है।

2.8.1 बेमेल टीडीएस के मामले

टीडीएस के दो उद्देश्य नामतः अग्रिम में कर संग्रहण अर्थात वित्तीय वर्ष के अंत से पहले (अर्थात 31 मार्च) तथा संव्यवहार की पहचान का सृजन है ताकि प्राप्तकर्ता के हाथों में संव्यवहार से संबंधित आय लापता या असूचित न रहें। इसके तीन घटक हैं:

क. भुगतान करने वाली पार्टी (कटौतीकर्ता);

⁵³ संबंधित नि.व. के अंत से छह वर्ष बाद मामले को फिर से खोलने के लिए धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।

- ख. भुगतान प्राप्त वाली पार्टी (कटौती कराने वाला); और
ग. आय कर विभाग

निर्धारिती फॉर्म 16/16ए और 26एएस में उसके पास उपलब्ध विवरण के अनुसार आय की अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। तथापि, कर क्रेडिट उसके कर सूचना नेटवर्क (टिन) (जिसमें अग्रिम कर, स्वयं-निर्धारण कर, नियमित कर और साथ-साथ टीडीएस भुगतान के विवरण होते हैं) में उपलब्ध विवरण के अनुसार आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा दिया जाता है। जब भी निर्धारिती द्वारा टीडीएस कटौती का किया गया दावा टिन के साथ मेल नहीं खाता है तो यह बेमेल टीडीएस का मामला बन जाता है। ऐसे बेमेल टीडीएस क्रेडिट के कारण, आयकर विभाग द्वारा राजस्व की प्राप्ति या अपने दावे के पक्ष में कटौतीकर्ता द्वारा जारी किये गये फॉर्म 16/16ए के होने के बावजूद निर्धारिती (करदाता) को मना कर दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, प्रतिदायों की अनुमति नहीं दी जाती और कर हेतु निष्फल मांग भी की जाती है जिसके परिणामस्वरूप करदाता का परिहार्य शोषण होता है।

वि.वर्ष 2016-17 से वि.वर्ष 2018-19 हेतु बेमेल टीडीएस के मामले नीचे दिये गये हैं:

तालिका 2.12 फॉर्म 26एएस में उपलब्ध टीडीएस राशि और (₹ करोड़ में) आईटीआर में सूचित के बीच पैर स्थितिवार अंतर				
वि.वर्ष	पैर स्थिति ⁵⁴	आईटीआर द्वारा सूचित बेमेल टीडीएस वाले पैर की संख्या	दावाकृत टीडीएस राशि	फॉर्म 26एएस में उपलब्ध टीडीएस राशि
2016-17	पी	2,27,738	1,772.42	1,249.04
	अन्य	1,07,344	11,344.63	10,361.63
	कुल	3,35,082	13,117.05	11,610.67
2017-18	पी	11,73,933	6,580.21	5,854.92
	अन्य	1,90,642	12,095.03	10,431.68
	कुल	13,64,575	18,675.24	16,286.60
2018-19	पी	2,318	2.12	2.19
	अन्य	3	0.01	0.02
	कुल	2,321	2.13	2.21
कुल योग		17,01,978	31,794.42	27,899.48
स्रोत: आयकर विभाग				

⁵⁴ पी- व्यक्तियों; अन्य में शामिल कंपनी, व्यक्तियों का संगठन, वैयक्तिक निकाय, फर्म, सरकारी प्राधिकरण, एचयूएफ, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण;

उपरोक्त से यह भी देखा जा सकता है कि अधिकतर निर्धारितियों जिन्होंने बेमेल टीडीएस मामलों का सामना किया वे वैयक्तिक करदाता हैं, उनमें से अधिकतर वेतन प्राप्त करने वाले लोग हैं।

2.8.2 बेमेल टीडीएस की प्रकृति

बेमेल टीडीएस फॉर्म 26एएस में उपलब्ध राशि एवं निर्धारिती द्वारा आईटीआर के माध्यम से दावा किए गए अंतर के कारण है। बेमेल टीडीएस (i) फॉर्म 26एएस में राशि, निर्धारिती द्वारा आईटीआर के माध्यम से दावा की गई राशि से अधिक हैं और (ii) आईटीआर में निर्धारिती द्वारा दावा की गई राशि, फार्म 26एएस में राशि से अधिक है।

उन मामलों की संख्या जहां फॉर्म 26एएस में उपलब्ध राशि वि.वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान वैयक्तिक निर्धारितियों द्वारा दावित टीडीएस राशि से कम थी, वे कुल बेमेल मामलों का 65 प्रतिशत थे।

निम्नलिखित तालिका 2.13 वे मामले दर्शाती है जहां फॉर्म 26एएस में उपलब्ध राशि वि.वर्ष 2016-17 से वि.वर्ष 2018-19 के दौरान वैयक्तिक निर्धारितियों द्वारा दावा की गई टीडीएस राशि से अधिक थी।

तालिका 2.13: अंतर जहां फॉर्म 26एएस में उपलब्ध टीडीएस राशि आईटीआर से अधिक थी				(₹ करोड़ में)
वि. वर्ष	आईटीआर द्वारा सूचित बेमेल टीडीएस वाले पैर की संख्या	दावित टीडीएस राशि	फॉर्म 26एएस में उपलब्ध टीडीएस राशि	अंतर (फॉर्म 26एएस में उपलब्ध टीडीएस राशि - दावित टीडीएस राशि)
2016-17	64,972	203.42	325.19	121.77
2017-18	4,26,851	1,681.10	1,765.30	84.20
2018-19	1,444	0.90	1.44	0.54
कुल योग	4,93,264	1,85.42	2,091.93	206.51

स्रोत: आयकर विभाग

तालिका 2.14 वे मामले दर्शाती है जहां फॉर्म 26एएस में उपलब्ध राशि वि.वर्ष 2016-17 से वि.वर्ष 2018-19 के दौरान वैयक्तिक निर्धारितियों द्वारा किये गये टीडीएस दावों से कम थी।

तालिका 2.14: अंतर जहां फॉर्म 26एएस में उपलब्ध टीडीएस राशि आईटीआर से कम थी				(₹ करोड़ में)
वि. वर्ष	आईटीआर द्वारा सूचित बेमेल टीडीएस वाले पैन की संख्या	दावित टीडीएस राशि	फॉर्म 26एएस में उपलब्ध टीडीएस राशि	अंतर (फॉर्म 26एएस में उपलब्ध टीडीएस राशि - दावित टीडीएस राशि)
2016-17	1,62,766	1,569.00	923.85	(-) 645.15
2017-18	7,47,082	4,899.11	4,089.62	(-) 809.49
2018-19	877	1.22	0.75	(-) 0.47
कुल योग	9,10,725	6,469.33	5,014.22	(-) 1,455.11
स्रोत: आयकर विभाग				

26एएस के अंतर्गत राशि और आईटीआर के माध्यम से दावा की गई राशि में अंतर दर्शाता है कि कर कटौतीकर्ता, जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत अधिदेशित है, ने कटौती किए गए कर पर आयकर विभाग को पूर्ण सूचना प्रदान नहीं की जैसा कि अपनी रिटर्न के माध्यम से निर्धारितियों द्वारा दावा किया गया है या निर्धारितियों ने गलत राशि के दावे नहीं किये हैं।

टीडीएस राशि के बेमेल होने के संभावित कारण हो सकते हैं - कटौतीकर्ता ने समय पर टीडीएस जमा नहीं किया, समय पर तिमाही टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं की, टीडीएस रिटर्न में दर्ज गलत राशि, गलत पैन उद्धृत करना, आईटीआर में गलत रूप से दर्ज कटौतीकर्ता का टेन, निर्धारण वर्ष के चयन में त्रुटि। इसमें ऐसे निर्धारितियों के मामले भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें कर का भुगतान नहीं करना था या आईटीआर फाइल नहीं करनी थी।

इसलिए, आयकर विभाग ने टीडीएस के लिए क्रेडिट की अनुमति नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप या तो मांग बढ़ गई या आयकर विभाग द्वारा प्रतिदाय जारी नहीं किया गया, जिससे निर्धारितियों, विशेष रूप से व्यक्तिगत निर्धारितियों का उत्पीड़न हुआ।

इसलिए, बेमेल टीडीएस दावों की कारणों की जांच के लिए तथा व्यक्तिगत वेतन भोगी करदाता के दावे से मिलान के लिए विभाग द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों के लिए, वेतन वर्ग के निर्धारितियों पर ध्यान देने के साथ बेमेल 'टीडीएस के कारण सृजित आयकर की मांग' पर एक अध्ययन जून 2019 में किया गया था।

2.8.3 हमने जून 2019 में आयकर विभाग से, अप्रयुक्त चालान और शामिल राशि से संबंधित कटौतीकर्ता-वार डेटा, बेमेल टीडीएस क्रेडिट से संबंधित पैन-वार ग्रैन्यूलर डेटा आदि को मांगा गया था। बेमेल टीडीएस से

संबंधित आंशिक डेटा अक्टूबर 2019 में प्राप्त हुए थे और जो निर्धारण अधिकारी (निर्धारण) क्षेत्राधिकार की जानकारी के बिना थे। इसलिए, डेटा का लेखापरीक्षा नियोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सका। बाद में, सीपीसी-टीडीएस ने सूचित किया कि प्रदान किए गए बेमेल टीडीएस के मामले के निर्धारण क्षेत्राधिकार पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

हमने नमूना जांच के माध्यम से भी मुद्दे का विश्लेषण करने की कोशिश की। अध्ययन को क्षेत्राधिकारों की सीमित संख्या अर्थात् बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, मुम्बई और जयपुर के लिए शुरू किया गया था (सितम्बर 2019)। लेखापरीक्षा वेतन सर्किल के अधिकारिता निर्धारण अधिकारी (प्रत्येक क्षेत्राधिकार से एक सर्किल और दो वार्डों) से बेमेल टीडीएस वाले 2,264 निर्धारितियों की पहचान करने में सक्षम था।

हालांकि, हम आगे चयनित नमूने के निर्धारण रिकॉर्ड की जांच नहीं कर सके क्योंकि निर्धारण रिकॉर्ड क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उन्हें निर्धारण वर्ष के दो वर्षों के बाद भी सीपीसी-बेंगलुरु द्वारा उनको आगे नहीं भेजा गया था। इसलिए, निर्धारण रिकॉर्डों को सीपीसी-बेंगलुरु से मांगा गया था (नवम्बर 2019 और जनवरी 2020)। सीपीसी-बेंगलुरु द्वारा संगत जानकारी प्रदान नहीं की गई थी (जुलाई 2020)।

फलस्वरूप, बेमेल टीडीएस के लिए कारण, उनके समाधान की स्थिति, समाधान का तरीका, विभाग के प्रयास, साथ ही साथ आयकर विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी की सत्यता और पूर्णता आदि को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा को पूरा करने के लिए संगत जानकारी प्रस्तुत करने में विभाग की अक्षमता ने सीएजी को अपने संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने से रोक दिया है।

आयकर विभाग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि क्या यह बेमेलता आईटी प्रणाली या सही रिटर्न जानकारी प्रस्तुत करने में कटौतीकर्ता की विफलता के कारण था। यह अभिनिश्चित करना आवश्यक है कि कितने मामलों में आयकर विभाग द्वारा बेमेलता की वजह से करदाता से मांग की गई, जिसके कारण करदाता को परेशानी हुई। आयकर विभाग को बेमेलता की जांच करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उस व्यक्ति पर कोई कर नहीं लगाया गया है जिसे कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

आयकर विभाग को लेखापरीक्षा के लिए संबंधित आंकड़े प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि लेखापरीक्षा की जा सके।

2.9 अभिलेखों का उपलब्ध न करना

2.9.1 हमारे द्वारा सीएजी के अधिनियम (डीपीसी), 1971 की धारा 16 के तहत करों के निर्धारण और संग्रहण की प्रभावी जांच करने के लिए और यह जांचने के लिए कि अधिनियमों और प्रक्रियाओं का पूर्णतः पालन किया गया है, निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा की गई। आयकर विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वह लेखापरीक्षा को अविलंब अभिलेख उपलब्ध कराएं और लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत करें।

2.9.2 आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान मांगे गये 3,61,430 रिकार्ड⁵⁵ में से 17,992 रिकार्ड (4.98 प्रतिशत) प्रस्तुत नहीं किए जो वित्त वर्ष 2017-18 (8.27 प्रतिशत) की तुलना में सुधार दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान रिकार्ड का प्रस्तुत न करना असम, केंद्र शासित प्रदेशों; जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के और तमिलनाडु में काफी बढ़ा है।

परिशिष्ट 2.5 में वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अभिलेखों के प्रस्तुत न करने का विवरण दर्शाया गया है। तालिका 2.15 तीन या अधिक लगातार लेखापरीक्षा चक्रों में उसी निर्धारिती से संबंधित लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए रिकार्ड का विवरण दिखाती है।

तालिका 2.15: तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए रिकार्ड	
राज्य	प्रस्तुत नहीं किए गए रिकार्ड
क. ओडिशा	4

वित्त वर्ष 2018-19 में, एक राज्य में उसी निर्धारिती से संबंधित चार रिकार्ड पिछले तीन या अधिक लगातार ऑडिट चक्रों में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

2.9.3 आयकर निदेशालय (सिस्टमस) ऐसे मामलों, जहां निर्धारितियों ने कृषि से होने वाली ₹ एक करोड़ से अधिक की आय की रिटर्न भरी है, में सभी पहलुओं जैसे कि क्या करदाता से रिटर्न दाखिल करते समय आंकड़ा प्रविष्टि में त्रुटि हो सकती है, की जांच के बाद रिटर्न का सत्यापन कर डीजीआईटी

⁵⁵ पहले के वर्षों में प्रस्तुत नहीं किए गए और वर्तमान लेखापरीक्षा चक्र के दौरान फिर से मांग किए गए 21,000 अभिलेख शामिल हैं।

(सिस्टम) को सभी पीसीसीआईटी/सीसीआईटी (सीसीए) द्वारा स्थिति रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देशित किया गया था ।

‘कृषि आय से संबंधित निर्धारणों’ पर अध्याय-V के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2019 के प्रतिवेदन संख्या 9 में हमने 36 मामलों में एक करोड़ से अधिक की कृषि आय के संबंध में निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई आयकर रिटर्न के अनुसार कृषि आय की राशि तथा आंकडा प्रविष्टि स्तर पर त्रुटियां होने के कारण एएसटी प्रणाली में दर्ज की गई राशि, जिसके लिए लेखापरीक्षा द्वारा 136 प्र. सीआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी गई थी, में अंतर के विषय में बताया था। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक वर्ष के बाद भी, 82 प्र. सीआईटी से स्थिति रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2020)।

चूंकि, उपयुक्त सूचित डेटा प्रविष्टि त्रुटियां केवल कुछ चयनित कमिश्नरियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर आधारित थी, डीजीआईटी (प्रणाली) को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अनुपालन को लेखापरीक्षा हेतु चयनित सभी कमिश्नरियों में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके फलस्वरूप ₹ एक करोड़ से अधिक की कृषि आय के दावों के लिए एएसटी डेटाबेस में कृषि आय में आंकडा प्रविष्टि त्रुटियों के संबंध में किए गए शोधनों की स्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण लेखापरीक्षा अपने संवैधानिक अधिदेश का पालन नहीं कर सका।

अध्याय III: निगम कर

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 इस अध्याय में 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा किए गए निगम कर से संबंधित निर्धारणों की लेखापरीक्षा के परिणाम पर चर्चा की गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निगम निर्धारितियों द्वारा कुल 7.99 लाख रिटर्न⁵⁶ दाखिल किए गए। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 1,12,685 निगम कर संवीक्षा निर्धारण और उन इकाइयों में पहले के वर्षों में 27,738 निगम कर संवीक्षा निर्धारण पूरे किये, जिनकी 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा की गयी थी। कुल 1,40,423 निगम कर संवीक्षा निर्धारण में से, हमने 1,11,212 निगम कर संवीक्षा मामलों (वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित 99,316 निर्धारण मामले और पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों से संबंधित 11,896 निर्धारण मामले) की जाँच की और 7,446 निर्धारणों में गलतियाँ पाईं। 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किए गए निगम कर संवीक्षा निर्धारणों में त्रुटियों का होना 6.70 प्रतिशत था जो 2017-18 के दौरान तदनुसूची आंकड़े (8.15 प्रतिशत) से कम था। चूँकि हमने अपने नमूने के अनुसार सीमित संख्या में निर्धारण मामलों/रिकॉर्डों की जांच की है, मंत्रालय को इसे पूरी तरह से सत्यापित करने की आवश्यकता है। त्रुटियों की प्रकृति एएसटी में मानवीय हस्ताक्षेप की ओर संकेत करती है। विभाग को ऐसी त्रुटियों की जांच करने तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

3.1.2 जुलाई 2019 से नवंबर 2019 के दौरान कुल 316 उच्च मूल्य-निर्धारण कर मामलों को मंत्रालय को भेजा गया था। इनमें से 304 मामलों में ₹ 7,977.77 करोड़ का अवप्रभार और 12 मामलों में ₹ 232.66 करोड़ का अधिप्रभार⁵⁷ शामिल है। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग की निर्धारण प्रक्रियाओं में आंतरिक नियंत्रण में कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं।

3.1.3 त्रुटियों की श्रेणियों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

⁵⁶ स्रोत : सीबीडीटी

⁵⁷ अधिप्रभार सही आंकड़ों को अपनाने में चूक, आय की गणना में अंक-गणितीय त्रुटियों, कर/ब्याज की दरों का गलत लागू करना आदि के कारण होता है।

- त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूट गयी आय
- अन्य-कर/ब्याज आदि का अधिप्रभार

आयकर अधिनियम, 1961 की धाराएँ 234ए, 234बी, 234सी और 244ए के अंतर्गत ब्याज की गणना के संबंध में निर्धारण सूचना प्रणाली⁵⁸ (एएसटी) मॉड्यूल/आयकर कारोबार अनुप्रयोग⁵⁹ (आईटीबीए) में देखी गई कमी को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अध्याय V में अधिनियम की ब्याज की धाराएँ 234ए, 234बी, 234सी और 244ए पर SSCA के अंतर्गत अलग से दिया गया है। तालिका 2.10 (पैरा 2.4.4) निर्धारण में गलतियों की व्यापक श्रेणियों और उनके कर प्रभाव का विवरण दर्शाती है।

3.1.4 मंत्रालय ने ₹ 89.33 करोड़ के कर प्रभाव वाले पांच मामलों को स्वीकार नहीं करते हुए ₹ 828.03 करोड़ के कर प्रभाव वाले 82 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा अभियुक्तियों की अपनी स्वीकृति दी है। एक मामले में मंत्रालय ने आंशिक रूप से ₹ 118.45 करोड़ के कर प्रभाव को स्वीकार किया है। शेष 228 मामलों में, विभाग ने ₹ 1,415.74 करोड़ के कर प्रभाव वाले 61 मामलों को स्वीकार किया है, जब कि नौ मामलों को ₹ 89.89 करोड़ (पैरा 2.4.4 में संदर्भित) के कर प्रभाव वाले नौ मामलों को स्वीकार नहीं किया है। 316 मामलों में से, आयकर विभाग ने ₹ 4,894.45 करोड़ के कर प्रभाव वाले 221 मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही पूरी कर ली है और ₹ 230.26 करोड़ के कर प्रभाव वाले 27 मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही शुरू की है।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों (निर्धारण अधिकारी) ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारण में त्रुटियां कीं। गलत निर्धारणों के ये मामले आयकर विभाग के आंतरिक नियंत्रणों की लगातार कमजोरियों को इंगित करते हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने की आवश्यकता है। आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियों वाले गलत निर्धारण के मामलों को केलकुलेटर और कम्प्यूटर के समय में मात्र त्रुटियों के रूप में स्वीकार करना कठिन है। इसके अतिरिक्त कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना, ब्याज के उद्ग्रहण में चूकें, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि के

⁵⁸ एएसटी मॉड्यूल एक ऑनलाइन, मेनू संचालित सॉफ्ट वेयर है जो सभी निर्धारण और संबंधित कार्यों को पूरा करने में सक्षम है।

⁵⁹ आईटीबीए एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जिसे आयकर विभाग की सभी आंतरिक प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए विकसित किया गया है।

उद्ग्रहण में गलतियां या तो अदक्षता अथवा गलती के साथ-साथ आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रण में कमियों की ओर इंगित करते हैं जिसे सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है। आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्या ध्यान में आए अनियमितताओं के दृष्टांत की गयी या हुई त्रुटियां हैं जिसमें की गई त्रुटियों वाले मामलों में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तालिका 3.1 में गलतियों की उप-श्रेणियों का विवरण दिखाया गया है (परिशिष्ट 2.3 देखें) जिसने निर्धारणों की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

तालिका 3.1: निर्धारणों की गुणवत्ता के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणिया (₹ करोड़ में)			
उप-श्रेणियां	मामले	कर प्रभाव	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंक-गणितीय त्रुटियां	24	96.00	दिल्ली, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
ख. कर और अधिभार की गलत दर का लागू करना	11	196.83	दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़।
ग. ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ	3	4.07	गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज	5	1,114.29	कर्नाटक और महाराष्ट्र।
ङ. अपीलीय आदेश को प्रभावित करते हुए निर्धारण में गलतियां	8	66.41	दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।
कुल	51	1,477.60	

3.2.2 आय और कर की गणना में अंक-गणितीय त्रुटियां

हमने आठ राज्यों में ₹ 96.0 करोड़ के कर प्रभाव वाले 24 मामलों में आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों को देखा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (3) में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी लिखित रूप में एक आदेश द्वारा निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करता है और उसके द्वारा देय राशि या इस तरह के निर्धारण के आधार पर उसको देय किसी राशि का प्रतिदाय अवधारित करता है जो ऐसे साक्ष्य को ध्यान में रखने के बाद किया जाता है जो निर्धारिती प्रस्तुत कर सके और ऐसे अन्य साक्ष्य जिसकी निर्धारण अधिकारी को निर्दिष्ट बिंदुओं पर आवश्यकता हो सकती है और सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखने के बाद जो उसने इकट्ठा की है।

हमने ऐसे चार निदर्शी मामले नीचे दिये हैं ।

3.2.2.1 प्र.सीआईटी-एलटीयू, मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अंतर्गत ₹ 314.21 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए दिसंबर 2017 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए एक कंपनी का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण आदेश के पैरा 16 में सभी स्रोतों से आय को एकत्रित करते हुए, आंकड़ा ₹ 341.21 करोड़ के सही आंकड़े के बजाय ₹ 314.21 करोड़ था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 27 करोड़ की आय का अवनियोजन हुआ, जिसमें ब्याज सहित ₹ 12.21 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि (मई 2018) को सुधार लिया।

3.2.2.2 प्र.सीआईटी ग्वालियर प्रभार, मध्य प्रदेश में, निर्धारण अधिकारी ने धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए एक कंपनी का निर्धारण अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 4.03 करोड़ की आय पर मार्च 2014 में शुरू में पूरा किया। इसके बाद, ₹ 18.55 करोड़ को जोड़ कर दिसंबर 2016 में धारा 263 के अंतर्गत ₹ 22.58 करोड़ यह आय को संशोधित किया गया। इसके अलावा नकद लेन-देन के अलग मुद्दे पर धारा 147 के अंतर्गत मामला फिर से खोल दिया गया और दिसंबर 2017 में धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत अघोषित/अस्पष्टीकृत नकद जमा के आधार पर ₹ 8.47 करोड़ को जोड़कर ₹ 12.50 करोड़ पर आय का पुनः निर्धारण किया गया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण अधिकारी, धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत दिसंबर 2017 में पुनर्निर्धारण को पूरा करते समय धारा 263 (दिसंबर 2016) के अंतर्गत किए गए ₹ 18.55 करोड़ के बढ़ाने पर विचार नहीं किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 18.55 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया था, जिसमें धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 10.01 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण शामिल था। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत त्रुटि (दिसंबर 2018) को सुधारा।

3.2.2.3 प्र.सीआईटी, मुजफ्फरनगर प्रभार, उत्तर प्रदेश में, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए धारा 143 (3)/144 के अंतर्गत सितंबर 2017 में एक कंपनी का निर्धारण पूरा किया, जिसमें रिटर्न में दर्शायी गयी हानि के प्रति ₹ 3.03 करोड़ का संवर्धन करने के बाद ₹ 2.55 करोड़ की हानि अवधारित की गयी। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने, निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निर्धारिती द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न के अनुसार ₹ 1.23 करोड़ की

हानि के वास्तविक आंकड़े के बजाय ₹ 5.57 करोड़ की रिटर्न में दर्शायी गयी हानि के आंकड़े की गलत गणना की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.54 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण किया गया और ₹ 1.80 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया (जिसके प्रति ₹ 1.80 करोड़ की सीमा तक अग्नेनीत हानि को समायोजित किया जा सकता है) जिसमें ₹ 1.41 करोड़ के संभावित कर प्रभाव को शामिल किया गया। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि (फरवरी 2019) को सुधार लिया।

3.2.2.4 प्र.सीआईटी-1, सूरत प्रभार, गुजरात में, निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में धारा 144 के तहत ₹ 17.44 करोड़ की कुल आय का निर्धारण करते हुए निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए एक कंपनी का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, इस आधार पर ₹ 61.25 करोड़ का मूल्यहास रोक दिया कि यह साबित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि निर्धारिती वास्तव में कारोबार के उद्देश्य से परिसंपत्ति का उपयोग कर रहा था। निर्धारिती ने उपयोग में लाई गई उस मशीनरी की खरीद के लिए बिल और वाउचर और उक्तस्थायी परिसम्पतियों के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे जिन पर मूल्यहास का दावा किया था। हालाँकि, निर्धारित आय की गणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने स्वयं द्वारा अननुमत ₹ 61.25 करोड़ के बदले केवल ₹ 35.31 करोड़ को जोड़ा। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 25.94 करोड़ (₹ 61.25 करोड़ - ₹ 35.31 करोड़) की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 11.72 करोड़ का कर कम लगाया गया। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2018)।

3.2.3 कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना

हमने पांच राज्यों में ₹ 196.83 करोड़ के कर प्रभाव वाले 11 मामलों में कर और अधिभार की गलत दरों के लागू करने को देखा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) में यह प्रावधान है कि संबंधित वित्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार, एक निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर प्रभार्य है। निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबंधित वित्त अधिनियम विदेशी कंपनियों के मामले में आयकर पर दो प्रतिशत की दर से अधिभार लगाने का प्रावधान करता है यदि निवल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.2.3.1 सीआईटी (आईटी)-3, मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने एक अप्रवासी बैंकिंग कंपनी का निर्धारण पूरा किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित था तथा बैंकिंग और ट्रेजरी ऑपरेशन की गतिविधियों में लगी थी, जो कि नि.व. 2012-13 के लिए अप्रैल 2016 में संवीक्षा के बाद स्थानांतरण कीमत निर्धारण आदेश के कारण कुछ अतिरिक्त जोड़-तोड़ करने के बाद ₹ 899.68 करोड़ की कुल आय अवधारित करते हुए किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर मांग की गणना करते समय, 40 प्रतिशत पर कर और 2 प्रतिशत पर अधिभार की लागू दर के प्रति 30 प्रतिशत की दर से कर और 5 प्रतिशत पर अधिभार लगाया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कर की गणना मैन्युअल रूप से की गई थी और एएसटी के माध्यम से नहीं। लेखापरीक्षा एएसटी के बजाय मैन्युअल रूप से कर मांग की गणना करने के कारण का पता नहीं लगा सका। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 86.18 करोड़ के कर और अधिभार का कम उद्ग्रहण हुआ था। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत कर की दर और अधिभार से संबंधित त्रुटि को सुधार दिया। हालांकि, आयकर विभाग ने यह नहीं बताया कि क्या भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई थी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1), यह प्रावधान करती है कि संबंधित वित्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार, एक निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर प्रभार्य है। निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए संबंधित वित्त अधिनियम में आयकर पर तीन प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर लगाने का प्रावधान है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.2.3.2 प्र.सीआईटी-4 बंगलौर प्रभार, कर्नाटक में, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 144सी तथा 92सीडी के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत जनवरी 2018 में नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 3,573.04 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए एक कंपनी का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, तीन प्रतिशत की लागू दर के प्रति एक प्रतिशत की दर से गलत तरीके से शिक्षा उपकर लगाया। इसके अलावा, धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज की गणना में भी गलती देखी गई। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 45.57 करोड़ का कर कम लगाया गया था।

आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधार लिया (जून 2018)। हालांकि, धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करते समय, निर्धारण अधिकारी ने अग्रिम कर के अवधारण के लिए धारा 234सी के अंतर्गत ₹ 11.27 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1), यह प्रावधान करती है कि संबंधित वित्त अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार, एक निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर प्रभाय है। निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबंधित वित्त अधिनियम में घरेलू कंपनियों के मामले में आयकर पर 12 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाने का प्रावधान है, यदि निवल आय ₹ 10 करोड़ से अधिक है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.2.3.3 प्र.सीआईटी-2, जबलपुर प्रभार, मध्य प्रदेश में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2016-17 के लिए मार्च 2018 में ₹ 6,272.07 करोड़ की आय का निर्धारण करने के बाद, एक कंपनी का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण अधिकारी, आयकर गणना फॉर्म (आईटीएनएस-150) में निर्धारिती की कर देयता की गणना करते हुए, 12 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहण ₹ 225.79 करोड़ के बजाय 10 प्रतिशत की दर गलत तरीके से ₹ 188.16 करोड़ का अधिभार लगाया। परिणामस्वरूप, धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज और शिक्षा उपकर का भी क्रमशः ₹ 9.30 करोड़ और ₹ 1.13 करोड़ तक कम उद्ग्रहण था। इस त्रुटि के कारण ₹ 48.06 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2019)।

3.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियां

हमने तीन राज्यों में ₹ 4.07 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों में ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियों को देखा।

अधिनियम की धारा 234डी के प्रावधानों के अनुसार, जहां धारा 143 की उप धारा (1) के अंतर्गत निर्धारिती को कोई भी प्रतिदाय दिया जाता है और बाद में नियमित रूप से निर्धारण करने पर कोई प्रतिदाय देय नहीं पाया जाता है या पहले से दिया गया प्रतिदाय अधिक पाया जाता है, प्रतिदाय देने की तारीख नियमित निर्धारण करने की तारीख तक के लिए इस प्रकार वापस की गई अतिरिक्त राशि पर आधा प्रतिशत की दर से निर्धारिती ब्याज के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त उप धारा (2) के अनुसार जहां धारा 154 के अंतर्गत एक आदेश के परिणामस्वरूप, धारा 143 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रतिदाय अनुदान की राशि को पूरी तरह से या आंशिक रूप से, जैसा भी मामला हो, सही ढंग से रखने की अनुमति दी जाती है, तब, उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रभाय ब्याज, यदि कोई हो, तदनुसार कम हो जाएगा।

इसके अलावा, धारा 220(2) में यह प्रावधान है कि, यदि धारा 156 के अंतर्गत मांग के किसी भी नोटिस में देय राशि के रूप में निर्दिष्ट राशि का नोटिस देने के 30 दिनों की अवधि के अंतर्गत भुगतान नहीं किया जाता है तो निर्धारित दर के अनुसार और अधिनियम में निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्धारिती साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.2.4.1 प्र.सीआईटी-1, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, निर्धारण अधिकारी ने मई 2014 में ₹ 138.14 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए धारा 143(3)/144सी के अंतर्गत नि.व. 2010-11 के लिए एक कंपनी का निर्धारण पूरा किया। निर्धारण आदेश को आगे धारा 143(3)/263/144सी के तहत दिसंबर 2017 में ₹ 148.77 करोड़ की राशि में संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मई 2014 में पारित मूल निर्धारण आदेश के अनुसार, प्रतिदाय के अधिक भुगतान के लिए धारा 234डी के अंतर्गत ₹ 1.77 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण करने के बाद ₹ 15.35 करोड़ की निवल मांग निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, निर्धारिती ने सितंबर 2015 में ₹ 17.65 करोड़ का कुल कर अदा किया, जिसमें सितंबर 2015 में विभाग द्वारा यथानिर्धारित 15 महीनों के लिए धारा 220(2) के अंतर्गत ₹ 2.30 करोड़ का ब्याज शामिल था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने धारा 263/143(3) के अंतर्गत संशोधन आदेश के बाद निवल मांग का निर्धारण करते हुए, गलत तरीके से अधिनियम की धारा 234डी और 220(2) के अंतर्गत ₹ 4.07 करोड़ के ब्याज पर विचार नहीं किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.49 करोड़ के कर का अब प्रभार हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधार लिया (अक्टूबर 2018)।

3.2.5 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हमने दो राज्यों में ₹ 1,114.29 करोड़ के कर प्रभाव वाले अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज से संबंधित पांच मामलों को देखा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 244ए (1) (ए) में, प्रतिदाय की राशि पर निर्धारण वर्ष के पहले दिन से प्रतिदाय प्रदान की तारीख तक एक निर्दिष्ट दर पर ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है, जहां कर के अधिक भुगतान के कारण प्रतिदाय उद्धृत होता है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.2.5.1 पीसीआईटी-4, बेंगलोर प्रभार, कर्नाटक में, निर्धारिती कंपनी के लिए नि.व. 2010-11 और 2011-12 का अंतिम निर्धारण आदेश अधिनियम की

धारा 144सी और 92सीडी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत जनवरी 2018 में क्रमशः ₹ 2030.82 करोड़ और ₹ 2,151.43 करोड़ की आय का निर्धारण करके किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः जुलाई 2011 और अक्टूबर 2012 की तिथि में धारा 143(1) के अधीन ₹ 291.38 करोड़ और ₹ 170.98 करोड़ के प्रतिदाय को अंतिम निर्धारण आदेश को पारित करते समय शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप दोनों निर्धारण वर्षों के लिए धारा 234बी और 234डी के अधीन ब्याज सहित ₹ 941.56 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया था। *आयकर विभाग ने धारा 154 के अधीन अपनी त्रुटि का सुधार किया (जून 2018)।*

3.2.6 अपीलीय आदेश को लागू करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ

हमने पाँच राज्यों में ₹ 66.41 करोड़ के कर प्रभाव में शामिल आठ मामलों में अपीलीय आदेशों को लागू करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ पाईं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 254 यह प्रावधान करती है कि, अपीलीय न्यायाधिकरण, इस धारा के अधीन पारित किए गए किसी भी आदेश की एक प्रतिलिपि, निर्धारित और प्रधान मुख्य आयुक्त को भेजेगा। इसके अलावा, आयकर विभाग के कार्यालय प्रक्रियाओं के मैनुअल (खंड-II तकनीकी) के अध्याय 18 के पैरा 24.1 में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में अपीलीय आदेश के प्राप्त होने के बाद, आदेश के मद्देनजर निर्धारण के संशोधन हेतु तत्काल कदम उठाए जाएँ।

हमने दो निदर्शी मामले नीचे दिये हैं ।

3.2.6.1 सीआईटी एलटीयू बेंगलूर प्रभार, कर्नाटक में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2010-11 2011-12 और 2012-13 के लिए कंपनी के संबंध में अपीलीय आदेश को लागू करते हुए जनवरी 2018, मार्च 2018 और मार्च 2018 में क्रमशः ₹ 409.73 करोड़, ₹ 132.81 करोड़, और ₹ 30.28 करोड़ का प्रतिदाय तथा अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अधीन, कटौती की अनुमति के बाद ₹ 360.55 करोड़, ₹ 351.50 करोड़ और ₹ 3.94 करोड़ की आय को निर्धारित किया। लेखापरीक्षा में यह पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने धारा 36(1)(viiए) के अधीन कटौती की गणना करते समय कुल औसत अग्रिम (एएए) के 10 प्रतिशत की गणना, आईटीएटी के आदेश के अनुसार नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 202.07 करोड़ तथा ₹ 278.98 करोड़ के बजाय ₹ 239.04 करोड़ तथा ₹ 300.19 करोड़ की। इसके अलावा, नि.व. 2012-13 के लिए धारा 36(1)(viiए) के अधीन कटौती को ₹ 447.02 करोड़, के बजाय ₹ 414.08 करोड़ (लाभ और हानि लेखा में डेबिट

संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान) तक प्रतिबंधित किया जाना था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप, ₹ 40.65 करोड़ (पूर्वोक्त आंकलन वर्षों के लिये क्रमशः ₹ 18.41 करोड़ + ₹ 7.05 करोड़ + ₹ 15.19 करोड़) के कुल कर प्रभाव सहित ₹ 36.97 करोड़, ₹ 21.21 करोड़ और ₹ 32.94 करोड़ की कटौती की अतिरिक्त अनुमति हुई। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अधीन त्रुटि का सुधार किया (नवम्बर 2018)।

3.2.6.2 प्र.सीआईटी-4 कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2001 में नि.व. 1998-99 की संवीक्षा करने के बाद ₹ 74.27 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए कंपनी के निर्धारण को पूर्ण किया। बाद में निर्धारण आदेश को, ₹ 63.60 करोड़ की कुल राहत प्रदान करते हुए ₹ 131.61 करोड़ की निवल हानि पर जुलाई 2016 में, अपीलीय आदेश की धारा 254/264/154/143(3) के तहत प्रभावी करके पारित किया गया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निर्धारिती ने निर्धारण के दौरान, धारा 36(1)(iii) के अधीन ₹ 72.14 करोड़ की अस्वीकृति के प्रति सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी और दिसम्बर 2013 में ₹ 8.54 करोड़ की राहत प्राप्त की। इसके अलावा, निर्धारिती ने सीआईटी (अपील) के आदेश के प्रति आईटीएटी के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। दिसम्बर 2015 में पारित अपने अपीलीय आदेश में आईटीएटी ने निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन को हटा दिया और इस तरह कुल ₹ 72.14 करोड़ की राहत प्रदान की। हालाँकि, यह पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय आदेश को प्रभावी करते समय ₹ 72.14 करोड़ की कुल राहत के प्रति केवल ₹ 63.60 करोड़ की राहत प्रदान की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप, 2.99 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 8.54 करोड़ की हानि का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 154/254/264/143(3) के अधीन आदेश पारित करके त्रुटि का सुधार किया (जून 2018)।

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

3.3.1 अधिनियम के अध्याय VI-ए के अधीन तथा इसके प्रासंगिक प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों हेतु और कुल आय की संगणना में निर्धारिती के लिए रियायतों/छूटों/कटौतियों को अनुमति प्रदान करता है। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने उन लाभार्थियों के कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ को अनियमित रूप से बढ़ाया, जो इसके हकदार नहीं थे। ये अनियमितताएँ आयकर विभाग की ओर से कर रियायतों/कटौतियों/छूटों के प्रबंधन में कमियों को इंगित करती हैं, जिनपर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन उप-श्रेणियों के

ब्यौरे तालिका 3.2 में दर्शाए गए हैं जिससे कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन प्रभावित हुए।

तालिका 3.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन के तहत त्रुटियों की उप-श्रेणियाँ			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणी	सं.	टीई	राज्य
क. मूल्यहास/ व्यापारहानियों/ पूँजीगत हानियों की अनुमति देने में अनियमितताएँ	75	2,655.15	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
ख. अनियमित छूटों/कटौतियाँ/रिबेट/ राहत/मैट क्रेडिट	52	2,037.22	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
ग. व्यापार व्यय की गलत अनुमति	49	764.39	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
कुल	176	5,456.76	

3.3.2 कारोबार/पूँजीगत हानियों के मूल्याहास और समंजन और अग्रेषण की अनुमति प्रदान करने में अनियमितताएँ

हमने, 13 राज्यों में ₹ 2,655.15 करोड़ के कर प्रभाव सहित 75 मामलों में कारोबार/पूँजीगत हानियों के मूल्याहास और समंजन और अग्रेषण की अनुमति प्रदान करने में अनियमितताएँ पाई गईं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 में प्रावधान है कि, जहाँ कारोबार या व्यापार के लाभ और हानि शीर्ष के तहत संगणना के सकल परिणाम में निर्धारित को हानि होती है और मूल्याहास सहित इस प्रकार की हानि का संबंधित वर्ष के किसी भी शीर्ष के तहत आय हेतु पूर्ण रूप से समंजन नहीं किया जा सकता, इसलिए अत्यधिक हानि, जिसका समंजन नहीं किया गया हो, को 'कारोबार और व्यवसाय के लाभ और हानियों' हेतु समंजन किया जाएगा। इसके अलावा धारा 80 में यह प्रावधान है कि आयकर रिटर्न निर्धारित समय के भीतर दर्ज नहीं होने पर किसी भी हानि के अग्रेषण या समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिये हैं ।

3.3.2.1 प्र. सीआईटी-I, पटना प्रभार, बिहार में, निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2015 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत नि.व. 2012-13 के लिए कंपनी के निर्धारण को शून्य आय (₹ 343.48 करोड़ के मूल्याहास हानि की अनुमति) पर पूर्ण किया और बाद में दिसम्बर 2017 में अधिनियम की

धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत शून्य आय पर संशोधित किया तथा ₹ 2,547.31 करोड़ की संपूर्ण निर्धारित हानि के अग्रेषण की अनुमति प्रदान की। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि नि.व. 2012-13 के लिए निर्धारिती को ₹ 343.48 करोड़ की मूल्यहास हानि सहित ₹ 2,293.95 करोड़ की व्यापार हानि हुई थी। इसके अलावा, आईटीआर शेड्यूल और गणना शीट से यह पाया गया कि आगे के वर्षों के अग्रेषण के लिए निर्धारिती ने केवल ₹ 343.48 करोड़ की मूल्यहास हानि का दावा किया। हालाँकि, निर्धारण अधिकारी ने पुनः निर्धारण को पूर्ण करते समय ₹ 90.12 करोड़ के अधिक मूल्यहास की अनुमति नहीं दी और ₹ 2,547.31 करोड़ की कुल हानि को अग्रेषण की अनुमति दी गई, जो सही नहीं थी क्योंकि इस मामले में आय के रिटर्न की फाइलिंग की निर्धारित तिथि के बाद 12 मार्च 2014 को विलंब से आईटीआर दायर किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 744.27 करोड़ के संभावी कर प्रभाव सहित ₹ 2,293.95 करोड़⁶⁰ की हानि का अतिरिक्त अग्रेषण हुआ।

3.3.2.2 सीआईटी (एलटीयू), मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए फरवरी 2018 में धारा 144सी(3) के साथ पठित धारा 143(3) के तहत कंपनी का अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 6,401.23 करोड़ की हानि का निर्धारण किया और धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 233.21 करोड़ के बुक लाभ का निर्धारण पूर्ण किया। अधिनियम की धारा 115बीबीडी के तहत ₹ 1,375.84 करोड़ के कर का उदग्रहण हुआ था। निर्धारण आदेश में कुल आय की गणना से यह देखा गया कि विभाग ने 'गृह संपत्ति से आय', 'कम अवधि के पूंजीगत लाभ' और 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षों के तहत आय के समंजन के बाद ₹ 6,401.24 करोड़ की व्यापार हानि निकाला। लेखापरीक्षा जाँच से यह पता चला कि निर्धारिती को शीर्ष 'लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ' (एलटीसीजी) के तहत ₹ 1,381.24 करोड़ की आय हुई और उसे 'लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ' (एलटीसीजी) शीर्ष के तहत अग्रेषण के साथ समंजन की अनुमति दी गई। हालाँकि, अधिनियम की धारा 71(2) के तहत एलटीसीजी को पहले चालू वर्ष की व्यापार हानि के प्रति समंजन की आवश्यकता थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप, ₹ 469.52 करोड़ के संभावी कर प्रभाव सहित ₹ 1,381.34 करोड़ की व्यापार हानि का अतिरिक्त अग्रेषण हुआ। आयकर

⁶⁰ (₹ 2,547.31 करोड़ - ₹ 343.48 करोड़ + ₹ 90.12 करोड़)

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वीकार किया (जून 2018) और अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा (मई 2018)।

3.3.2.3 प्र. सीआईटी-1, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 859.75 करोड़ की जिसमें, ₹ 139.10 करोड़ का अनवशोषित मूल्यहास सम्मिलित था, की निवल हानि का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2017 में कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को आगामी वर्षों के लिए संपूर्ण हानि के अग्रेषण की अनुमति प्रदान की। हालाँकि निर्धारिती ने अक्टूबर 2015 की देय तिथि के प्रति देरी से मार्च 2017 में आय रिटर्न को दायर किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 244.95 करोड़ के संभावी कर प्रभाव सहित ₹ 720.65 करोड़ (₹ 859.75 करोड़ - ₹ 139.10 करोड़) की व्यापार हानि का अनियमित अग्रेषण हुआ। आयकर विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की गई (अगस्त 2018)।

आयकर अधिनियम 1961, की धारा 32(1)(ii) में यह प्रावधान है कि किसी भी नई मशीनरी या प्लांट के विषय में, (जहाज और एअर क्राफ्ट को छोड़ कर) जो 31.03.2005 के बाद अधिग्रहण हुआ हो जिसका निर्धारिती, जो किसी उत्पाद या वस्तु के उत्पादन या निर्माण कार्य में लगा हो या व्यापार को उत्पन्न करने या विद्युत के उत्पादन व वितरण में लगा हो, द्वारा अधिग्रहण किया गया हो तो खंड (ii) के तहत उस मशीनरी या प्लांट के वास्तविक मूल्य के बीस प्रतिशत के बराबर अन्य राशि की कटौती की अनुमति दी गई है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है ।

3.3.2.4 प्र. सीआईटी-2, बड़ौदा प्रभार, गुजरात में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए धारा 143(3) के तहत ₹ 282.72 करोड़ की कुल हानि का निर्धारण करते हुए सितम्बर 2016 में कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि निर्धारिती कंपनी ने दावा किया था तथा उसे निर्धारण अधिकारी द्वारा प्लांट और मशीनरी पर ₹ 749.26 करोड़ के मूल्यहास की अनुमति दी गई जिसमें वर्ष के दौरान हुए परिवर्धन के लिए जिसमें ₹ 190.48 करोड़ का अतिरिक्त मूल्यहास सम्मिलित था। चूंकि निर्धारिती कंपनी, विद्युत के वितरण और उत्पादन या उत्पादन के व्यापार में शामिल न होकर बिजली के वितरण के व्यापार में संलग्न थी अतः निर्धारिती कंपनी, अतिरिक्त मूल्यहास के लिए अयोग्य थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप, ₹ 64.75 करोड़ के संभावी कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 190.48 करोड़ की हानि का अतिरिक्त निर्धारण हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2020) और बताया कि अधिनियम की धारा 263 के तहत आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्यवाही की गई (मार्च 2019)।

3.3.3 अनियमित छूटें/कटौतियाँ/रिबेट/रियायत/मैट क्रेडिट

हमने 11 राज्यों में, ₹ 2,037.22 करोड़ के कर प्रभाव सहित 52 मामलों में अनियमित छूटों/कटौतियों/रिबेट/रियायत/मैट क्रेडिट को पाया।

आयकर अधिनियम की धारा 115 जेएए, जब सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर, विशेष प्रावधानों के तहत कर से अधिक है। तब एक निर्धारिती को मैट क्रेडिट के अग्रेशन की अनुमति देती है। तथापि, इस प्रकार का क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत कर के अंतर तक सीमित होगा।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है ।

3.3.3.1 प्र. सीआईटी-एलटीयू चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2011-12 के लिए मार्च 2014 में कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया और दिसम्बर 2017 में ₹ 837.37 करोड़ की कुल आय पर उसे दोबारा शुरू व पूर्ण किया गया। इसके बाद, फरवरी 2018 में नि.व. 2010-11 से संबंधित ₹ 66.53 करोड़ का मैट क्रेडिट देने के लिए निर्धारण को धारा 154 के अन्तर्गत संशोधित किया गया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि, नि.व. 2010-11 के लिए कोई मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था, क्योंकि मार्च 2016 में, धारा 147 के तहत पारित किए गए आदेश के पुनः निर्धारण के बाद, नि.व. 2010-11 के लिए सामान्य प्रावधानों के तहत कर का उदग्रहण किया गया। मैट क्रेडिट की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 66.53 करोड़ के कर का कम उदग्रहण किया गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) और यह बताया कि अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की गई है (सितम्बर 2019)।

आयकर अधिनियम, 1961 (एक्ट) की धारा 35 (2एबी) में यह प्रावधान है कि जहाँ एक कंपनी किसी सामग्री या वस्तु (अधिनियम की ग्यारहवी अनुसूची के तहत निदिष्ट सामग्री के अलावा) का किसी व्यापार में निर्माण या उत्पादन करती है या बाँयो-तकनीकी के व्यापार में सलंगन हो या किसी वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई व्यय करती हो (किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति में व्यय के रूप में नहीं), किसी इन-हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा पर जो निर्धारित प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हो, तब किए गए व्यय के 200 प्रतिशत की राशि के बराबर कटौती की अनुमति प्रदान की जाएगी।

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिये हैं ।

3.3.3.2 सीआईटी एलटीयू, बेंगलोर प्रभार, कर्नाटक में नि.व. 2014-15 के लिए धारा 144सी के तहत फरवरी 2018 में ₹ 1,237.64 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए कंपनी के निर्धारण को पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा को यह पता चला कि डीएसआईआर61 ने फार्म सं. 3 सीएल में धारा 35(2एबी) के तहत कटौती योग्य आरएंडडी व्यय के रूप में ₹ 22.42 करोड़ की राशि का सत्यापन किया, जो निवल आरएंडडी प्राप्तियाँ थी। इसके अलावा, फार्म 3सीडी भी यह सत्यापन करता है कि केवल निवल व्यय ही कटौती के योग्य था। इस प्रकार, निर्धारिती ₹ 135.61 करोड़ के बजाय ₹ 44.84 करोड़ (200 प्रतिशत) की भारित कटौती के योग्य था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 31.78 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 90.77 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2019)।*

3.3.3.3 पीसीआईटी-15 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2013-14 के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144 सी(3) के तहत ₹ 749.11 करोड़ की आय पर कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर माँग की गणना करते समय नि.व. 2010-11 से संबंधित ₹ 19.13 करोड़ के मैट क्रेडिट की अनुमति प्रदान की। हालाँकि, नि.व. 2010-11 के लिए निर्धारिती को आगामी वर्ष में समंजन के लिए कोई मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था, क्योंकि कर का उद्ग्रहण उक्त निर्धारण वर्ष के लिए सामान्य प्रावधानों के तहत किया गया था। मैट क्रेडिट की अनियमित अनुमति के फलस्वरूप धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 29.65 का कर प्रभाव हुआ। *आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और नवम्बर 2018 में एक परिशोधन आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्यवाही की।*

3.3.4 व्यवसाय व्यय की गलत अनुमति

हमने 12 राज्यों में ₹ 764.39 करोड़ के कर प्रभाव वाले व्यवसाय व्यय की गलत अनुमति से संबंधित 49 मामले पाए।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत, निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि को किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, बैंक आदि से उधार लिए गए ब्याज के रूप में, पिछले वर्ष में कटौती के रूप में ही अनुमति केवल तभी दी जाती है, यदि राशि वास्तव में पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किया गया हो। धारा के स्पष्टीकरण 3सी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी ब्याज को ऋण में परिवर्तित किया गया है या उधार लिया गया है तो उसे वास्तव में भुगतान नहीं माना जाएगा। यह भी स्पष्ट रूप से सीबीडीटी परिपत्र सं. 7/2006 दिनांक 17 जुलाई 2006 में वर्णित किया गया है।

⁶¹ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है ।

3.3.4.1 प्र. सीआईटी-1, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2015-16 के लिए दिसम्बर 2017 में ₹ 10.53 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि, निर्धारिती ने दीर्घ अवधि के ऋण पर ₹ 5.40 करोड़ के बैंक ब्याज को डेबिट किया है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह देखा कि यह ब्याज 'वित्तपोषित ब्याज अवधि ऋण' (एफआईटीएल) में परिवर्तित किया गया था और वर्ष के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए उक्त ब्याज स्वीकार्य व्यय नहीं था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 1.67 करोड़ के संभावी कर सहित ₹ 5.40 करोड़ की हानि की अतिरिक्त अनुमति हुई। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) और यह बताया कि अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की गई है (नवम्बर 2019)।*

आयकर अधिनियम की धारा 43बी के अनुसार, निर्धारिती द्वारा किसी भी ऋण, ब्याज के रूप में देय राशि या किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक कॉरपोरेशन या अनुसूचित बैंक के अनुसार, इस तरह के ऋण या उधार या अग्रिम को नियंत्रित करने वाले समझौते की शर्तों को आयकर की गणना के लिए कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा उक्त धारा के तहत स्पष्टीकरण 3डी के अनुसार, किसी भी राशि के ब्याज भुगतान में कटौती की अनुमति तभी दी जाएगी यदि ऐसे ब्याज का वास्तव में भुगतान किया गया हो और उपरोक्त संदर्भित कोई भी ब्याज जिसे ऋण या अग्रिम से परिवर्तित किया गया है, उसे वास्तव भुगतान किया हुआ नहीं माना जाएगा।

हमारे द्वारा एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

3.3.4.2 पीसीआईटी केन्द्रीय, हैदराबाद प्रभार, आंध्रप्रदेश और तेलंगाणा में (अब यह मामला पीसीआईटी-1, हैदराबाद प्रभार के पास है), निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2015-16 के लिए संवीक्षा के बाद ₹ 313.86 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए अप्रैल 2016 में एक कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा को यह पता चला कि, निर्धारिती एक कॉरपोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग (सीडीआर) योजना में शामिल हुआ है और ₹ 413.86 करोड़ (पीएंडएल खाते में डेबिट) के ब्याज हिस्से को निधिगत ब्याज अवधि ऋण (एफआईटीएल) में परिवर्तित कर दिया गया है। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 413.86 करोड़ में से केवल ₹ 65.39 करोड़ को वापस जोड़ा जबकि एफआईटीएल के रूप में परिवर्तित संपूर्ण राशि को भुगतान नहीं किया हुआ माना जाना चाहिए था और धारा 43बी के तहत स्पष्टीकरण 3डी के अनुसार आय में वापस जोड़ा जाएगा। इस

त्रुटि के कारण ₹ 118.45 करोड़ (₹ 11.76 करोड़ सकारात्मक कर + ₹ 106.68 संभावी कर) के कर प्रभाव सहित ₹ 348.47 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। मंत्रालय ने आंशिक रूप से लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) और यह बताया कि अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की गई है (जुलाई 2019)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (3) में यह प्रावधान है कि एक संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही निर्धारण करने और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा भुगतान की गई या उसे वापस करने योग्य सही राशि को निर्धारित करने की आवश्यकता है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है ।

3.3.4.3 पीसीआईटी 3 प्रभार, दिल्ली में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 99.61 लाख की आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2017 में कंपनी के संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 6.0 करोड़ के 'बिक्री रिटर्न के लिए प्रावधान' बनाए थे। लाभ और हानि खाते के असाधारण वस्तुओं के नोट सं. 30(ए) के अनुसार, मार्च 2014 तक असाधारण वस्तुओं के रूप में ₹ 2.62 करोड़ की राशि बताई गई थी और वर्तमान वर्ष से संबंधित ₹ 3.38 करोड़ को बिक्री से समायोजित किया गया था। इस प्रकार, निर्धारिती ने ₹ 6.0 करोड़ को प्रावधान का दावा किया और उसे अनुमति दी गई, जिसे अनिश्चित दायित्व के लिए प्रावधान हेतु अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप, ब्याज सहित ₹ 2.59 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 6.0 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने फरवरी 2019 में धारा 154 के तहत आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्यवाही की।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अनुसार, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी शामिल न होने के बावजूद, निर्धारिती द्वारा किसी भी ऋण या अग्रिम को शासित करने वाले करार के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित बैंक से किसी ऋण या अग्रिम पर ब्याज के रूप में देय किसी भी राशि के संबंध में इस अधिनियम के तहत कटौती केवल पिछले वर्ष में ही स्वीकार्य होगी, जिसमें ऐसी राशि का भुगतान किया गया है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है ।

3.3.4.4 प्र. सीआईटी-5, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 9.66 करोड़ की हानि की रिटर्न को स्वीकार करते हुए नवम्बर 2017 में एक कंपनी की संवीक्षा के पश्चात निर्धारण पूर्ण किया।

लाभ व हानि लेखों के 'नोट 20' (वित्त प्रभार) की लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि 'उधारी पर ब्याज'के प्रति ₹ 42.70 करोड़ की राशि डेबिट की गई थी। इसके अलावा, 'कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट' (फार्म 3 सीडी) के खंड 26(i)(बी)(बी) के अनुसार 'पिछले वर्ष में अनुसूचित बैंकों से ऋण पर ब्याज प्राप्त हुआ और जिसका भुगतान, नियत तिथि पर या उससे पूर्व नहीं किया गया', इसलिए धारा 43बी के तहत ₹ 34.81 करोड़ पर अनुमति प्रदान करने योग्य नहीं थी। हालाँकि, निर्धारिती ने अपनी आय की गणना करते समय ₹ 34.81 करोड़ के बजाय केवल ₹ 21.34 करोड़ के ब्याज को कम किया था और इसे निर्धारण आदेश में स्वीकार किया गया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप, ₹ 4.58 करोड़ के संभावी कर प्रभाव सहित ₹ 13.47 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2020) और सितम्बर 2019 में धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की।*

3.4 त्रुटियों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय

3.4.1 अधिनियम यह प्रावधान करता है कि किसी विगत वर्ष हेतु किसी व्यक्ति की कुल आय में वास्तविक रूप से प्राप्त अथवा संचित या प्राप्त या संचित मानी गई सभी आय, चाहे वे किसी स्रोत से प्राप्त है, शामिल होंगी। हमने अवलोकन किया कि निर्धारण अधिकारी ने कर के लिए प्रस्तावित होने वाली कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम निर्धारण किया। तालिका 3.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिनके परिणामस्वरूप आय निर्धारण से रह गई।

तालिका 3.3: त्रुटियों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय के अंतर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियां			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियां	संख्या	कर प्रभाव	राज्य
क. विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय	22	447.85	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
ख. सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय	29	242.22	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
ग. पूंजीगत प्राप्ति का गलत वर्गीकरण तथा संगणना	5	14.04	तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
घ. आर्म्स लेथ कीमत का गलत अंकलन	13	290.81	दिल्ली और कर्नाटक।

ड. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटि	8	48.49	बिहार, दिल्ली झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र।
कुल	77	1,043.41	

3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय

हमने यह पाया कि निर्धारण अधिकारी ने 10 राज्यों में ₹ 447.85 करोड़ के कर प्रभाव वाले 22 मामलों में विशेष प्रावधानों के तहत या तो आय का निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारण किया गया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी यह प्रावधान करती है कि यदि सामान्य प्रावधानों के तहत संगणित कुल आय पर देय आयकर मेट से कम हो तो बुक लाभ की निर्धारित प्रतिशतता पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का उद्ग्रहण होता है।

हमने दो ऐसे निदर्शी मामले नीचे दिये हैं ।

3.4.2.1 प्र. सीआईटी-एलटीयू, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, निर्धारण अधिकारी ने धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 12.20 करोड़ का लाभ बुक किया और सामान्य प्रावधानों के तहत आय का 'शून्य' निर्धारण करते हुए नि.व. 2015-16 के लिए दिसम्बर 2017 में एक कंपनी के संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को पूरा करते समय, ₹ 27.93 करोड़ के रिटर्नड बुक लाभ के बजाय ₹ 5.17 करोड़ के रिटर्नड बुक लाभ को लेते हुए ₹ 7.03 करोड़ का परिवर्धन करने के बाद ₹ 12.20 करोड़ के रूप में बुक लाभ निकाला । इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि आयकर संगणना फार्म में निर्धारिती की कर देयता की गणना करते हुए बुक लाभ को ₹ 34.96 करोड़ (₹ 27.93 करोड़ + ₹ 7.03 करोड़) की सही राशि के बजाय ₹ 27.93 करोड़ को लिया गया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने इसे स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) और धारा 154 के तहत अगस्त 2019 में सुधारात्मक कार्रवाही की।*

3.4.2.2 प्र. सीआईटी-2, बड़ौदा प्रभार, गुजरात में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए दिसम्बर 2016 में सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 17.55 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया और धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 49.88 करोड़ का बुक लाभ निर्धारित किया। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि, निर्धारिती ने परिसंपत्तियों पर 15 प्रतिशत की दर से मूल्यहास का दावा किया, जिसपर सब्सिडी/अनुदान

प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, निर्धारण आदेश से यह भी पता चला कि निर्धारिती कंपनी को अपने लाभ और हानि लेखों में 10 प्रतिशत अर्थात् ₹ 102.54 करोड़ के बजाय सब्सिडी/अनुदान के 15 प्रतिशत अर्थात् ₹ 153.81 करोड़ की संगणना करनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि लेखे को ₹ 51.27 करोड़ का कम हस्तांतरण किया गया। हालाँकि, निर्धारण अधिकारी ने बुक लाभ की गणना करते समय सब्सिडियों/अनुदानों में अस्वीकृती के अंतर की वजह से ₹ 51.27 करोड़ के बजाय केवल ₹ 24.22 करोड़ का परिवर्धन किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप मैट के तहत ₹ 7.66 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 27.04 करोड़ के बुक लाभ का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने इसे स्वीकार किया (फरवरी 2020) और जुलाई 2019 में धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की।*

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण न होना/कम निर्धारण होना

हमने यह पाया कि निर्धारण अधिकारी ने 14 राज्यों में ₹ 242.22 करोड़ के कर प्रभाव वाले 29 मामलों में सामान्य प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण नहीं किया या आय का कम निर्धारण किया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी, लिखित में एक आदेश द्वारा, निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा और उसके द्वारा भुगतान योग्य राशि या उसे देय किसी राशि के प्रतिदाय को, इस तरह के निर्धारण को उन साक्ष्यों के आधार पर करेगा, जो निर्धारिती द्वारा पेश किए जाएँ और ऐसे अन्य साक्ष्य जिसे निर्धारण अधिकारी निर्दिष्ट समय पर आवश्यक करें तथा सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए जो उसने इकट्ठा किए हों;

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है ।

3.4.3.1 प्र.सीआईटी-3, बेंगलोर प्रभार, कर्नाटक में, नि.व. 2012-13 के लिए धारा 143(3) के तहत ₹ 11,860.23 करोड़ के आय का निर्धारण करते हुए फरवरी 2017 में एक कंपनी के संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि आस्ट्रेलियन सहायक कंपनी से लाभांश आय को ₹ 484 करोड़ (विशिष्ट वस्तु) को लाभ तथा हानि लेखों में करों के निवल के रूप में दर्शाया गया है। हालाँकि, आय गणना विवरण में, व्यवसाय की आय की गणना करते समय आस्ट्रेलियाई सहायक कंपनी से लाभांश आय को लाभ तथा हानि के क्रेडिट के रूप में ₹ 484 करोड़ की राशि निवल कर को अपनाने के बजाय ₹ 578.32 करोड़ करोड़ की सकल राशि (कर सहित) पर निर्धारिती द्वारा गलत तरीके से किया गया था और इसे निर्धारण में अनुमति दी गई

थी। इसके परिणामस्वरूप, धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 48.66 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 94.32 करोड़ की व्यवसाय आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया (जून 2018) कि विस्तृत लाभ और हानि लेखे में ₹ 578.32 करोड़ की एक राशि को विदेशी सहायक कंपनी से लाभांश से राजस्व के रूप में दर्शाया गया है और परिणामस्वरूप निवल लाभ का ₹ 8,469.85 करोड़ के बुक लाभ के साथ मिलान किया गया जिसे करदाता बुक्स में प्रस्तुत किया गया और यह आयकर गणना का शुरुआती बिंदु है। इसलिए, यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति गलत है कि व्यवसाय आय को कम बताया गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विस्तृत लाभ और हानि लेखों ने विदेशी सहायक कंपनियों (₹ 578.32 करोड़) से दोनों लाभांश की राशि को दर्शाया और ₹ 94.32 करोड़ के कराधान के लिए तदनुसार प्रावधान है जबकि कोई तदनुसार कर प्रावधान न होने पर ₹ 484 करोड़ की निवल राशि पर उन्हें संक्षिप्त लाभ और हानि लेखों में दर्शाया गया। इस प्रकार, यदि विदेशी सहायक कंपनियों से लाभांश से राजस्व को सकल मूल्य माना जाए तो ₹ 94.32 करोड़ के प्रावधान की तदनुसार राशि के भी वापस परिवर्धन की आवश्यकता थी। संयोगवश, उस आगामी वर्ष अर्थात् वि.व. 2012-13 के लिए निर्धारिती के लाभ और हानि लेखा से भी देखा गया था जिसमें विगत वर्ष अर्थात् वि.व. 2011-12 के लिए आंकड़े फिर से एकत्रित किए गए थे तथा उपरोक्त लाभांश आय को ₹ 578 करोड़ (अर्थात् सकल लाभांश) पर और ₹ 94.32 करोड़ सहित कर के लिए एक साथ प्रावधान जिसने लेखापरीखा के विवाद की पुष्टि की, को दर्शाया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 5 में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति जो कि एक निवासी है, की विगत वर्ष की कर योग्य आय में उसे सभी स्रोत से आय जोकि प्राप्त हुई है या प्राप्त हुई जानी जाती है या जमा होती या विगत वर्ष के दौरान उसे प्राप्त होती शामिल है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.4.3.2 प्र.सीआईटी, मेरठ प्रभार, उत्तर प्रदेश में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 315.05 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2017 में नि.व. 2015-16 हेतु कंपनी का निर्धारण पूरा किया जिसे बाद में अधिनियम की धारा 251 के तहत दी गई अपील प्रभाव के बाद जून 2018 में ₹ 1,491.41 करोड़ की हानि तक संशोधित किया था। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि निर्धारिती कंपनी ने विगत वर्ष में वि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमशः ₹ 75.96 करोड़, ₹ 65.55 करोड़ और ₹ 145.60 करोड़ की परिचालन हानि के

लिए आर्थिक सहायता प्राप्त की। यद्यपि ₹ 145.60 करोड़ की राशि कर के लिए प्रस्तुत की, लेकिन ₹ 141.51 करोड़ (₹ 75.96 करोड़ + ₹ 65.55 करोड़) की कुल आर्थिक सहायता को कराधान के लिए विचार नहीं किया गया था। इसके अलावा, वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व अवधि बॉन्ड से संबंधित प्रतिपूर्ति पर ₹ 136.10 करोड़ के ब्याज को भी कर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 94.36 करोड़ के संभावित कर सहित ₹ 277.61 करोड़ (₹ 141.51 करोड़ + ₹ 136.10 करोड़) की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत त्रुटि का सुधार किया (अगस्त 2018)।

3.4.4 पूंजीगत लाभ की अनुचित संगणना/वर्गीकरण

हमने तीन राज्यों में ₹ 14.04 करोड़ के कर प्रभाव वाले पाँच मामलों से संबंधित पूंजीगत लाभ की अनुचित संगणना/वर्गीकरण पाया।

आयकर अधिनियम की धारा 50सी(1) में, जहाँ किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का एक निर्धारित द्वाारा भूमि या भवन या दोनों पर हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल, अपनाए गए मूल्य या निर्धारण से कम है या राज्य सरकार (इसके बाद इस धारा में 'स्टॉफ मूल्यांकन प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) के किसी भी प्राधिकारी द्वारा ऐसे हस्तांतरण के संबंध में स्टॉप शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से निर्धार्य था, धारा 48 के उद्देश्य से अपनाए गए या निर्धारित या निर्धार्य मूल्य को इस तरह से हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाना चाहिए।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.4.4.1 प्र.सीआईटी-1, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए दिसम्बर 2016 में ₹ 135.48 करोड़ की निवल आय पर संवीक्षा के बाद कंपनी का निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को पूर्ण करते समय, ₹ 3.16 करोड़ के लघु अवधि पूंजीगत लाभ की गणना की जिसकी गणना ₹ 8.02 करोड़ की बिक्री आय लेते हुए की गई। हालाँकि, लघु अवधि पूंजीगत लाभ की गणना फ्लैट के स्टॉप शुल्क मूल्यांकन अर्थात ₹ 9.91 करोड़ पर अधिनियम के प्रावधान की आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 65.67 लाख के कर प्रभाव वाले ₹ 1.89 करोड़ का लघु अवधि पूंजीगत लाभ का कम निर्धारण किया गया।
आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की।

3.4.5 आर्म्स लेथ कीमत का गलत आंकलन

हमने दो राज्यों में ₹ 290.81 करोड़ के कर प्रभाव वाले 13 मामलों में संबंधित आर्म्स लेथ कीमत के गलत आंकलन को पाया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92 सीए में यह प्रावधान है कि जहाँ कोई भी व्यक्ति, निर्धारिती होने के नाते, किसी भी विगत वर्ष में एक अंतराष्ट्रीय लेनदेन में प्रवेश कर चुका है और निर्धारण अधिकारी इसे आवश्यक या ऐसा करने को समीचीन मानता है, ऐसा वह 'ट्रांसफर प्राइसिंग आफिसर' (टीपीओ) को उक्त अंतराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में 'आर्म्स लेथ प्राइस' की गणना से संदर्भित कर प्रिंसिपल कमिश्नर की विगत मंजूरी के साथ कर सकता है। धारा 92सी(1) में यह प्रावधान है कि एक अंतराष्ट्रीय संव्यहार के संबंध में आर्म्स लेथ कीमत को संव्यवहार की प्रकृति या श्रेणी या सहयोगी व्यक्तियों की श्रेणी द्वारा किए गए कार्यों या ऐसे अन्य संबंधित कारकों जैसा भी बोर्ड वर्णित करे, संबंध रखने वाली सबसे उपयुक्त प्रक्रिया होने के नाते किसी भी प्रक्रिया द्वारा निश्चित किया जाएगा। धारा 92सी(4) के तहत प्रावधान यह प्रदान करता है कि आय की गणना के बाद आय की राशि जिसके द्वारा निर्धारिती की कुल आय में वृद्धि हो, अध्याय VIए के तहत किसी कटौती की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.4.5.1 सीआईटी-(2) प्रभार, दिल्ली में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए एक कंपनी का मामला, निर्धारिती द्वारा घरेलू लेन-देन में प्रवेश करने के संबंध में आर्म्स लेथ प्राइस (एएलपी) के निर्धारण के लिए सीआईटी (टीपीओ-1) प्रभार, दिल्ली के अधीन टीपीओ को भेजा। टीपीओ ने एएलपी का निर्धारण (अक्टूबर 2017), धारा 92सीए(3) के तहत निर्धारिती के संबंध में ₹ 415.57 करोड़ के बिजली के अंतर-इकाई लेनदेन के कारण अर्थात् विशिष्ट घरेलू लेनदेन के ऊपर की ओर समायोजन का प्रस्ताव देते हुए किया। तत्पश्चात सीआईटी-(2) दिल्ली प्रभार में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए, जनवरी 2018 में निर्धारिती का अधिनियम की धारा 115जेबी के विशिष्ट प्रावधानों के तहत ₹ 17.11 करोड़ पर और टीपीओ समायोजन पर कटौती और 'अन्य परिचालित आय' अनुमति देने के बाद अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत शून्य आय पर संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि टीपीओ ने वार्षिक औसत प्रक्रिया के अनुसार ₹ 501.47 करोड़ की सही राशि के स्थान पर बेची गई बिजली की प्रति यूनिट के अनुसार मासिक औसत प्रक्रिया को अपनाते हुए ₹ 415.57 करोड़ के गलत अपवर्ड समायोजन की गणना की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 85.89 करोड़ द्वारा एएलपी का कम समायोजन हुआ। टीपीओ ने, जुलाई 2018 में हस्तांतरण कीमत आदेश में संशोधन किया। लेखापरीक्षा को आगे यह भी पता चला कि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को पूर्ण करते हुए धारा 80-1ए के तहत कटौती के रूप में संपूर्ण टीपीओ समायोजन को अनुमति प्रदान की जोकि अनुमति योग्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 248.85 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 501.47 करोड़

की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके त्रुटि को सुधारा (फरवरी 2019)।

3.4.6 टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के क्रियान्वयन में त्रुटि

हमने पाँच राज्यों में ₹ 48.49 करोड़ के कर प्रभाव वाले आठ मामलों में टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के कार्यान्वयन में त्रुटि पाई।

धारा 143(3) में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही आंकलन करने और कर या प्रतिदाय की सही मात्रा निर्धारित करने, जैसा भी मामला हो, की आवश्यकता है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.4.6.1 पीसीआईटी (केन्द्रीय-2), मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत एक कम्पनी का ₹ 77.42 करोड़ की आय का निर्धारण दिसम्बर 2016 में पूर्ण किया। लेखापरीक्षा ने निर्धारण आदेश के पैरा-7 में यह पाया कि ₹ 17.73 करोड़ के कुल टीडीएस क्रेडिट दावे को, 'अनुबंधकर्त्ता अग्रिमों' और 'सामान और कार्य के प्रति अग्रिमों' के रूप में प्राप्त राशि के कारण निरस्त किया गया था। निर्धारिती को पूर्वोक्त क्रेडिट को छोड़ना पड़ा क्योंकि जिसके प्रति टीडीएस दिया गया था, उसके लिए प्राप्त अग्रिम को लाभ और हानि लेखे में क्रेडिट नहीं किया गया था। निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 42.21 करोड़ का टीडीएस दावा किया था। जिसमें से विभाग ने ₹ 41.83 करोड़ के टीडीएस को अनुमति प्रदान की। इस प्रकार, यह प्रमाणित है कि यद्यपि निर्धारण आदेश में ₹ 17.73 करोड़ के टीडीएस दावे को अस्वीकार किया गया, तथापि आईटीएनएस ने इसे अनुमति दी थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप, समान राशि के कर प्रभाव सहित ₹ 17.73 करोड़ के टीडीएस दावे को अतिरिक्त अनुमति प्रदान की गई। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की (अप्रैल 2018)।

आयकर अधिनियम, 1961 के 194-जे के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो पेशेवर सेवाओं के लिए किसी भी राशि हेतु किसी निवासी को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, वह तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, रायल्टी, गैर प्रतिस्पर्धा शुल्क, निदेशक की फीस का दस प्रतिशत की दर से, जिसमें आय पर आयकर शामिल है, स्रोत पर कर में कटौती करेगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 40(ए)(i) के तहत धारा 30 से 38 के विपरित कुछ भी होने के बावजूद, एक निवासी को देय तकनीकी सेवाओं के लिए किसी शुल्क की आयकर में गणना करने में कटौती नहीं की जाएगी, जिसपर अध्याय XVII-बी के तहत स्रोत पर कर कटौती योग्य है और ऐसे कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के बाद भुगतान नियत तिथि पर या नियत तिथि से पहले नहीं किया गया है जैसा कि अधिनियम की धारा 139(1) में निर्दिष्ट है।

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

3.4.6.2 प्र. सीआईटी राँची प्रभार, झारखंड में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 2.99 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में एक कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा को लाभ और हानि लेखे से यह पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 15.52 करोड़ के पर्यवेक्षण प्रभार का भुगतान किया था। निर्धारिती खनन व्यवसाय में संलग्न था और खनन में पर्यवेक्षण प्रभार एक तकनीकी कार्य है। चूंकि पर्यवेक्षण प्रभार एक तकनीकी सेवा है, अतः किए गए भुगतान पर दस प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता थी। चूंकि निर्धारिती ने पर्यवेक्षण प्रभार के प्रति किए गए भुगतान पर स्रोत से कर की कटौती नहीं की, अतः उसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए था और कराधान आय में वापस जोड़ा जाना चाहिए था। अस्वीकृति की इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 7.40 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 15.52 करोड़ के व्यय की गलत अनुमति प्रदान की गई। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के तहत त्रुटि को सुधारा (दिसम्बर 2018)।

3.5 कर/ब्याज का अधिप्रभार

3.5.1 हमने यह पाया कि निर्धारण अधिकारी ने आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ₹ 232.66 करोड़ के कर और ब्याज के अधिक प्रभार वाले 12 मामलों में आय का अधिक निर्धारण किया। हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिये हैं।

3.5.1.1 सीआईटी (छूट) मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.व. 2012-13 के लिए व्यक्तियों के संघ (ट्रस्ट) का निर्धारण मूलतः मार्च 2015 में पूर्ण किया गया था और अधिनियम की धारा 250 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत ₹ 1,345.65 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए जून 2017 में अपीलीय आदेश को प्रभावी करते समय पुनः निर्धारण किया। आईटीएनएस 150ए फार्म की लेखापरीक्षा जाँच से यह पता चला कि, ₹ 415.81 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 512.85 करोड़ के एएसटी के माध्यम से सीआईटी (ए) आदेश को प्रभाव देते समय भुगतान योग्य कर की गणना की गई। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 132.02 करोड़ (कर ₹ 97.04 करोड़ + धारा 234बी के तहत ब्याज ₹ 34.98 करोड़) के कर और ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ। इसके अलावा, एएसटी प्रणाली में कमी को भी संबोधित करने की आवश्यकता थी।

3.5.1.2 प्र.सीआईटी-I, भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में नि.व. 2013-14 के लिए फरवरी 2016 में एक कंपनी का संवीक्षा निर्धारण को पूर्ण किया गया

जिसे बाद में मार्च 2016 में धारा 154 के तहत ₹ 1,614.62 करोड़ की कुल आय पर संशोधित किया था। इस मामले का दिसंबर 2017 में धारा 147/143(3) के तहत ₹ 1,851.92 करोड़ की कुल आय का निर्धारण करते हुए पुनः निर्धारण किया था। लेखापरीक्षा में यह पता चला कि पुनर्निर्धारण में निर्धारिती की आय की गणना करते समय दिनांक 23 मार्च 2016 को धारा 154 के तहत (अधिनियम की धारा 143(3) के तहत आदेश के अनुसार आय के रूप में गलत वर्णित) 'बिक्री आय को कम बताना' के कुल आय के निर्धारण के प्रति ₹ 197.30 करोड़ वापस जोड़े गए और ₹ 1,811.92 करोड़ की सही आय के बजाय ₹ 1,851.92 करोड़ पर कुल आय का निर्धारण किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 26.61 करोड़ के अधिक कर उद्ग्रहण सहित ₹ 40 करोड़ की आय का अधिक निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि अधिनियम की धारा 250 के तहत प्रभाव देते हुए दिनांक 31 मार्च 2017 के सीआईटी (ए) के आदेश आईटीए सं. 0521/15-16 में उपरोक्त त्रुटि अर्थात् ₹ 40 करोड़ के अतिरिक्त परिवर्धन का भी संज्ञान लिया और तदनुसार एएसटी ने जनवरी 2019 में आदेश पारित किया।

अध्याय IV: आय कर

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 यह अध्याय 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा किए गए आयकर से संबंधित निर्धारणों की लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा करता है। गैर-निगमित निर्धारणों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 537.90 लाख आईटीआर⁶² फाइल की गई थी। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 या इससे पूर्व के वर्षों में उन इकाईयों में कुल 3,18,197 गैर-निगमित संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किए, जिनकी लेखापरीक्षा 2018-19 के दौरान की गई थी। 3,18,197 गैर-निगमित संवीक्षा निर्धारणों में से, हमने 2,21,027 गैर निगमित संवीक्षा मामलों की जाँच की तथा 12,322 निर्धारणों में त्रुटियाँ पाईं। लेखापरीक्षा में 2018-19 के दौरान जाँच किए गए गैर-निगमित संवीक्षा निर्धारणों में त्रुटि के मामले 5.57 प्रतिशत थे जो 2017-18 के दौरान तदनुरूप आकड़े (5.67 प्रतिशत) से कम थी। चूंकि, लेखापरीक्षा द्वारा जांच की सीमा निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरी की गई गैर-निगमित संवीक्षा निर्धारणों के 69.46 प्रतिशत तक सीमित थी, अतः मंत्रालय पूरी तरह से मामलों की समीक्षा पर विचार कर सकता है। त्रुटियों की प्रकृति एएसटी में मानवीय हस्ताक्षेप की ओर संकेत करती है। विभाग को ऐसी त्रुटियों की जांच करने तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

4.1.2 जुलाई 2019 से नवम्बर 2019 के दौरान कुल 77 उच्च मूल्य के आयकर मामले मंत्रालय को संदर्भित किए गए। इनमें से, 76 मामलों में ₹ 167.04 करोड़ का कम प्रभार शामिल था तथा एक मामला ₹ 3.32 करोड़ के अधिक प्रभार वाला था। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग द्वारा प्रयोग की जा रही निर्धारण प्रक्रिया पर आंतरिक नियंत्रणों में कमी का संकेत देते हैं। ऐसी त्रुटियों को पुराने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी बार-बार बताया गया है। लेखापरीक्षा विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्या की गई अथवा हुई त्रुटि ध्यान में आए अनियमितताओं के दृष्टांत हैं जिसमें की गयी त्रुटियों वाले मामलों में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए।

4.1.3 त्रुटियों की श्रेणियों को व्यापक रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

⁶² स्रोत: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन
- त्रुटियों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय
- अन्य-कर/ब्याज का अधिक प्रभार आदि।

इस प्रतिवेदन की तालिका 2.10 (पैरा 2.4.4), निर्धारणों में त्रुटियों तथा उनके कर प्रभाव की व्यापक श्रेणियों का विवरण दर्शाती है।

4.1.4 मंत्रालय ने ₹ 11.86 करोड़ के कर प्रभाव (टीई) सहित 14 मामलों में अपनी स्वीकृति दी है। मंत्रालय ने ₹ 1.53 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों को स्वीकार नहीं किया है। शेष 61 मामलों में, आयकर विभाग ने ₹ 71.28 करोड़ के कर प्रभाव वाले 17 मामलों को स्वीकार किया है (इस प्रतिवेदन के पैरा 2.4.4 में उल्लिखित)। आयकर विभाग ने 77 मामलों में से, ₹ 83.88 करोड़ के कर प्रभाव वाले 48 मामलों में उपचारात्मक कार्यवाई पूर्ण की है तथा ₹ 53.50 करोड़ के कर प्रभाव वाले 12 मामलों में उपचारात्मक कार्यवाई आरम्भ की।

4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

4.2.1 अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारणों में त्रुटि की। लेखापरीक्षा में देखी गई अनियमितताएं आयकर विभाग की निर्धारण प्रक्रिया तथा आन्तरिक नियंत्रण की कमियों को दर्शाती है जिसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियों वाले गलत निर्धारण के मामलों को केलकुलेटर और कम्प्यूटर के समय में मात्र त्रुटियों के रूप में स्वीकार करना कठिन है। इसके अतिरिक्त कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना, ब्याज के उद्ग्रहण में चूकें, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि के उद्ग्रहण में गलतियां या तो अदक्षता अथवा गलती के साथ-साथ आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रण में कमियों की ओर इंगित करते हैं जिसे सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्या ध्यान में आए अनियमितताओं के दृष्टान्त की गई या हुई त्रुटियां हैं जिसमें की गई त्रुटियों वाले मामलों में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

तालिका 4.1 उन त्रुटियों की उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने निर्धारणों की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

तालिका 4.1: निर्धारणों की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण			(₹ करोड़ में)
उप श्रेणियां	मामले	टीई	राज्य
क. आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	3	1.94	महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश
ख. कर, अधिभार आदि की दरों का गलत प्रयोग	23	16.23	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ग. ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ	2	0.77	पंजाब और तमिलनाडु
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज	1	0.11	मध्य प्रदेश
कुल	29	19.05	

4.2.2 आय तथा कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हमने दो राज्यों में ₹ 1.94 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों में आय तथा कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियां देखीं।

आयकर अधिनियम, 1961 में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना चाहिए तथा कर या प्रतिदाय, जैसा भी मामला हो, की सही राशि निर्धारित करनी चाहिए।

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिये हैं:

4.2.2.1 सीआईटी छूट लखनऊ प्रभार, उत्तर प्रदेश में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 99.22 लाख की आय पर दिसम्बर 2017 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए व्यक्तियों का संघ (एओपी) का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने अचल परिसंपत्ति के परिवर्धन के आधार पर ₹ 39.44 लाख की राशि मंजूर नहीं की थी। हालाँकि, निर्धारती की कर योग्य आय की संगणना करते समय ₹ 39.44 लाख की उक्त राशि वापस नहीं जोड़ी गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 22.65 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि का सुधार किया (दिसम्बर 2018)।*

4.2.2.2 पीसीआईटी 19 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 91.80 लाख की आय निर्धारित करते हुए मार्च 2015 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अधीन नि.व. 2009-10 के लिए एक वैयक्तिनिर्धारण को पूरा किया जिसे दिसम्बर 2016 में ₹ 2.87 करोड़ के लिए संशोधित किया गया। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि संशोधित निर्धारित आय की संगणना करते समय, ₹ 91.80 लाख की मूल निर्धारित आय की

बजाय ₹ 3.13 लाख की निर्धारती की रिटर्न आय में जोड़ दी गई थी। इस प्रकार, आकड़ों के गलत उपयोग के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 39.18 लाख के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 88.67 लाख का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (जनवरी 2020) तथा अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्यवाही की (अक्टूबर 2019)।*

4.2.3 कर तथा अधिभार की गलत दरों का प्रयोग

हमने 11 राज्यों में ₹ 16.23 करोड़ के कर प्रभाव वाले 23 मामलों में कर तथा अधिभार की गलत दरों का प्रयोग पाया।

धारा 115बीबीई(1) में प्रावधान है कि जहाँ एक निर्धारती की कुल आय में धारा 68, धारा 69, धारा 69ए, धारा 69बी, धारा 69सी या धारा 69डी में संदर्भित कोई भी आय शामिल होती है, वहाँ देय आयकर, 30 प्रतिशत की दर पर, धारा 68, धारा 69, धारा 69ए, धारा 69बी, धारा 69सी तथा धारा 69डी में संदर्भित आय पर संगणित आयकर की राशि का योग होगा।

हमने दो ऐसे निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

4.2.3.1 प्रधान सीआईटी-केन्द्रीय 1 कलकत्ता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 5.90 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2017 में अधिनियम की धारा 153सी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए एक एचयूएफ का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 68 तथा धारा 69 के अन्तर्गत निर्धारती की आय में ₹ 5.84 करोड़ का परिवर्धन किया था जिसे, उक्त धारा के अन्तर्गत किए गए परिवर्धन पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए था। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 5.84 करोड़ के परिवर्धन को दीर्घावधि पूंजीगत लाभ माना तथा तदनुसार कर लगाया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 87.93 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्यवाही की (अप्रैल 2018)।*

4.2.3.2 प्रधान सीआईटी-5 अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 5.66 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2017 में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत एक वैयक्तिक निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने अस्पष्टीकृत नगद क्रेडिट के कारण निर्धारती की आय में

₹ 5.66 करोड़ की राशि को वापस जोड़ दिया। हालाँकि, आय पर कर 30 प्रतिशत की लागू दर की बजाय 20 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहित किया गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 75.50 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्यवाही की (जुलाई 2018)।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 4(1) में प्रावधान है कि सुसंगत वित्त अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार एक निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष हेतु आयकर प्रभार्य है।

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

4.2.3.3 सीआईटी-1 मदुरई प्रभार, तमिलनाडु में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 117.45 करोड़ की आय पर फरवरी 2016 में निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति के निर्धारण को पूरा किया। तत्पश्चात, निर्धारण को, अपील आदेश को लागू करने के लिए मार्च 2017 में संशोधित किया गया, जिसमें आय को ₹ 83.74 करोड़ तक कम किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि अपील आदेश को लागू करते समय, निर्धारण अधिकारी ने संबंधित वित्त अधिनियम प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहण अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.59 करोड़ का कम उद्ग्रहण किया गया।

4.2.3.4 हरियाणा प्रभार, सीआईटी पंचकुला में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 40.76 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए एक ट्रस्ट का निर्धारण पूरा किया, जिसे बाद में, मार्च 2017 में धारा 154 के अंतर्गत ₹ 29.15 करोड़ पर निर्धारित किया गया। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत कर देयता की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने 10 प्रतिशत पर उद्ग्रहण अधिभार को प्रभार नहीं किया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.20 करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि का सुधार किया (जुलाई 2018)।

4.2.3.5 प्रधान सीआईटी कानपुर प्रभार, उत्तर प्रदेश में, क्रमशः निर्धारण अधिकारी ने ₹ 8.09 करोड़ तथा ₹ 10.18 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में क्रमशः निर्धारण वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए एक एओपी का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि निर्धारण

अधिकारी ने, संबंधित निर्धारण वर्षों के लिए कर मांग की संगणना करते समय, 10 प्रतिशत की दर पर लागू अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप दोनो निर्धारण वर्षों के लिए ब्याज सहित ₹ 35.49 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटियों का सुधार किया (फरवरी 2019)।

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

4.3.1 आयकर अधिनियम, 1961 अध्याय VI-ए, के अन्तर्गत कुल आय की संगणना करने में तथा इसके प्रासंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए निर्धारित को रियायतों/छूटों/कटौतियों की अनुमति देता है। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने अयोग्य लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के अनियमित लाभ दिए हैं। ये मामलें आयकर विभाग की तरफ से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन में कमजोरी को दर्शाते हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्या ध्यान में आए अनियमितताओं के दृष्टांत की गयी या हुई त्रुटियां हैं जिसमें की गई त्रुटियों वाले मामलों में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

तालिका 4.2 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन को प्रभावित किया है।

तालिका 4.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन के अन्तर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियां			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियां	संख्या	टीई	राज्य
क. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौतियां/राहत	01	0.26	दिल्ली
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसायटी/ एओपी को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	05	18.73	गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान
ग. करोबार व्यय की गलत अनुमति	10	81.43	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल
घ. मूल्यहास/करोबार हानियों/पूँजीगत हानियों को स्वीकृत करने में अनियमितताएं	14	21.30	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल
जोड़			30 121.72

4.3.2 ट्रस्टों/फर्मों/सोसायटियों/ एओपी को अनियमित छूटें/कटौतियां/राहत

हमने चार राज्यों में ₹ 18.73 करोड़ के कर प्रभाव वाले 5 मामलों में ट्रस्टों/फर्मों/सोसायटी/एओपी को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियां/राहत को पाया।

आयकर अधिनियम 1961 में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना चाहिए तथा कर या प्रतिदाय, जैसा भी मामला हो, की सही राशि निर्धारित करनी चाहिए। इसके अलावा, धारा 80-आई के अन्तर्गत कटौतियों की मात्रा का निर्धारण करने के उद्देश्य से, एक पात्र कारोबार के लाभ तथा प्राप्तियों की ऐसे संगणना करनी चाहिए जैसे कि पिछले वर्ष के दौरान ऐसे पात्र कारोबार निर्धारिती की आय का एकमात्र स्रोत थे।

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

4.3.2.1 प्रधान सीआईटी-I जयपुर प्रभार, राजस्थान में, निर्धारण अधिकारी ने पात्र कारोबार 'सौर ऊर्जा संयंत्र' के लिए लाभ पर धारा 80-आई के अंतर्गत ₹ 41.14 लाख की कटौतियों की अनुमति के बाद ₹ 45.43 लाख की आय पर नवम्बर 2017 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए एक फर्म का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 'सौर ऊर्जा संयंत्र' से संबंधित ₹ 30.03 लाख के मूल्य-ह्रास को पात्र कारोबार 'सौर ऊर्जा संयंत्र' के लाभ तथा प्राप्तियों के बजाय निर्धारिती के दूसरे कारोबार के लाभ तथा प्राप्तियों से डेबिट किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 11.58 लाख के कर के कम उद्ग्रहण-सहित धारा 80-आई के अंतर्गत ₹ 30.03 लाख की कटौती की अधिक अनुमति हुई।

4.3.3 कारोबार व्यय की गलत अनुमति

हमने 8 राज्यों में ₹ 81.43 करोड़ के कर प्रभाव वाले 10 मामलों में कारोबार व्यय की गलत अनुमति देखी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी केवल तब कुछ व्यय के प्रति कटौतियां प्रदान करता है जब उसे आय के रिटर्न फाइल की नियत तिथि को या इससे से पहले पिछले वर्ष में वास्तविक भुगतान किया गया था।

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

4.3.3.1 पीसीआईटी-II, भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में, ₹ 165.90 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए दिसम्बर 2017 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित पिछले वर्ष के लिए "कर्मचारी हितलाभ व्यय" तथा "ऋण पर ब्याज" के लिए

₹ 269.39 करोड़ की देयता का आय के रिटर्न फाइल करने की नियत तिथि पर या उससे पहले भुगतान करना था। हालाँकि, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार (फॉर्म 3सीडी), निर्धारिती ने आय के रिटर्न फाइल करने की नियत तिथि को या उससे पहले उक्त देयता का भुगतान नहीं किया था, जिस पर अधिनियम की धारा 43बी के प्रावधान लागू होंगे तथा इसीलिए इसे अस्वीकृत किया जाना आवश्यक था। अप्रदत्त देयता की गैर-अस्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 112.20 करोड़ तक की हानि का अधिक निर्धारण हुआ, जिससे ₹ 38.14 करोड़ का संभावित कर प्रभाव हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2018) तथा कहा कि अधिनियम की धारा 147/ 263 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की जा रही थी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37(1) में प्रावधान है कि निर्धारिती के पूंजीगत व्यय या निजी व्यय की प्रकृति का ना होने वाला कोई व्यय, जो कारोबार या व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः तथा विशेष रूप से रखे गए या विस्तारित को “कारोबार या व्यवसाय के लाभ तथा प्राप्तियाँ” के शीर्ष के अन्तर्गत प्रभारित आय की संगणना में अनुमति की जाएगी। इसके अलावा, सीबीडीटी ने 2008 निर्देश संख्या 17, दिनांक 26.11.2008 में स्पष्टीकरण दिया कि अधिनियम की धारा 37 के अनुसार एक उपार्जित या निश्चित देयता के संबंध में लाभ तथा हानि खाते में डेबिट की गई राशि केवल एक स्वीकार्य कटौती है, जबकि किसी भी अनिश्चित देयता या एक देयता जो उपार्जित नहीं किया जाता है, के संबंध में कोई प्रावधान, कटौती के लिए योग्य नहीं है।

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

4.3.3.2 प्रधान सीआईटी 2 औरगांबाद प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 7.01 करोड़ की कुल आय निर्धारित करके जनवरी 2016 में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए एक एओपी के संवीक्षा निर्धारण को पूरा किया। लेखापरीक्षा जाँच से यह पता चला कि निर्धारिती ने अतिदेय ब्याज के प्रावधानों के लिए लाभ तथा हानि खातों से ₹ 34.94 करोड़ की राशि डेबिट की थी। चूंकि उक्त व्यय केवल एक प्रावधान था जो अनिश्चित प्रकृति का था तथा इसीलिए इसे निर्धारिती की आय में वापस जोड़ने की आवश्यकता थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 14.47 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण को शामिल करते हुए ₹ 34.94 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ था। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 263 के अन्तर्गत त्रुटियों का सुधार किया (दिसम्बर 2018)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40ए (ii) में प्रावधान है कि किसी भी कारोबार या व्यवसाय के लाभ या प्राप्तियों पर उद्ग्रहित कर या किसी दर पर भुगतान की गई किसी राशि की "कारोबार या व्यवसाय के लाभ तथा प्राप्तियों" के शीर्ष के अन्तर्गत प्रभार्य आय की संगणना में कटौती नहीं होनी चाहिए।

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

4.3.3.3 प्रधान सीआईटी 1 कोल्हापुर प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 56.47 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2017 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए एक एओपी का निर्धारण पूरा करते समय, भुगतान किए गए आयकर के लिए ₹ 4.01 करोड़ के व्यय को स्वीकृति दी जो पूर्वोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुमति योग्य व्यय नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.81 करोड़ के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 4.01 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2020) तथा अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्यवाही की गई (जनवरी 2019)।

4.3.4 मूल्यहास/कारोबारी हानियों/पूँजीगत हानियों को अनुमति देने में अनियमितताएं

हमने 10 राज्यों में ₹ 21.29 करोड़ के कर प्रभाव वाले 14 मामलों में मूल्यहास/कारोबारी हानियों/पूँजीगत हानियों को अनुमति देने में अनियमितताएं पाईं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 के अन्तर्गत, जहां किसी निर्धारण वर्ष हेतु, शीर्ष 'कारोबार या व्यवसाय के लाभ तथा प्राप्तियां' के अन्तर्गत संगणना का निवल परिणाम निर्धारित की हानि है, जो सट्टे के कारोबार में उठाई गई हानि नहीं है, तथा ऐसी हानि को धारा 71 के प्रावधानों के अनुसार आय के किसी दूसरे शीर्ष के अन्तर्गत आय के किसी अन्य शीर्ष के प्रति पूर्णरूप से समंजन नहीं किया जा सकता है, हानि के जितने भाग का समंजन नहीं किया गया था, अथवा जहाँ किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत उसके पास आय नहीं है, वहाँ संपूर्ण हानि को अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रेषित किया जाएगा। इसके अलावा, धारा 80 में प्रावधान है कि किसी भी हानि को अग्रेषित या नहीं किया जाना चाहिए यदि आय के रिटर्न को नियत समय पर फाइल नहीं किया गया।

हमने एक ऐसा निदर्शी मामला नीचे दिया है:

4.3.4.1 प्रधान सीआईटी-4 प्रभार, पश्चिम बंगाल में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 4.74 करोड़ की अग्रेषित कारोबार हानियों के समंजन की अनुमति देने के पश्चात ₹ 14.73 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2017 में अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए एक व्यक्ति का निर्धारण

पूरा किया। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि ₹ 4.74 करोड़ की अग्रेषित कारोबार हानि में निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित ₹ 2.53 करोड़ की हानि शामिल थी। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, निर्धारती को केवल ₹ 27.88 लाख की हानि हुई तथा इसलिए ₹ 2.25 करोड़ की हानि के अधिक समंजन की अनुमति दी गई। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.02 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.3.4.2 प्रधान सीआईटी भागलपुर प्रभार, बिहार में, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित ₹ 15.45 करोड़ की हानि के समंजन की अनुमति देने के पश्चात शून्य आय पर फरवरी 2016 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए एक एओपी के निर्धारण को पूरा किया। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 30 मार्च 2012 को ₹ 20.88 करोड़ की हानि पर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आय का रिटर्न फाइल किया गया था। चूंकि, धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आय के रिटर्न को फाइल करने की नियत तिथि⁶³ के बाद फाइल किया गया था, अतः निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए हानि को अग्रेषित करना तथा इसके बाद के वर्षों में समंजन की अनुमति नहीं थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 15.45 करोड़ आय की कम संगणना की गई थी जिसके कारण ब्याज सहित ₹ 6.41 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2018) तथा नवम्बर 2017 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के अन्तर्गत त्रुटियों का सुधार किया।*

4.3.4.3 प्रधान सीआईटी-1 जयपुर प्रभार, राजस्थान में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 2.32 लाख की आय पर दिसम्बर 2017 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143 के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि ₹ 1.18 करोड़ के कुल कारोबार लाभ में से 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अन्तर्गत कर लगाने वाली बेहिसाबी आय के रूप में ₹ 57.34 लाख के लाभ का निर्धारण किया गया था। इस प्रकार, कारोबार या व्यवसाय के लाभ तथा प्राप्तियों के शीर्ष के अन्तर्गत केवल ₹ 60.88 लाख शेष थे जिसके प्रति अग्रेषित कारोबार हानि का समंजन किया जा सकता था। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1.14 करोड़ की अग्रेषित कारोबार हानि के समंजन की अनुमति दी थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 53.49 लाख की कारोबार हानि का अधिक

⁶³ निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आय के रिटर्न को फाइल करने की नियत तिथि 30 सितम्बर 2011 थी।

समंजन हुआ तथा ब्याज सहित ₹ 31.23 लाख के कम उद्ग्रहण को शामिल करते हुए बराबर राशि की आय का कम निर्धारण हुआ।

4.4 त्रुटियों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय

4.4.1 आयकर अधिनियम 1961 में प्रावधान है कि किसी पिछले वर्ष हेतु एक व्यक्ति की कुल आय में वास्तविक रूप से प्राप्त अथवा उपार्जित अथवा प्राप्त या उपार्जित होने के लिए मानी गई सभी आय, चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, सम्मिलित होगी। हमने अवलोकन किया कि निर्धारण अधिकारी ने उस कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम निर्धारण किया जिसे कर हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। तालिका 4.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण से छूट गई।

तालिका 4.3: त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूटने वाली आय के अन्तर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियां (₹ करोड़ में)			
उप श्रेणियां	संख्या	टीई	राज्य
क. पूंजीगत प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण तथा संगणना	06	1.93	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान
ख. आय की गलत संगणना	06	10.89	महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
ग. विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय	02	1.27	असम और तमिलनाडु
घ. उल्लेख न किए गए निवेश/नकद क्रेडिट	03	12.18	गुजरात और महाराष्ट्र
जोड़	17	26.27	

4.4.2 पूंजीगत प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण तथा संगणना

हमने छह राज्यों में ₹ 1.93 करोड़ के कर प्रभाव वाले छह मामलों में पूंजीगत प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण तथा संगणना देखी।

आयकर अधिनियम की धारा 50सी के अंतर्गत, जहाँ पूंजीगत परिसंपत्ति के एक निर्धारित द्वारा हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित किया जा रहा है, भूमि या भवन या दोनों, इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान के उद्देश्य से किसी राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए या निर्धारित या निर्धारित किए जा सकने वाले मूल्य से कम है, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, इस तरह से अपनाई गई, निर्धारित या निर्धारित की जा सकने वाले मूल्य को ऐसे हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित किया गया कुल मूल्य समझा जाएगा।

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

4.4.2.1 प्रधान सीआईटी-1 जयपुर प्रभार, राजस्थान में, निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2017 में ₹ 1.12 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए एक व्यक्ति के संवीक्षा निर्धारण को पूरा किया। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1.23 करोड़ (₹ 4.92 करोड़ का एक चौथाई हिस्सा) की भूमि की प्राप्त बिक्री पर बिक्री प्रतिफल से ₹ 1.02 करोड़ की दीर्घावधि पूंजीगत लाभ का निर्धारण किया। तथापि, उप-रजिस्ट्रार आमेर द्वारा भूमि का निर्धारण ₹ 7.38 करोड़ किया गया था, तथा इसीलिए, ₹ 4.92 करोड़ के बजाय पूंजीगत लाभ की संगणना के लिए प्रतिफल के पूरे मूल्य को ₹ 7.38 करोड़ समझा जाना चाहिए था। इसीलिए, दीर्घकालिक पूंजीगत प्राप्ति की ₹ 1.85 करोड़ पर (₹ 7.38 करोड़ का एक चौथाई हिस्सा) संगणना की जानी चाहिए थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 18.53 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 61.50 लाख की पूंजीगत लाभ की कम संगणना हुई।

4.4.3 आय की गलत संगणना

हमने चार राज्यों में ₹ 10.88 के कर प्रभाव वाले छह मामलों में आय की गलत संगणना देखी।

आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की आय का सही निर्धारण करना चाहिए तथा निर्धारिती द्वारा भुगतान की जाने वाली सही राशि या निर्धारिती को प्रतिदेय, जैसा भी मामला हो, की सही राशि का निर्धारण करना चाहिए। बोर्ड ने निर्धारण अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि एक संवीक्षा निर्धारण में निर्धारिती की हानि या कुल आय का सही निर्धारण किया गया है। स्टॉक का मूल्यांकन कारोबार से एक निर्धारिती की कर योग्य आय के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि सही लाभ को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता जबतक कि स्टॉक के आदि शेष तथा अंत शेष के मूल्य का सही निर्धारण न हो। यद्यपि, स्टॉक का मूल्यांकन कोष सृजित नहीं करता, यह कारोबार की कर योग्य आय को प्रभावित करता है। यह शीर्ष कोर्ट द्वारा न्यायिक रूप से कहा गया था कि सही ट्रेडिंग परिणामों [एएलए फर्म बनाम सीआईटी [1991] 189 आईटीआर 285 (एसी)] को अभिनिश्चित करने के लिए अंतिम स्टॉक का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह सीआईटी बनाम ब्रिटिश पेन्टस इंडिया लिमिटेड [1991] 188 आईटीआर 44 (एलसी) मामले के संबंध में भी कहा गया कि अंतिम स्टॉक के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्रभार्य आय की संगणना के उद्देश्य से कारोबार की सही स्थिति का चित्र नहीं दर्शाता है। एक वर्ष के लाभ को दूसरे वर्ष में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है जो निर्धारण के उद्देश्य के लिए लाभ तथा प्राप्तियों की संगणना का एक गलत तरीका है।

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

4.4.3.1 प्रधान सीआईटी-1 भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 17.80 करोड़ की कुल आय निर्धारित करके नवम्बर 2017 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए एक फर्म का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (फार्म 3सीडी) में प्रस्तुत मात्रात्मक विवरण की तुलना में सांविधिक रिटर्न की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि लौह अयस्क के अंतिम स्टॉक की मात्रा 82,888.29 एमटी थी, वार्षिक खनन रिटर्न (अर्थात फार्म एच-1) में निर्धारती द्वारा प्रस्तुत जिसका मूल्य ₹ 18.81 करोड़ संगणित किया गया। हालांकि, निर्धारती ने 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के साथ-साथ लाभ तथा हानि खाते में अंतिम स्टॉक का मूल्य ₹ 18.81 करोड़ की बजाय ₹ 1.88 करोड़ बताया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.67 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 16.93 करोड़ (₹ 18.81 करोड़ - ₹ 1.88 करोड़) तक अंतिम स्टॉक का कम मूल्य निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2018) कि उपचारात्मक कार्यवाही की गई थी। हालांकि, सुधार आदेश की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

4.4.4 विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित न की गई आय

हमने दो राज्यों में ₹ 1.26 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों में विशेष प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई आय देखी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेसी में प्रावधान है कि जहाँ एक कम्पनी के अलावा एक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष हेतु देय नियमित आयकर पिछले वर्ष हेतु देय वैकल्पिक न्यूनतम कर से कम होता है, वहाँ समायोजित कुल आय को उस पिछले वर्ष हेतु व्यक्ति की कुल आय माना जाएगा तथा वह साढ़े अठारह प्रतिशत की दर पर उस कुल आय पर कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

4.4.4.1 प्रधान सीआईटी-1, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, निर्धारण अधिकारी ने अग्रेषित हानियों के समंजन के पश्चात, सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत 'शून्य' आय पर दिसम्बर 2016 में निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए एक फर्म का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियम की धारा 115 जेसी के अनुसार कुल आय पर वैकल्पिक न्यूनतम कर को नियमित निर्धारण में कर के रूप में उद्ग्रहित किया जाना चाहिए था, जोकि शून्य था। त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 115 जेसी के अन्तर्गत ₹ 1.15 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ था। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत त्रुटि का सुधार किया (अप्रैल 2019)।

4.4.5 उल्लेख न किए गए निवेश/नकद क्रेडिट

हमने दो राज्यों में ₹ 12.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों में उल्लेख नहीं किए गए निवेश/नकद क्रेडिट से संबंधित त्रुटियाँ देखी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 68 में प्रावधान है कि, जहाँ एक निर्धारती की किसी पिछली वर्ष हेतु निर्धारती की लेखा बहियों में किसी राशि का क्रेडिट पाया जाता है तथा निर्धारती इसकी प्रकृति तथा स्रोत के विषय में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी के मत में संतोषजनक न हो, वहाँ क्रेडिट की गई ऐसी राशि पर उस पिछली वर्ष की निर्धारती की आय के रूप में आयकर प्रभारित किया जा सकता है।

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

4.4.5.1 प्रधान सीआईटी-1, अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 29.79 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2017 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए एक व्यक्ति के निर्धारण को पूरा किया। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत उल्लेख न किए गए नकद जमा के कारण ₹ 29.76 करोड़ को स्वीकृति नहीं दी थी तथा इस राशि को निर्धारती की आय में जोड़ा था। हालांकि, निर्धारती के बैंक विवरण के अनुसार, वहाँ ₹ 30.88 करोड़ का नकद जमा था जिसका उल्लेख नहीं किया गया था। इसीलिए, अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत ₹ 29.76 करोड़ के बजाय ₹ 30.88 करोड़ के नकद जमा को स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए थी। त्रुटियों के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 55.91 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 1.12 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ था। *आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि का सुधार किया था (मई 2018)।*

4.5 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

- (i) निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियाँ कीं। आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियों वाले गलत निर्धारणों के मामले केलकुलेटर और कम्प्यूटर के समय में मात्र त्रुटियों के रूप में स्वीकार किए जाने कठिन हैं। इसके अतिरिक्त कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना, ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ, अधिक अथवा

अनियमित प्रतिदाय आदि या तो अक्षमता अथवा की ओर संकेत करती है या बदनियती की ओर और साथ ही आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रणों में कमियों की ओर, जिसे सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा संवीक्षा निर्धारण पद्धति अपारदर्शी है।

- (ii) जबकि मंत्रालय ने इन मामलों में सुधार करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की है, यह उल्लेख किया जाता है कि ये मात्र कुछेक निदर्शी मामले हैं। समस्त निर्धारणों के पूरे यूनीवर्स में, गैर-संवीक्षा निर्धारणों सहित, कई और मामलों में ऐसी त्रुटियां होने या किए जाने की पूरी संभावना है। सीबीडीटी को न केवल अपने निर्धारणों की पुनः जांच करने की आवश्यकता है बल्कि इस प्रकार की त्रुटियों को समाप्त करने के लिए एक त्रुटिरहित आईटी सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी रखने की आवश्यकता है।
- (iii) त्रुटियों की पुनरावृत्ति के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग को ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारी कदम उठाने चाहिए।
- (iv) सीबीडीटी जांच करें कि क्या पाई गई 'त्रुटियों' के दृष्टांत भूल के या जानबूझ कर किए गये हैं और यदि ये जानबूझ कर की गई त्रुटियां हैं, तो आयकर विभाग को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय V: अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज

5.1 प्रस्तावना

आयकर अधिनियम, (इसके पश्चात 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) 1961 की धाराएं 234ए, 234बी तथा 234सी में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरो पर निर्धारिती की तरफ से होने वाली चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 244ए में ब्याज के भुगतान का प्रावधान है यदि निर्धारिती को देय प्रतिदाय के भुगतान में देरी होती है।

निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी), आयकर विभाग (आई.टी.डी.) का एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल अन्य के साथ-साथ, अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ब्याज तथा कर की संगणना का कार्य करता है। यह निर्धारिती के व्यक्तिगत चालू बही खातों (आईआरएलए)⁶⁴ में से प्रीपेड करों अर्थात् अग्रिम कर तथा स्व-निर्धारण कर का विवरण स्वतः लेने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उसके द्वारा देय राशि या किसी प्रतिदाय राशि का निर्धारण किया जा सके। हालांकि, एएसटी मॉड्यूल, निर्धारण अधिकारी (एओ) को शीर्ष 'संशोधित' के अंतर्गत अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज के मूल्य को संशोधित करने की अनुमति देता है।

आयकर विभाग, 2017 में, एएसटी तथा आयकर विभाग के अन्य मॉड्यूल की कारोबार प्रक्रिया को दोबारा लिखकर प्रक्रिया/निर्धारणों के इलेक्ट्रॉनिक आयोजन के लिए इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन (आईटीबीए) मॉड्यूल को अपनाया जो अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज में आशोधन के संबंध में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करेगा।

5.2 हमने यह विषय क्यों चुना

इस विषय को चुनने के कारण निम्न है:

- (क) पूर्व अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि यद्यपि प्रणाली (एएसटी) ने अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत ब्याज की सही राशि की संगणना की, परंतु उसे प्रभार्य ब्याज को बढ़ाने या घटाने के लिए निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा हस्त्य रूप से संशोधित किया गया था।

⁶⁴ आईआरएलए प्रणाली को निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए संग्रहण तथा सृजित सभी मांगों के रिकार्ड को एक समेकित तरीके तथा एक ही स्थान पर रखने के लिए विकसित किया गया था।

(ख) हमने यह भी पाया कि निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली में संशोधन, जिसमें ब्याज का अतिप्रभार शामिल था के द्वारा प्रतिदाय को रोक दिया था।

(ग) हमें उपरोक्त जानकारी को साझा करते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि निर्धारण अधिकारी प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप से निर्धारणियों के प्रतिदाय को रोक रहे थे।

इसीलिए, हमने इस लेखापरीक्षा के द्वारा उपरोक्त पहलुओं को अधिक व्यापक तरीके से कवर करने का निर्णय लिया था।

5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या आय के रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक, अग्रिम कर के भुगतान में चूक/आस्थापन, तथा निर्धारणियों को देय प्रतिदाय के भुगतान में देरी के कारण सृजित ब्याज राशि की सही गणना हेतु प्रणाली मौजूद थी।

उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उप-उद्देश्य हैं:

1. क्या निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्त्य रूप से संशोधित प्रणाली द्वारा संगणित ब्याज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप था?
2. क्या प्रणाली के माध्यम से संगणित ब्याज निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारणियों को देय प्रतिदाय को अवरुद्ध करने के लिए हस्त्य रूप से संशोधित किया गया था?
3. क्या आईटीबीए के कार्यान्वयन के पश्चात, प्रणाली के माध्यम से ब्याज की संगणना ठीक की गई है तथा इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं था?

5.4 कानूनी ढांचा

अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी, 244ए के प्रावधानों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

धारा	प्रावधानों का संक्षेप
धारा 234ए	अधिनियम की धारा 234ए में निर्दिष्ट दरों तथा निर्दिष्ट समयावधि पर आय के रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है।
धारा 234बी	अधिनियम की धारा 234बी में निर्दिष्ट दरों तथा निर्दिष्ट समयावधि पर अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है।
धारा 234सी	अधिनियम की धारा 234सी निर्दिष्ट दरों तथा निर्दिष्ट समयावधि पर अग्रिम कर की किश्तों के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है।

धारा अधिनियम की धारा 244ए में निर्दिष्ट दरों तथा निर्दिष्ट समयावधि पर स्रोत 244ए पर जमा कर (टीसीएस) या स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) अग्रिम कर का अधिक भुगतान के कारण प्रतिदाय पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान है।

अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज से संबंधित कानूनी प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट-5.1 में दिया गया है।

5.5 लेखापरीक्षा आवृत्त क्षेत्र

लेखापरीक्षा में अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज के मामलों के नमूने शामिल किए गए हैं जिसे वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में पारित आदेश तथा एएसटी में प्रक्रमण के दौरान संशोधित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में लिए, लेखापरीक्षा ने उन मामलों⁶⁵ को कवर किया जो अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अन्तर्गत ब्याज की संगणना के संबंध में जांच के लिए आईटीबीए में संसाधित/पूर्ण किए गए थे।

5.6 नमूना आकार

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत एएसटी में संसाधित करने के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधित ब्याज पर निर्धारिती-वार डेटा प्रस्तुत किया जिसमें 8,35,727 अभिलेख शामिल थे। 8,35,727 अभिलेखों में से 6,544 निर्धारण मामलों को जोखिम विश्लेषण के पश्चात लेखापरीक्षा के लिए नमूने के रूप में चुना गया। इसके अलावा, 496 निर्धारण मामलों को नमूने में जोड़ा गया जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में आईटीबीए ने संसाधित/पूर्ण किए गए थे। इसीलिए, लेखापरीक्षा के लिए नमूने के रूप में चयनित कुल 7,040 मामले⁶⁶ थे। लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूने का राज्य-वार विवरण *परिशिष्ट-5.2* में दिया गया है।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 7,040 मामलों के अलावा, हमने 134 उच्च मूल्य वाले मामलों को भी शामिल किया जहाँ हमने अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी तथा 234सी के अन्तर्गत 2018-19 की अवधि के लिए आयोजित नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान ब्याज पर अभियुक्तियों को पाया।

⁶⁵ वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए नमूना के लिए चयनित मामलों को वित्तीय वर्ष 2018-19 तक बढ़ा दिया गया था जिनको वित्तीय वर्ष 2018-19 में आईटीबीए द्वारा संसाधित/पूर्ण किया गया था।

⁶⁶ 7,040 मामलों में शामिल 4,810 विशिष्ट निर्धारिती

5.7 अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

अपेक्षित 7,040 मामलों में से, 6,713 मामलें (6,217 मामलें⁶⁷ + 496 मामलें⁶⁸) लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए। अप्रस्तुत अभिलेख मांगे गए अभिलेखों का 4.64 प्रतिशत था। अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण चयनित नमूना के पूर्ण कवरेज में एक बाधा थी। आयकर विभाग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न करने के लिए दिए गए कारण सीआईटी (छूट), अभियोजना परिषद, सतर्कता अपील के पास रिकार्ड तथा आसानी से उपलब्ध न होने वाले अभिलेख थे।

5.8 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए 6,217 मामलों (वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में संसाधित/पूर्ण किए गए एएसटी मामले) में हमने मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए एएसटी प्रणाली में उचित जाँच का अभाव तथा ब्याज की सही राशि की संगणना में एएसटी प्रणाली में कमियां देखीं। हमें अनुपालन मामलों से संबंधित उदाहरण भी मिले जहाँ निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज को संशोधित नहीं किया या यदि संशोधित किया तो गलत तरीके से संशोधित किया। दूसरी ओर, निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज को संशोधित किया जिससे ब्याज का कम/अधिक उद्ग्रहण हुआ था। ऐसे उदाहरण भी पाए गए जहाँ ब्याज घटक को संशोधित करके निर्धारती को देय प्रतिदाय को अवरुद्ध किया गया जिससे निर्धारती को अनुचित परेशानी तथा उनका उत्पीड़न हुआ। हमने 4,767 निर्धारण मामलों⁶⁹ के संबंध में अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अन्तर्गत 7,385⁷⁰ अभियुक्तियां पाईं जिनका कर प्रभाव ₹ 19,09,054.91 लाख⁷¹ था और ₹ 4,39,571.21 लाख/ ₹ 5,274.59 लाख मूल्य के ब्याज का प्रतिदाय अवरोधन/परिहार्य व्यय हुआ।

हमने प्रणालीगत मामले भी देखे जहाँ अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अन्तर्गत ब्याज के संबंध में क्रमशः 1,400 मामलों,

⁶⁷ वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए एएसटी द्वारा प्रक्रमित/पूर्ण; 6,217 मामलों में शामिल 4,551 विशिष्ट निर्धारती

⁶⁸ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आईटीबीए द्वारा संसाधित/पूर्ण; 496 मामलों में शामिल 354 विशिष्ट निर्धारती

⁶⁹ धाराओं 234ए, 234बी तथा 234सी के अन्तर्गत ₹14,46,070.93 लाख ब्याज राशि का अधिक उद्ग्रहण तथा ₹1,46,462.46 लाख के ब्याज राशि का कम उद्ग्रहण; धारा 244ए के अन्तर्गत ₹2,05,380.06 लाख की ब्याज राशि का अधिक भुगतान तथा ₹1,11,141.46 लाख ब्याज राशि का कम भुगतान

⁷⁰ 4,767 निर्धारणों के संबंध में 7,385 उदाहरणों में 3,486 विशिष्ट निर्धारती शामिल हैं।

⁷¹ 7,385 मामलों के संबंध में कुल कर प्रभाव ₹20,51,183.77 लाख है; हालांकि, उसी निर्धारण वर्ष के लिए उसी निर्धारती के संबंध में 958 मामले 7,385 में शामिल हैं परन्तु इनका निर्धारण अलग से हुआ, इसीलिए प्रभावी कर प्रभाव ₹19,09,054.91 लाख है।

1,744 मामलों, 1,900 मामलों तथा 1,585 मामलों में एएसटी प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना की गई थी।

इसके अतिरिक्त, हमने इन्कम टैक्स बिज़नेस एप्लीकेशन (आईटीबीए) जिसे 2017 में एएसटी की कार्यपद्धति में सुधार के बाद अपनाया गया था, के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना के मामले भी देखे। हमने 2018-19 की अवधि के लिए हमारी नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी तथा 234सी के अन्तर्गत ब्याज की संगणनाओं में त्रुटियां भी देखीं। वि.व. 2018-19 में आईटीबीए के माध्यम से प्रसंस्कृत/पूर्ण किए गये 496 मामलों में से, 32 मामलों में हमने पाया कि ₹ 2,297.95 लाख⁷² के कर प्रभाव सहित ब्याज की गलत संगणना की गई थी।

2018-19 की अवधि के लिए संचालित हमारी नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, हमे अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी तथा 234सी के अंतर्गत ब्याज की संगणना में त्रुटियों से संबंधित 134 मामले मिले, जिनमें ₹ 1,10,269.82 लाख⁷³ का कर प्रभाव शामिल था।

6,217 लेखापरीक्षित मामलों से संबंधित निष्कर्षों (वि.व. 2016-17 तथा वि.व. 2017-18 में प्रसंस्कृत/पूर्ण एएसटी मामले) पर इस प्रतिवेदन के पैरा 5.8.1 से पैरा 5.8.4 तक में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, आईटीबीए मामलों से संबंधित निष्कर्षों पर इस प्रतिवेदन के पैरा 5.8.5 में चर्चा की गई है तथा हमारी नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों पर पैरा 5.8.6 में चर्चा की गई है।

हमने अप्रैल 2020 में टिप्पणियों के लिए यह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय को भेजा था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)।

5.8.1 प्रणाली (एएसटी) के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना

संवीक्षा निर्धारण से पहले सभी आयकर रिटर्नों (आईटीआर) को सर्वप्रथम केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी), बेंगलुरु में धारा 143(1) में अंतर्गत एक साथ प्रसंस्कृत किया जाता है, इस प्रकार सारांश निर्धारण से संबंधित सारा डेटा सीधे एएसटी में दर्ज हो जाता है। संवीक्षा मामलों के संबंध में निर्धारण

⁷² धारा 234ए, 234बी तथा 234सी के अंतर्गत ₹284.29 लाख की राशि के ब्याज का कम उदग्रहण तथा ₹1,635.24 लाख की राशि के ब्याज का अधिक उदग्रहण; धारा 244ए के अंतर्गत ₹370.91 लाख की राशि के ब्याज का कम भुगतान तथा ₹7.52 लाख की राशि के ब्याज का अधिक भुगतान हुआ।

⁷³ धारा 234ए, 234बी तथा 234सी के अंतर्गत ₹65,796.38 लाख की राशि के ब्याज का कम उदग्रहण तथा ₹44,473.44 लाख की राशि के ब्याज का अधिक उदग्रहण।

आदेश के प्रसंस्करण, सुधार, पूर्णता का कार्य सीपीसी से अंतरित सभी रिटर्नों के लिए, आयकर विभाग मॉड्यूल के भाग के रूप में, एएसटी मॉड्यूल में निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाता है। एएसटी, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर की संगणना और ब्याज की संगणना का निर्धारण कार्य करता है। संवीक्षा निर्धारण, सुधारकार्य, क्षेत्रीय कार्यालयों में अपील प्रभाव आदेश के मामलों में, आंकड़े आदेशों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रणाली में फीड किये जाते हैं। वृद्धि के अन्तर्गत आय के विभिन्न शीर्षों में प्रविष्ट किए गए नये आंकड़ों के साथ अंतिम मांग हेतु संगणना शीट बनाई जाती है।


हमने अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत एएसटी प्रणाली के माध्यम से की गई, ब्याज की संगणना की जांच की। अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज के संबंध में क्रमशः⁷⁴ 1,400 मामलों, 1,744 मामलों, 1,900 मामलों तथा 1,585 मामलों में यह पाया गया कि प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत राशि संगणित की गई है। प्रणाली के माध्यम से संगणित ब्याज की गलत राशि का विवरण नीचे तालिका 5.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.1: प्रणाली के माध्यम से संगणना की गई ब्याज की गलत राशि (₹ लाख में)				
	कमसंगणना		अधिकसंगणना	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
धारा 234 ए के अंतर्गत ब्याज	419	12,561.10	981	58,306.18
धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज	593	1,72,452.05	1,151	5,85,792.92
धारा 234 सी के अंतर्गत ब्याज	696	24,640.48	1,204	1,43,547.74
धारा 244 ए के अंतर्गत ब्याज	1,103	2,09,880.50	482	1,50,138.59

प्रणाली के माध्यम से ब्याज की संगणना में की गई त्रुटि की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)⁷⁵ नीचे चार्ट में दर्शाई गई है:

⁷⁴ हमने एक धारा के अंतर्गत 2921 मामलों में, दो धाराओं के अंतर्गत 831 मामलों में, तीन धाराओं में अंतर्गत 524 मामलों में तथा सभी चार धाराओं (234ए/234बी/234सी/244ए) के अंतर्गत 108 मामलों में गलतियां पाई।

⁷⁵ धारा 234ए के अंतर्गत 6,160 मामलों में से 1,400 मामले, धारा 234बी के अंतर्गत 6,140 मामलों में से 1,744 मामले, धारा 234सी के अंतर्गत 6,048 मामलों में से 1,900 मामले तथा धारा 244ए के अंतर्गत 6,129 मामलों में से 1,585 मामले



इस प्रकार, ब्याज की संगणना करने में प्रणाली के माध्यम से की गई त्रुटियों की प्रतिशतता अधिनियम की धाराएं 234सी तथा 234बी के संबंध में काफी अधिक थी, जो कुल मामलों का क्रमशः 31 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत था।

हमने पाया कि अधिनियम की धारा 143(1) (सारांश निर्धारण) के अंतर्गत 774 मामले प्रसंस्कृत किए गए तथा अधिनियम⁷⁶ (असारांशीकृत निर्धारण) की अन्य धाराओं के अंतर्गत 5,855 मामलों का निर्धारण किया गया था। अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से प्रसंस्कृत मामलों में की गई त्रुटियों का प्रतिशत धाराएं 234ए, 234बी 234सी तथा 244ए के अंतर्गत उद्ग्रहित ब्याज के संबंध में क्रमशः 27.71 प्रतिशत⁷⁷, 6.59 प्रतिशत⁷⁸, 3.58 प्रतिशत⁷⁹, तथा 12.81 प्रतिशत⁸⁰, था। चूंकि आईटीआर का प्रसंस्करण स्वचालित था और सीपीसी, बैंगलुरु द्वारा केन्द्रीय रूप से किया जाता था, ऐसे मामलों में एएसटी प्रणालियों के माध्यम से ब्याज उद्ग्रहण में त्रुटियों की बारंबारता की संभावना 'शून्य' होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त हमने प्रणाली द्वारा गलत संगणित ब्याज को पैन श्रेणी वार रूप से अलग किया तथा इसकी तुलना कुल लेखापरीक्षित मामलों⁸¹ (जिन्हें भी पैन श्रेणी वार रूप से अलग किया गया था) के साथ की। प्रणाली के माध्यम

⁷⁶ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144, 154, 155, 250, 254, 262, 263, 264, 143 (3), 147, 153सी, 153ए और 260ए

⁷⁷ 1,400 मामलों में से 388 मामले

⁷⁸ 1,744 मामलों में से 115 मामले

⁷⁹ 1,900 मामलों में से 68 मामले

⁸⁰ 1,585 मामलों में से 203 मामले

⁸¹ 6,217 लेखापरीक्षित मामलों में से लेखापरीक्षा को धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत क्रमशः 6,160 मामलों, 6,140 मामलों, 6,048 मामलों तथा 6,129 मामलों में ब्याज की राशि सुनिश्चित करने हेतु आयकर विभाग से आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हो सके। अतः लेखापरीक्षा धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत क्रमशः 6,160 मामलों, 6,140 मामलों, 6,048 मामलों तथा 6,129 मामलों में ब्याज की राशि सुनिश्चित कर सकी।

से पैन श्रेणी वार कुल लेखापरीक्षित मामलों के संबंध में संगणित ब्याज में त्रुटि की प्रतिशत के विवरण को नीचे तालिका 5.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.2: प्रणाली के माध्यम से गलत संगणना, पैन श्रेणीवार								
निर्धारिती का प्रकार	उन मामलों की संख्या जहां धारा 234ए के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की गणना की गई थी	प्रणाली के माध्यम से धारा 234ए के अंतर्गत कुल लेखापरीक्षित मामलों में अंतर्गत गलत ब्याज का प्रतिशत	उन मामलों की संख्या जहां धारा 234बी के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की गणना की गई थी	प्रणाली के माध्यम से धारा 234बी के अंतर्गत कुल लेखापरीक्षित मामलों में अंतर्गत गलत ब्याज का प्रतिशत	उन मामलों की संख्या जहां धारा 234सी के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की गणना की गई थी	प्रणाली के माध्यम से धारा 234सी के अंतर्गत कुल लेखापरीक्षित मामलों में अंतर्गत गलत ब्याज का प्रतिशत	उन मामलों की संख्या जहां धारा 244ए के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की गणना की गई थी	प्रणाली के माध्यम से धारा 244ए के अंतर्गत कुल लेखापरीक्षित मामलों में अंतर्गत गलत ब्याज का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एओपी	17	0.28	21	0.34	40	0.66	33	0.54
बीओआई	6	0.10	4	0.07	8	0.13	11	0.18
कंपनी	320	5.19	619	10.08	741	12.25	767	12.51
फर्म	118	1.92	179	2.92	240	3.97	121	1.97
सरकारी प्राधिकरण							2	0.03
एचयूएफ	27	0.44	19	0.31	13	0.21	12	0.20
कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति	3	0.05	4	0.07	4	0.07	3	0.05
स्थानीय प्राधिकरण	2	0.03	6	0.10	3	0.05	7	0.11
व्यक्तिगत	894	14.51	883	14.38	800	13.23	597	9.74
न्यास	13	0.21	9	0.15	51	0.84	32	0.52
कुल	1,400	22.73	1,744	28.40	1,900	31.42	1,585	25.86

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि ब्याज की संगणना के लिए, वैयक्तिक निर्धारिती के संबंध में गलती अधिक थी। यह त्रुटि का पैमाना महत्वपूर्ण है क्योंकि वैयक्तिक निर्धारिती कुल कर दाताओं के 90 प्रतिशत से अधिक हैं। इसके अतिरिक्त हमने प्रणाली में वैयक्तिक निर्धारिती के संबंध में उन मामलों को अलग किया जहां ब्याज कम/अधिक उद्ग्रहित किया गया था, जिसे नीचे तालिका 5.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.3: वैयक्तिक निर्धारितियों के संबंध में प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना,				
धारा	कुल मामलों की संख्या (वैयक्तिक निर्धारितियों) जहां प्रणाली के माध्यम से गलत संगणना की गई	ब्याज का कम उद्ग्रहण (मामलों की संख्या)	ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (मामलों की संख्या)	वैयक्तिक मामलों के प्रति अधिक उद्ग्रहण का प्रतिशत जहां प्रणाली के द्वारा गलत संगणना की गई थी
1	2	3	4	5
234ए	894	275	619	69.24
234बी	883	315	567	64.29
234सी	800	210	590	73.75
कुल	2,577	800	1,776	68.92

इस प्रकार, प्रणाली के माध्यम से वैयक्तिक निर्धारितियों से संबंधित 68.92 प्रतिशत मामलों में अधिक ब्याज राशि उद्ग्रहित की गई। वैयक्तिक निर्धारितियों के प्रति प्रभारित ब्याज की अधिक उद्ग्रहित राशि अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 803.35 लाख, अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 2,728.31 लाख तथा अधिनियम की धारा 234सी के अंतर्गत ₹ 559.59 लाख थी, जिससे निर्धारितियों को अनावश्यक रूप से उत्पीड़न तथा कठिनाई हुई।

इसके अतिरिक्त हमने एएसटी प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना के कारण की जांच की और आयकर विभाग से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। यद्यपि, आयकर विभाग ने 1,851 मामलों⁸² में उत्तर प्रस्तुत किया फिर भी, उत्तर प्रणाली में कमी के मूल कारण को स्पष्ट नहीं करते थे और केवल सामान्य प्रकृति के थे। आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रमुख कारणों में एक कारण था कि प्रणालीगत चूक के कारण ब्याज की गलत संगणना हुई।

तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान एएसटी प्रणाली में उपलब्ध आईटीआर, निर्धारण आदेश तथा आंकड़ों की तुलना करने पर हमने पाया कि:

- ❖ अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत प्रणाली के द्वारा गलत ब्याज संगणना के संबंध में 1,400 मामलों में से 125 मामलों में प्रणाली ने कर राशि/ अग्रिम कर/ टीडीएस/ टीसीएस को प्राप्त नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, 461 मामलों में, प्रणाली रिटर्न फाईल करने में विलंब की सही अवधि की संगणना करने में विफल रही।

⁸² 234ए के प्रति 362 मामलों, 234बी के प्रति 378 मामलों, 234सी के प्रति 399 मामलों तथा 244ए के प्रति 712 मामलों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किया गया।

115 मामलों में, यद्यपि प्रणाली ने कर घटक और रिटर्न फाईल करने की अवधि में विलंब को सही रूप से प्राप्त किया, लेकिन अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज की राशि की संगणना प्रणाली के माध्यम से गलत की गई।

इसके अतिरिक्त, प्रणाली के माध्यम से विलंब की गलत अवधि प्राप्त करने से संबंधित 476 मामलों के विश्लेषण से पता चला कि 339 मामलों में प्रणाली के माध्यम से दर्ज विलंब की अवधि वास्तविक अवधि से कम थी जो एक महीने से लेकर 36 महीने से अधिक के बीच थी तथा 137 मामलों में विलंब की अवधि वास्तविक अवधि से अधिक थी जो एक महीने से लेकर 36 महीने से अधिक के बीच थी। विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 5.4: प्रणाली के माध्यम से वास्तविक से कम/अधिक विलंब अवधि के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज की गलत संगणना			
विलंब की सीमा	मामलों की संख्या (वास्तविक से कम विलंब अवधि)	मामलों की संख्या (वास्तविक से अधिक विलंब अवधि)	मामलों की कुल सं.
1	2	3	4
≤12 महीने	263	79	342
> 12 महीने और ≤24 महीने	50	18	68
> 24 महीने और ≤36 महीने	3	7	10
36 महीने से अधिक	23	33	56
कुल	339	137	476

इस प्रकार, 476 मामलों में से 134 मामलों में (कुल 28.15 प्रतिशत), प्रणाली ने 12 महीनों से अधिक के अंतर की अवधि प्राप्त करके ब्याज की राशि गलत संगणित की तथा इस प्रकार, महत्वपूर्ण राशि के लिए कम/अधिक ब्याज की राशि उद्ग्रहित की।

- ❖ अधिनियम की धारा 234बी के संबंध में, 1,744 मामलों में से 364 मामलों में प्रणाली कर राशि/ टीडीएस/ टीसीएस/ एसएटी को प्राप्त करने में विफल रही। 130 मामलों में, प्रणाली चूक की सही अवधि प्राप्त करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, 304 मामलों में, यद्यपि प्रणाली ने कर घटक और चूक की सही अवधि प्राप्त की, लेकिन प्रणाली के माध्यम से अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज की राशि गलत संगणित की गई।

- ❖ अधिनियम की धारा 234सी के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से की गई ब्याज की गलत संगणना से संबंधित 1,900 मामलों में से 409 मामलों में प्रणाली ने कर राशि प्राप्त नहीं की। इसके अतिरिक्त, 212 मामलों में, प्रणाली करास्थगन की सही अवधि प्राप्त करने में विफल रही। हमने ऐसे 253 मामले भी देखे, जहां प्रणाली ने कर घटक तथा देय ब्याज की अवधि प्राप्त की, तथापि, अधिनियम की धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज की राशि प्रणाली के माध्यम से गलत संगणित की गई।
- ❖ अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से संगणित गलत ब्याज के संबंध में 1,585 मामलों में से, 203 मामलों में प्रणाली कर राशि/ अग्रिम कर/ टीडीएस/ टीसीएस प्राप्त करने में विफल रही। हमें 66 मामले ऐसे भी मिले जहां, प्रणाली ने कर घटक तथा अवधि सही प्रकार से प्राप्त की, जिसके लिए निर्धारिती को ब्याज देय था, तथापि, प्रणाली के माध्यम से धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज की राशि की गलत संगणना की गई। हमें उस अवधि से संबंधित ऐसे 60 मामले भी मिले जिनके लिए निर्धारिती को देय प्रतिदाय में विलंब हो रहा था।

इस प्रकार, उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि प्रणाली कर राशि/ टीडीएस/ टीसीएस के साथ-साथ विलंब/ चूक की अवधि को प्राप्त करने में विफल रही जिसके परिणामतः धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत ब्याज की गलत संगणना हुई। चूंकि एएसटी प्रणाली को आईटी एप्लीकेशन के अन्य मॉड्यूल से अग्रिम कर/ टीडीएस/ टीसीएस के विवरण स्वाचालित रूप से लेने के लिए डिज़ाइन किया गया था, इन विवरणों को प्राप्त न किया जाना प्रणाली में कमी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, जहां से विवरण सही प्रकार से प्राप्त किए गए, प्रणाली द्वारा ब्याज की गलत संगणना की गई। इसका निर्धारिती को अंतिम मांग/देय प्रतिदाय पर प्रभाव पड़ा।

‘आयकर विभाग में आईटी एप्लीकेशन’ पर हमारे पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन⁸³ में हमने एएसटी मॉड्यूल में कमियों को उजागर किया था और यह सिफारिश की थी कि ‘मंत्रालय आईटी प्रणालियों को सुदृढ़ करे और महत्वपूर्ण आईटी मॉड्यूल के बीच विसंगतियों को दूर करे ताकि वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकें’। मंत्रालय ने लोक लेखा समिति (पीएसी) को

⁸³ 2012-13 का प्रतिवेदन सं. 23, मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए; 30 अप्रैल 2013 को प्रतिवेदन संसद के पटल पर प्रस्तुत।

बताया कि “विभाग ने एएसटी तथा आयकर विभाग के अन्य मॉड्यूलों की कार्य गतिविधि क पुनर्लेखन तथा उन सभी को इन्कम टैक्स बिज़नेस एप्लीकेशन नामक परियोजना द्वारा एक सर्वनिष्ठ संरचना के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया पर कार्य आरंभ कर दिया है।⁸⁴” तथापि, तथ्य यह है कि एएसटी 2017-18 तक परिचालन में था और इन वर्षों के दौरान विभाग ने आईटीबीए कार्यान्वित करने से पूर्व इन कमियों को सुधारना सुनिश्चित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, आईटीबीए में भी, ब्याज की गलत संगणना करने के मामले हैं, जिन्हें इस प्रतिवेदन के पैरा 5.8.5 में दर्शाया गया है।

5.8.2 प्रणाली के माध्यम से संगणित गलत ब्याज को परिशोधित करने में निर्धारण अधिकारी की विफलता

एएसटी मॉड्यूल ‘आशोधित’ शीर्ष के अंतर्गत अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी ब्याज के मूल्य को आशोधित करने की अनुमति देता है जहां ब्याज मूल्य को बदला (वृद्धि/कमी) जा सकता है और संगणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की जा सकती है। हमें ऐसे मामले मिले जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गणत संगणना को सुधारने के ‘आशोधित’ फीचर का उपयोग नहीं किया। इसके अतिरिक्त, हमें ऐसे मामले भी मिले जहां निर्धारण अधिकारी ने ब्याज की गलत राशि उद्ग्रहित करने हेतु आशोधन फीचर का गलत प्रयोग किया। ऐसे मामलों की संख्या नीचे तालिका 5.5 में दर्शायी गई है:

तालिका 5.5: प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की संगणना निर्धारण अधिकारी द्वारा या तो आशोधित नहीं की गई है या गलत तरीके से आशोधित की गई है				
धारा के अंतर्गत ब्याज	प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की संगणना (मामलों की सं.)	कॉलम 2 में से निर्धारण अधिकारी द्वारा सही ढंग से आशोधित (मामलों की संख्या)	कॉलम 2 से निर्धारण अधिकारी द्वारा आशोधित नहीं किए गए यद्यपि गलत थे (मामलों की संख्या)	कॉलम 2 में से निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत राशि में आशोधित (मामलों की संख्या)
1	2	3	4	5
234ए	1,400	665	258	477
234बी	1,744	822	265	657
234सी	1,900	1,001	360	539
244ए	1,585	426	588	571
कुल	6,629	2,914	1,471	2,244

⁸⁴ आयकर विभाग में आईटी एप्लीकेशन पर पीएसी 2014-15 (सोलहवीं लोक सभा) की दूसरी रिपोर्ट 25-11-2014 को लोकसभा तथा राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

यह देखा जा सकता है कि निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से गलत संगणना के 5,158 (2,914+2,244) मामलों को आशोधित किया। तथापि, निर्धारण अधिकारी द्वारा किये 43 प्रतिशत से अधिक आशोधन गलत थे। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने 1,471 मामलों सही नहीं किए थे। उपर्युक्त तालिका 5.5 के कॉलम 4 तथा कॉलम 5 से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.8.2.1 प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज को सही करने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा आशोधन फीचर का प्रयोग न किया जाना

जहां प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना की गई ऐसे मामलों (जैसा कि पैरा 5.8.1 में चर्चा की गई है) की जांच लेखापरीक्षा में यह देखने के लिए की गई कि क्या निर्धारण अधिकारी ने ऐसे मामलों के प्रति सुधारात्मक कार्रवाई की और उन्हें सही प्रकार से आशोधित किया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में 1471 मामले देखे गए जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। 1,471 मामलों के आगे का विवरण तालिका 5.6 (ब्याज का कम उद्ग्रहण/भुगतान के मामले) तथा तालिका 5.7 (ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान के मामले) में दर्शाये गये हैं:

तालिका 5.6: ब्याज के कम उद्ग्रहण/भुगतान जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से गलत ब्याज की संगणना को आशोधित नहीं किया			
धारा के अंतर्गत ब्याज	ऐसे मामलों की संख्या जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से गणित गलत ब्याज को आशोधित नहीं किया	ब्याज का कम उद्ग्रहण / भुगतान ⁸⁵ (मामलों की संख्या)	ब्याज का कम उद्ग्रहण / भुगतान (राशि लाख में)
1	2	3	4
234ए	258	57	292.37 ⁸⁶
234बी	265	100	18,805.95
234सी	360	124	2,365.45
244ए	588	500	53,251.90
कुल	1,471	781	74,715.67

इस प्रकार, प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना के प्रति सुधारात्मक कार्रवाई करने में निर्धारण अधिकारी के विफल रहने के कारण ब्याज के कम उद्ग्रहण से निर्धारित को अनुचित फायदा तथा संभावित लाभ

⁸⁵ 234ए, 234बी तथा 234सी के संबंध में उद्ग्रहण; धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज से संबंधित भुगतान

⁸⁶ वास्तविक शामिल राशि ₹282.70 लाख है क्योंकि दो निर्धारितियों का निर्धारण समान नि.व. में विभिन्न निर्धारण आदेशों के अंतर्गत किया गया।

मिलने के साथ-साथ राजस्व की भी हानि हुई। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 244ए के अन्तर्गत ब्याज के कम भुगतान के कारण निर्धारिती को परिहार्य कठिनाई और परेशानी हुई। ब्याज के कम उद्ग्रहण का एक मामला निम्नानुसार है:

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-केंद्रीय-3, कोलकाता, पश्चिम बंगाल; नि.वर्ष: 2010-11

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2017 में अधिनियम की धारा 144/147 के अंतर्गत निर्धारिती कम्पनी की आय ₹126.93 लाख निर्धारित की। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 26.87 लाख पर ब्याज की सही संगणना करने की बजाय उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से ₹19.52 लाख पर ब्याज की संगणना की। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने गलती को सुधारने हेतु गलत ब्याज को आशोधित नहीं किया। जिसके परिणामतः ₹7.35 लाख का कम ब्याज उद्ग्रहण हुआ। *आयकर विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज की संगणना में त्रुटि प्रणाली में प्रणालीगत चूक के कारण हुई थी और उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुधार लिया गया था।*

हमने ऐसे मामले भी पाए जहां प्रणाली के माध्यम से संगणना किए गए गलत ब्याज के प्रति निर्धारण अधिकारियों की ओर से कार्रवाई नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय पर ब्याज के रूप में सरकारी खजाने में से प्रतिदाय के रोके रखने पर संभावित प्रभाव वाले ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान हुआ जो निर्धारितियों को अनुचित कठिनाइयों/परेशानी के अलावा था। अधिनियम की धारा 244 ए के अंतर्गत ब्याज के अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई। ऐसे मामलों के धारा-वार विवरण नीचे तालिका 5.7 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 5.7: ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना को आशोधित नहीं किया			
धारा के अंतर्गत ब्याज	मामलो की सं. जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से ब्याज की गलत संगणना को आशोधित नहीं किया	ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान (मामलो की सं)	ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान (राशि रुलाख में)
1	2	3	4
234ए		258	201
234बी		265	165
234सी		360	236
244ए		588	88
कुल		1,471	690
			1,07,014.74

हमारे पूर्ववर्ती⁸⁷ प्रतिवेदन में एएसटी प्रणाली से संबंधित मामलों को उजागर किया गया था जिसमें विभाग की आईटी प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी को प्रणाली द्वारा संगणित ब्याज तथा कर को पुनः सत्यापित करना चाहिए, क्योंकि विभाग को प्रणाली की कमियों के बारे में जानकारी थी। तथापि, प्रणाली के माध्यम से संगणित गलत ब्याज को सुधारने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके कारण ब्याज का गलत उद्ग्रहण/भुगतान किया गया।

5.8.2.2 आशोधन फीचर प्रयोग करते हुए प्रणाली के माध्यम से संगणित गलत ब्याज को सुधारते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज की गणना में गलती

लेखापरीक्षा को ऐसे 2,244 मामले मिले जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से संगणित गलत ब्याज को सही करने हेतु आशोधन फीचर का प्रयोग किया किंतु उसे गलत ब्याज राशि पर आशोधित कर दिया। 2,244 मामलों के अतिरिक्त विवरण नीचे तालिका 5.8 (ब्याज के कम उद्ग्रहण/भुगतान संबंधी मामले) तथा तालिका 5.9 (ब्याज के अधिक उद्ग्रहण/भुगतान के मामले) में दिए गए हैं:

⁸⁷ मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए 2012-13 का प्रतिवेदन सं. 23

तालिका 5.8: ब्याज का कम उद्ग्रहण/भुगतान जहां प्रणाली के साथ-साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित ब्याज गलत था			
धारा के अंतर्गत ब्याज	ऐसे मामलों की संख्या जहां निर्धारण अधिकारी ने ब्याज राशि को गलत रूप से आशोधित किया	ब्याज का कम उद्ग्रहण/भुगतान (मामलों की सं)	ब्याज को कम उद्ग्रहण/भुगतान की राशि (राशि ₹ लाख में)
1	2	3	4
234ए	477	281	3,325.93
234बी	657	335	1,05,528.64
234सी	539	275	2,969.33
244ए	571	329	57,591.13
कुल	2,244	1,220	1,69,415.03

इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी द्वारा सही राशि पर गलत ब्याज (जैसा प्रणाली के माध्यम से संगणित किया गया) के आशोधन के विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ जिससे राजस्व की हानि के साथ-साथ निर्धारिती को अनुचित लाभ तथा संभावित फायदा हुआ। इसके अलावा, धारा के अंतर्गत ब्याज के कम भुगतान से निर्धारिती को परिहार्य परेशानी तथा उत्पीड़न हुआ। दो मामले, जहां प्रणाली के माध्यम से संगणित गलत ब्याज का निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत आशोधन किया गया, जिससे ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ, नीचे दिए गए हैं:

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-केन्द्रीय-2 कोलकाता, पश्चिम बंगाल; नि.वर्ष: 2013-14

अगस्त 2014 में अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत निर्धारिती कंपनी का मामला ₹ 549.07 लाख की आय तथा उस पर ₹ 178.15 लाख कर पर प्रसंस्कृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 143(1)/153ए के अंतर्गत निर्धारिती की आय ₹ 1,768.55 लाख निर्धारित की थी जिसे बाद में अप्रैल 2016 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार करके ₹ 1,675.92 लाख की आय तथा इस पर ₹ 543.75 लाख का कर निर्धारित किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 153ए के अंतर्गत नोटिस के उत्तर में, आय की रिटर्न छह माह के विलंब से फाईल की। तथापि, प्रणाली के माध्यम से अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज की सही राशि ₹ 21.93 लाख⁸⁸ के स्थान पर ₹ 76.78 लाख की गलत राशि संगणना की गई थी। इसके पश्चात निर्धारण अधिकारी ने ब्याज राशि को शून्य पर आशोधित किया

⁸⁸ ₹365.60 (₹543.75- ₹178.15) के संवर्धित कर पर छह प्रतिशत

जिसके परिणामतः ₹ 21.93 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। लेखापरीक्षा में निर्धारण अधिकारी द्वारा एएसटी प्रणाली में गलत आशोधन करने के कारण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका, क्योंकि एएसटी मॉड्यूल में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्तनों के पीछे के कारण प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था।

(ख) प्रभार: प्र.सीआईटी-IV, पुणे, महाराष्ट्र; नि.वर्ष: 2010-11

जून 2016 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत निर्धारिती कंपनी की आय का निर्धारण सुधार कर ₹ 27,139.76 लाख पर किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आय की रिटर्न फाईल करते समय निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज की सही राशि ₹ 336.59 लाख प्रस्तुत की गई थी। तथापि, उक्त धारा के अंतर्गत प्रणाली के माध्यम से ₹ 336.59 लाख की सही राशि के स्थान पर ₹ 347.21 लाख के ब्याज की गलत संगणना की गई। इसके पश्चात, निर्धारण अधिकारी ने इसे आशोधन करके ₹186.42 लाख कर दिया। निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए इस आशोधन के कारण अधिनियम की धारा 234सी के अंतर्गत ₹ 150.17 लाख (₹ 336.54 लाख - ₹ 186.42 लाख) के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा, निर्धारण अधिकारी द्वारा एएसटी प्रणाली में गलत आशोधन करने के कारण को सुनिश्चित नहीं कर सका, क्योंकि एएसटी मॉड्यूल में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्तनों के पीछे के कारण प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अतिरिक्त, **1024 मामलों** का धारा-वार विवरण, जहां प्रणाली के माध्यम से संगणित गलत ब्याज में निर्धारण अधिकारी द्वारा आशोधन किए जाने के कारण ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान हुआ, नीचे तालिका 5.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.9: ब्याज का अतिरिक्त उद्ग्रहण/ भुगतान जहां प्रणाली के साथ-साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत ब्याज की गई संगणना की गई				
धारा के अंतर्गत ब्याज	मामलों की संख्या जहां निर्धारण अधिकारी का आशोधन किया गया	जहां ब्याज का अतिरिक्त उद्ग्रहण/ भुगतान (मामलों की संख्या)	ब्याज का अतिरिक्त उद्ग्रहण/ भुगतान (राशि ₹ लाख में)	
1	2	3	4	
234ए		477	196	9,357.25
234बी		657	322	2,36,664.94
234सी		539	264	1,27,682.28
244ए		571	242	1,58,317.21
कुल		2,244	1,024	5,32,021.68

इस प्रकार, जहां प्रणाली के माध्यम से संगणना किए गए गलत ब्याज के प्रति निर्धारण अधिकारियों की ओर से हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप प्रतिदाय पर ब्याज के रूप में सरकारी खजाने में से प्रतिदाय के रोके रखने पर संभावित प्रभाव वाले ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान हुआ जो निर्धारितियों को अनुचित कठिनाइयों /परेशानी के अलावा था। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 244 ए के अंतर्गत ब्याज के अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई। एक मामला, जहां प्रणाली के माध्यम के साथ-साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित ब्याज गलत था जिससे ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ, नीचे दिया गया है।

**(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-केन्द्रीय-1, कोलकाता, पश्चिम बंगाल;
नि.वर्ष: 2010-11**

दिसम्बर 2016 में अधिनियम की धारा 143(3)/153ए के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कंपनी की आय शून्य निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज उद्ग्रहण योग्य नहीं था क्योंकि आय शून्य निर्धारित की गई थी। तथापि, प्रणाली के माध्यम से अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ₹165.93 लाख का ब्याज संगणित किया गया जिसके परिणामतः ₹165.93 लाख का अधिक कर प्रभारित हुआ। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने ब्याज राशि को आशोधित कर शून्य करने की अपेक्षा उसे आशोधित कर ₹768.15 लाख कर दिया जिसके परिणामतः ब्याज राशि का अधिक प्रभारण ₹165.93 लाख से बढ़कर ₹768.15 लाख हो गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में निर्धारण अधिकारी द्वारा एएसटी प्रणाली में गलत आशोधन करने के कारण सुनिश्चित नहीं किए जा सके, क्योंकि एएसटी मॉड्यूल में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्तनों की पीछे के कारण प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

5.8.3 प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज में निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्त्य रूप से हस्तक्षेप तथा आशोधन

जहां प्रणाली के माध्यम से ब्याज की राशि सही संगणित की गई थी, वहां प्रणाली के माध्यम से संगणित ब्याज में हस्त्य हस्तक्षेप और आशोधन की कोई गुजांइश नहीं थी। तथापि, हमें ऐसे मामले मिले जहां निर्धारण अधिकारी के प्रणाली के माध्यम से ब्याज राशि की सही संगणना करने के बावजूद भी ब्याज राशि में हस्त्य रूप से आशोधन किया। ऐसे मामलों के विवरण नीचे तालिका 5.10 में दर्शाये गए हैं:

तालिका 5.10: प्रणाली के माध्यम से संगणना की गई सही ब्याज में निर्धारण अधिकारी द्वारा आशोधन के उदाहरण			
धारा के अंतर्गत ब्याज	प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज (मामलों की सं)	प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज में निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत आशोधन (मामलों की सं)	
1	2	3	
234ए	4,760	1,003	
234बी	4,396	1,180	
234सी	4,148	654	
244ए	4,544	833	
कुल	17,848	3,670	

5.8.3.1 इसके अतिरिक्त, मामले के धारा-वार विवरण, जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज में अवांछित आशोधन किए जिसके परिणामतः ब्याज का कम उद्ग्रहण/भुगतान किया गया, नीचे तालिका 5.11 में दर्शाये गये हैं:

तालिका: 5.11: उन मामलों के संबंध में ब्याज का कम उद्ग्रहण/भुगतान जहां प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज को निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत तरीके से आशोधित किया			
धारा के अंतर्गत ब्याज	निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत तरीके से आशोधित (मामलों की सं)	ब्याज का कम उद्ग्रहण / भुगतान (मामलों की सं)	ब्याज का कम उद्ग्रहण / भुगतान (₹ लाख में)
1	2	3	4
234ए	1,003	175	643.06
234बी	1,180	105	36,160.06
234सी	654	188	28,804.45
244ए	833	134	1,303.15
कुल	3,670	602	66,910.72

इस प्रकार, प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज में निर्धारण अधिकारी द्वारा अवांछित आशोधनों के परिणामतः ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ जिससे राजस्व में हानि के साथ-साथ निर्धारिती को अनुचित लाभ और संभावित फायदा हुआ। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज के कम भुगतान के परिणामतः निर्धारिती को परिहार्य कठिनाई और परेशानी हुई। कर के कम उद्ग्रहण का एक मामला निम्नानुसार है:

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-II, कानपुर, उत्तर प्रदेश; नि.वर्ष: 2015-16

मार्च 2018 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत निर्धारिती कंपनी की आय ₹60,577.02 लाख निर्धारित की गई थी। आदेश के स्क्रीन शॉट में यह देखा गया कि सभी पूर्वदत्त करों को क्रेडिट देने के पश्चात कर देयता ₹20,590.44 लाख थी। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा देय ब्याज की राशि ₹ 6,794.03 लाख थी जो प्रणाली के माध्यम से सही संगणित की गई थी। हालांकि, प्रणाली के माध्यम से ब्याज की सही गणना की गई थी, फिर भी निर्धारण अधिकारी ने हस्त्य रूप से ब्याज राशि को शून्य कर दिया, जिसके परिणामतः ₹ 6,794.03 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2019) कि गलती को सुधार लिया गया है। तथापि, आयकर विभाग ने कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया कि प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज को निर्धारण अधिकारी ने हस्त्य रूप से आशोधित क्यों किया।

इसके अतिरिक्त, प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज में निर्धारण अधिकारी द्वारा अवांछित आशोधन किए गए जिसके कारण ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान किया गया। ऐसे मामलों के धारा-वार ब्यौरे नीचे तालिका 5.12 में दर्शाये गये हैं:

तालिका 5.12: उन मामलों के संबंध में ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान जहां प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज को निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत तरीके से आशोधित किया

धारा के अंतर्गत ब्याज	निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत तरीके से आशोधित (मामलो की सं)	अतिरिक्त उद्ग्रहण/भुगतान (मामलों की सं)	ब्याज	अतिरिक्त उद्ग्रहण/भुगतान (₹ लाख में)
1	2	3	4	
234ए	1,003		828	1,25,694.69
234बी	1,180		1,075	8,56,674.23
234सी	654		466	77,158.39
244ए	833		699	41,578.62
कुल	3,670		3,068	11,01,105.93

इस प्रकार, जहां प्रणाली के माध्यम से संगणना किए गए गलत ब्याज के प्रति निर्धारण अधिकारियों की ओर से हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप प्रतिदाय पर ब्याज के रूप में सरकारी खजाने में से प्रतिदाय के रोके रखने पर संभावित प्रभाव वाले ब्याज का अधिक उद्ग्रहण/भुगतान हुआ जो निर्धारितियों को अनुचित कठिनाइयों/परेशानी के अलावा था। अधिनियम की धारा 244ए के

अंतर्गत ब्याज के अधिक भुगतान से राजस्व की हानि हुई। ऐसा एक मामले जहां निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज को आशोधित किया जिसके कारण ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ, नीचे दिया गया है:

(क) प्रभार: प्र.सीआईटी-II, लखनऊ, उत्तर प्रदेश; नि.वर्ष: 2015-16

संवीक्षा के पश्चात दिसम्बर 2016 में निर्धारण अधिकारी ने एक व्यक्ति की आय का निर्धारण ₹ 22,091.78 लाख किया। आदेश के स्क्रीन शॉट में यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा ₹ 525.49 लाख का ब्याज देय था जिसे प्रणाली के माध्यम से सही राशि पर संगणित किया गया था, निर्धारण अधिकारी ने हस्त्य रूप से इस ब्याज राशि को आशोधित कर ₹ 1,276.19 लाख कर दिया जिसके परिणामतः ₹ 750.70 लाख का अधिक ब्याज उद्ग्रहीत हुआ। *आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत गलती को सुधार लिया (जनवरी 2017)*। तथापि, आयकर विभाग ने प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज को निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्त्य रूप से आशोधित किए जाने का कोई कारण नहीं प्रस्तुत किया।

5.8.3.2 इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त तालिका 5.11 तथा तालिका 5.12 से यह देखा गया कि ऐसे मामलों की संख्या **(468 मामले)** जहाँ ब्याज कम उद्ग्रहित किया गया की तुलना में ऐसे मामले जहाँ प्रणाली के माध्यम से संगणित सही ब्याज के प्रति निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिक ब्याज **(2,369 मामले)** उद्ग्रहित किया गया, काफी अधिक थे। इसके अतिरिक्त हमने निर्धारितियों के स्टेटस संबंधी मामलों की संख्या के साथ-साथ ब्याज के अधिक उद्ग्रहण की राशि **(धारा 234ए, 234बी तथा 234सी के अंतर्गत-उपर्युक्त तालिका 5.12 के कॉलम 3 तथा कॉलम 4)** तथा ब्याज के कम भुगतान **(धारा 244ए के अंतर्गत-उपर्युक्त तालिका 5.11 के कॉलम 3 तथा कॉलम 4)** का विश्लेषण किया। विवरण नीचे तालिका 5.13 में दर्शाये गये हैं:

तालिका 5.13: ब्याज-स्थिति के हिसाब से अधिक उद्ग्रहण / कम भुगतान राशि की तुलना में मामलों की संख्या का वितरण									
स्थिति / विवरण	धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (मामलों की संख्या)	धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (राशि ₹ लाख में)	धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (मामलों की संख्या)	धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (राशि ₹ लाख में)	धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (मामलों की संख्या)	धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (राशि ₹ लाख में)	धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (मामलों की संख्या)	धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण (राशि ₹ लाख में)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
एओपी		25	4,695.44	13	1,767.20	6	1,177.35	1	0.04
कंपनी		299	105,964.13	529	845,105.22	175	7,1043.83	10	1,272.67
फ़र्म		85	3,308.38	73	4,732.94	41	1,209.61	6	0.29
सरकारी प्राधिकरण		1	0.11	2	10.00	1	7.07	3	3.96
एचयूएफ		8	0.57	7	7.40	4	0.02	2	0.14
एजेपी		2	162.1						
स्थानीय प्राधिकरण		1	24.65	2	1,539.17	5	1,643.44		
व्यक्ति		390	6,101.14	445	2,598.66	229	283.49	107	25.95
न्यास		17	5,438.17	4	913.64	5	1,793.58	5	0.10
कुल		828	125,694.69	1075	8,56,674.23	466	77,158.39	134	1,303.15

यह देखा गया कि अधिकतर आशोधन एकल व्यक्ति तथा उसके बाद कंपनी निर्धारितियों के संबंध में किए गये थे। अधिक ब्याज उद्ग्रहण का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रतिदाय पर होता है, यदि प्रतिदाय निर्धारिती को देय है। अन्यथा यह निर्धारितियों पर अनुचित मांग सृजित करता है। इस प्रकार, अधिक ब्याज उद्ग्रहित करने से निर्धारितियों को अनावश्यक परेशानी और अनुचित कठिनाई में डाला गया क्योंकि या तो प्रतिदाय अधिक ब्याज उद्ग्रहण के कारण अवरूद्ध हो गया या निर्धारितियों से अनुचित मांग सृजित की गई। हमें ऐसे कुछ मामले मिले जहां निर्धारिती को देय प्रतिदाय ब्याज घटक में सुधार से अवरूद्ध हो गये तथा इन पर नीचे पैरा 5.8.4 में चर्चा की गई है:

5.8.4 प्रतिदाय जारी करने में अनियमितताएं

अधिनियम की धारा 237 के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट करता है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से अथवा ऐसा माना जाये कि उसके द्वारा उसकी ओर से भुगतान की गई कर की राशि उस राशि से अधिक है जो उस वर्ष अधिनियम के अंतर्गत उस पर समुचित रूप से प्रभारित की गई हो, तो वह अधिक्य के लिए प्रतिदाय का हकदार होगा।

जैसे कि, उन मामलों में जहां, अग्रिम कर, नियमित कर, स्रोत पर काटा गया कर आदि का सकल, निर्धारण के पूर्ण होने पर निर्धारित कर से अधिक हो जाता है तो निर्धारिती प्रतिदाय के लिए हकदार होता है। प्रतिदाय दावों का समय पर निपटान कर प्रशासन की परिचालन दक्षता का प्रमुख परिमाण है। करदाताओं के मध्य त्वरित प्रतिदाय आत्मविश्वास बढ़ाता है और कर अनुपालन बढ़ता है।

आयकर विभाग का 2014 का नागरिक चार्टर के अन्तर्गत ब्याज सहित प्रतिदाय को जारी करने और आदेश की प्रसंस्करण/पूर्णता की तिथि से क्रमशः छः माह तथा एक माह के अन्दर अधिनियम की धारा 143(1) और अधिनियम की धारा 143(1) के अलावा कार्रवाही करने का वचन देता है।

5.8.4.1 ब्याज घटक में निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुचित संशोधन के तरीके से प्रतिदाय का अवरोध के कारण करदाताओं को कठिनाई तथा उत्पीड़न

लेखापरीक्षा ने 1,130 उदाहरणों⁸⁹ में पाया, जहां ब्याज राशि में निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधन के परिणामस्वरूप ₹ 4,39,571.21 लाख तक की राशि के प्रतिदाय का अवरोध हुआ जो कि संबंधित निर्धारिती को देय था। यह अधिक राशि पर अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी तथा 234सी के अन्तर्गत ब्याज के मैनुअल संशोधन के माध्यम से निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया था जिससे अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी तथा 234सी के उल्लंघन के अलावा, अनुचित मांग उत्पन्न हुई तथा इसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को देय प्रतिदाय से वंचित कर दिया गया था।

हमने अवरूद्ध प्रतिदायों की राशि के साथ-साथ श्रेणीवार पेन में 1,130 उदाहरणों को पृथक किया जिसका विवरण नीचे तालिका 5.14 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.14: अवरूद्ध प्रतिदाय के मामलों का-पेन श्रेणीवार विवरण		
निर्धारिती का प्रकार	अवरूद्ध प्रतिदाय की राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या
1	2	3
एओपी	2,761.45	19
कंपनी	4,15,787.61	610

⁸⁹ 1,130 मामलों के संबंध में प्रतिदाय का संपूर्ण अवरूद्ध ₹4,39,571.21 लाख है; हालांकि उसी निर्धारण वर्ष के लिए उसी निर्धारिती से संबंधित 35 मामले जो 1,130 में शामिल थी, लेकिन पृथक रूप से निर्धारित किया गया था।

फर्म	7,585.35	85
सरकारी प्राधिकरण	17.06	1
एचयूएफ	47.54	2
कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति	161.44	3
स्थानीय प्राधिकरण	1,411.76	3
व्यक्तिगत	7,079.18	395
ट्रस्ट	4,719.82	12
कुल	4,39,571.21	1,130

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि मामलों की बहुलता, जहां प्रतिदाय को अवरुद्ध कर दिया गया था, कंपनियों, व्यक्तियों तथा फर्मों से संबंधित थे। तथापि, अवरुद्ध प्रतिदाय की अधिकतम राशि केवल कंपनियों से संबंधित थी। 1,130 अवरुद्ध प्रतिदायों के मामलों में, हमने पाया कि 197 मामले अधिनियम की धारा 143(1)⁹⁰ के अन्तर्गत संसाधित किये गये थे तथा 660 मामले अधिनियम की धारा 143(3)⁹¹ के अंतर्गत संसाधित किए गये थे, जिसमें क्रमशः ₹ 96,662.32 लाख और ₹ 2,10,788.58 लाख के प्रतिदाय को ब्याज घटक में संशोधन के माध्यम से अवरुद्ध किया गया था।

सीपीसी बेंगलूरु के माध्यम से, अधिनियम की धारा 143(1) के अन्तर्गत आईटीआर स्वचालित संसाधित होने चाहिए। राशि की सीमा के सदर्भ में, अधिनियम की धारा 143(1) के अन्तर्गत संसाधित मामलों का विवरण निम्न तालिका 5.15 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.15: अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत संसाधित अवरुद्ध प्रतिदाय मामलों		
राशि की सीमा (₹ में)	अवरुद्ध प्रतिदाय मामलों की संख्या	अवरुद्ध प्रतिदाय की राशि (₹ लाख में)
1	2	3
≤10000	73	2.17
>10000 तथा ≤100000	68	23.04
>100000 तथा ≤500000	14	28.93
>500000	42	96,608.18
कुल	197	96,662.32

197 मामलों में से, कंपनी निर्धारिती के 40 मामले तथा व्यक्तिगत निर्धारिती के 149 मामले थे जिनके प्रतिदाय क्रमशः ₹ 93,785.82 लाख तथा ₹ 2,450.21 लाख को अवरुद्ध किया गया था।

⁹⁰ धारा 143(1) के अन्तर्गत मामलों को सीपीसी बेंगलूरु के माध्यम से संसाधित किया गया है।

⁹¹ धारा 143(3) के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा संविज्ञा निर्धारण पूर्ण किया गया है।

छ: उदाहरण जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के प्रतिदाय को अवरूद्ध किया था की चर्चा नीचे की गई है:

(क) प्रभार: प्र.सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)-III; डीडीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)-नोएडा; नि.वर्ष: 2015-16

निर्धारिती कंपनी का निर्धारण मार्च 2017 में अधिनियम की धारा 143(1) के अन्तर्गत संसाधित किया गया था जिसमें अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत एएसटी प्रणाली ने शून्य पर ब्याज परिकलित किया, क्योंकि उसी रूप में वह उदग्रहण योग्य नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम की धारा 143(1) के अन्तर्गत निर्धारण के समय निर्धारिती ने ₹ 1,995.10 लाख तक की देय राशि के प्रति ₹ 19,369.84 लाख का टीडीएस क्रेडिट था। हालांकि, निर्धारिती को ₹ 17,374.74 लाख (₹ 19,369.84 लाख - ₹ 1,995.10 लाख) की प्रतिदाय राशि को जारी करने के बजाय निर्धारण अधिकारी ने ₹ 17,374.74 लाख पर अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज को संशोधित किया जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय अवरूद्ध हुआ। आईटीडी ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2019) कि मामला न्यायाधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कई वर्षों से कार्रवाई के लिए लंबित है। यदि आवश्यक हो, तो कोई संशोधन, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जाएगा। तथापि, आईटीडी ने ब्याज राशि में संशोधन के पीछे किसी कारण को प्रेषित नहीं किया, जोकि उचित नहीं था।

(ख) प्रभार प्र. सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)-III डीडीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)-I देहरादून; नि.वर्ष: 2010-11

निर्धारिती कंपनी के मामले में अधिनियम की धारा 254 के अन्तर्गत अपीलीय आदेश को नवंबर 2017 में क्रियान्वित किया गया था जिसमें अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज को शून्य पर एएसटी प्रणाली के माध्यम से परिकलित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने ₹ 50,577.28 लाख तक की राशि के देय कर के प्रति ₹ 16,830.73 लाख का टीडीएस क्रेडिट, ₹ 43,437.49 लाख का अग्रिम कर क्रेडिट तथा ₹ 2,263.99 लाख के अन्य करों सहित ₹ 62,532.21 लाख का कुल कर क्रेडिट था। हालांकि निर्धारिती को ₹ 11,954.93 लाख (₹ 62,532.21 लाख - ₹ 50,577.28 लाख) के प्रतिदाय को जारी करने के बजाय निर्धारण अधिकारी ने उसी राशि पर अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज को संशोधित किया जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय अवरूद्ध हुआ।

(ग) प्रभार: प्र. सीआईटी IX, मुम्बई; नि.वर्ष: 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने, शून्य आय पर सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत दिसंबर 2017 में तथा ₹ 9,517.65 लाख के बुक लाभ पर विशिष्ट प्रावधान (अधिनियम की धारा 115जेबी) के अन्तर्गत निर्धारिती कंपनी की संविधा निर्धारण को पूर्ण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने ₹ 1,994.95 लाख की मांग के प्रति ₹ 7,666.47 लाख का टीडीएस क्रेडिट था। हालांकि, ₹ 5,671.52 लाख के प्रतिदाय (₹ 7,666.47 लाख - ₹ 1,994.95 लाख) को जारी करने बजाय निर्धारण अधिकारी ने उसी राशि को अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज को संशोधित किया जो दर्शाता है कि निर्धारण अधिकारी ने ब्याज की राशि में, प्रतिदाय को अवरूद्ध करने के लिए जानबूझकर संशोधन किया जो निर्धारिती को देय थी। अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत संशोधन को ₹ 170.15 लाख के ब्याज के परिहाय भुगतान सहित ₹ 5,671.52 लाख के प्रतिदाय को जारी करने के लिए दिसंबर 2018 में किया गया था।

(घ) प्रभार: प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-3, दिल्ली; नि.वर्ष: 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने अक्टूबर 2017 में, शून्य आय पर सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत तथा ₹ 12,755.93 लाख के बुक लाभ पर विशिष्ट प्रावधान (अधिनियम की धारा 115जेबी) के अन्तर्गत संविधा निर्धारण को पूर्ण किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने सितंबर 2015 को अपनी आय की रिटर्न फाईल की थी अर्थात् निर्धारित समय सीमा के अन्दर जैसे कि अधिनियम की धारा 139(4) में निर्धारित है। जैसे कि, निर्धारिती, अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं था। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि यद्यपि अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत प्रणाली के माध्यम से कोई ब्याज परिकलित नहीं किया गया था, निर्धारण अधिकारी ने मैनुअल हस्ताक्षरों के माध्यम से इसे संशोधित किया था तथा अपने निर्धारण आदेश में बिना औचित्य दिये इस धारा के अन्तर्गत ₹ 1,563.74 लाख तक की राशि के ब्याज का उदग्रहण किया। इसके अलावा निर्धारिती के आयकर रिटर्न (आईटीआर) से यह भी पाया गया कि निर्धारिती ने प्रतिदाय के रूप में ₹ 1,563.74 लाख की उसी राशि का दावा किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आईटीडी ने अपनी त्रुटिका तब सुधार किया जब निर्धारिती ने फरवरी 2018 में सेंटरलाइज्ड पब्लिक ग्रिवेन्स रेडरेस एण्ड मोनिटरिंग सिस्टम (सीपीजीआरएएमएस) पर अपनी शिकायत दर्ज की। आईटीडी ने अप्रैल 2018 में ₹ 1,837.39 लाख के प्रतिदाय को जारी किया,

जिसमें अधिनियम की धारा 244ए के तहत ₹ 39.09 लाख के ब्याज के परिहार्य भुगतान सहित ₹ 273.65 लाख का ब्याज शामिल था।

आईटीडी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2019) में बताया कि अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज का संशोधन मानवीय त्रुटिके कारण डेटा को भरने की एक चूक थी। तत्पश्चात्, धारा 154 के अन्तर्गत सुधार आदेश को अप्रैल 2018 में पास किया गया और उसके बाद निर्धारिती द्वारा दाखिल प्रतिदाय को स्वीकृत तथा जारी किया गया था।

उत्तर अस्वीकार्य था क्योंकि प्रतिदाय को निर्धारण के समय पीसीआईटी (केन्द्रीय-3) के निर्देशों के साथ रोका गया था। इस प्रकार आईटीडी की कार्यवाही शिकायतकर्ता करदाता को उत्पीड़न और वित्तीय कठिनाई की पुष्टि है।

(ड) प्रभार: प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली; नि.वर्ष: 2014-15

इस मामले में, अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत सुधार आदेश को सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत ₹221.92 लाख की आय पर तथा ₹ 227.37 लाख की कर देयता के साथ अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 1084.79 लाख पर मई 2017 को पास किया गया था। अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत आदेश के स्नैपशॉट के अनुसार ₹ 1243.96 लाख का टीसीएस/टीडीएस कंपनी को उपलब्ध था, इसलिए कंपनी, अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं थी। धारा 234सी के अन्तर्गत एएसटी के माध्यम से कोई ब्याज परिकल्पित नहीं किया गया था जैसा कि स्नैपशॉट में दर्शाया गया था, क्योंकि यह निर्धारिती से देय नहीं था। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने, बिना औचित्य दिए मैनुअल संशोधन के माध्यम से अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ₹ 966.58 लाख तक की राशि के ब्याज का उदग्रहण किया। लेखापरीक्षा में आगे पाया कि आईटीडी ने प्रतिदाय के लिए निर्धारिती के बार-बार किए गए अनुरोधों के बाद चूक में सुधार किया तथा आखिरकार अप्रैल 2018 में सीपीजीआरएमएस पर शिकायत को उठाया। ₹ 125.66 लाख के ब्याज के परिहार्य भुगतान सहित ₹ 966.58 लाख के प्रतिदाय की प्रक्रिया को मई 2018 में आईटीडी द्वारा आरंभ किया गया था। इस प्रकार निर्धारण अधिकारी ने प्रतिदाय को रोकने के लिए प्रणाली में मैनुअल हस्तक्षेप का सहारा लिया जो कि निर्धारिती को देय था।

(च) प्रभार: प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली; नि.वर्ष: 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 12,485.58 लाख की हानि पर मार्च 2016 में संविधा निर्धारण पूर्ण किया। चूंकि निर्धारण हानि पर किया गया था, इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं थी। इसके अलावा निर्धारिती द्वारा फाईल की गई आईटीआर से यह देखा गया कि निर्धारिती ने प्रतिदाय के रूप में ₹ 2,711.96 लाख तक की राशि के टीडीएस के कर क्रेडिट का दावा किया था। लेकिन निर्धारण अधिकारी ने मैनुअल हस्तक्षेप के माध्यम से ब्याज घटक को संशोधित किया तथा अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 2,695.29 लाख के ब्याज का उदग्रहण किया और अधिनियम की धारा 115ओ के अन्तर्गत कर वितरण लाभांश के रूप में ₹ 16.66 लाख लिये (जो कि निर्धारिती द्वारा पहले ही भुगतान किये गए थे)। इसके बाद, आईटीडी ने जुलाई 2016 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत सुधार आदेश पास किया तथा ₹ 40.68 लाख के ब्याज के परिहार्य भुगतान सहित ₹ 2,711.96 लाख तक की राशि के प्रतिदाय को जारी किया। इस प्रकार निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई यह दर्शाती है कि निर्धारण अधिकारी ने प्रतिदाय को रोकने के लिए प्रणाली में मैनुअल हस्तक्षेप का सहारा लिया था जो कि निर्धारिती को देय था।

उपरोक्त मामलों से यह स्पष्ट था कि निर्धारण अधिकारी ने प्रतिदाय की राशि की सीमा तक के ब्याज के उदग्रहण के माध्यम से मैनुअल संशोधन करके निर्धारिती को स्वीकार्य प्रतिदाय राशि को रोके रखा था, जबकि उपलब्ध कर क्रेडिट कर से अधिक था अथवा ऐसे मामले जहां कोई कर उदग्रहण योग्य नहीं था। इसे एएसटी स्नैपशॉट के संबंधित कॉलम में संशोधन के लिए बिना कोई कारण दिये किया गया था।

इसके अलावा, 1,130 मामलों में से जहां प्रतिदाय को ब्याज राशि के संशोधित करने के द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया था, लेखापरीक्षा 175 मामलों की पहचान कर सका जहां प्रतिदायोंको एक माह से 156 माह के विलंब के बाद निर्धारिती को जारी किया गया था। ऐसे 175 मामलों के विवरण को निम्न तालिका 5.16 में दिया गया है:

तालिका 5.16: अवरूद्ध प्रतिदाय से संबंधित मामलों के विवरण			
निर्धारिती को अवरूद्ध प्रतिदाय को जारी करने में देरी की अवधि	अवरूद्ध प्रतिदाय मामलों की संख्या	अवरूद्ध प्रतिदाय की राशि (₹ लाख में)	अधिनियम की धारा 244ए के अन्तर्गत ब्याजकाको अतिरिक्त (परिहार्य) भुगतान (₹ लाख में)
1	2	3	4
≤12 माह	86	47,179.78	1,842.69
>12 माह तथा ≤24 माह	49	22,493.88	2,121.79
>24 माह तथा ≤36 माह	25	5,537.44	831.92
36 माह से अधिक	15	1,983.70	478.19
कुल	175	77,194.80	5,274.59

इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिक ब्याज के अनियमित उदग्रहण के द्वारा ना केवल प्रतिदाय राशि अवरूद्ध हुई जिससे निर्धारिती को अनुचित उत्पीड़न और कठिनाई हुई, इससे प्रतिदाय पर ब्याज की भारी राशि के परिहार्य भुगतान के रूप में सरकारी खजाने पर अतिरिक्त भार भी पड़ा। इससे आईटीडी द्वारा नागरिक चार्टर में किए गए वादों का अननुपालन हुआ, क्योंकि, समय सीमा के अन्दर निर्धारिती को प्रतिदाय जारी करने के बजाय, ब्याज घटक में निर्धारण अधिकारी द्वारा मैनुअल संशोधन के माध्यम से प्रतिदायों को अवरूद्ध किया गया था।

5.8.4.2 अनियमित रूप से जारी किया गया प्रतिदाय निर्धारिती को देय नहीं

प्रा. सीआईटी-3, लुधियाना प्रभार, पंजाब में लेखापरीक्षा ने 146 मामलों में पाया कि अधिनियम की धारा 143(1) के अन्तर्गत संसाधित कोई प्रतिदाय निर्धारिती को देय नहीं था। तथापि ₹ 63.63 लाख तक की प्रतिदाय राशि को अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत सुधार करने के द्वारा निर्धारिती को जारी किए गये थे (सितंबर 2016 से फरवरी 2018 तक)। विभाग द्वारा की गयी (जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक) आंतरिक जांच के आधार पर, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दायर की गई थी (अप्रैल 2018)।

लेखापरीक्षा के द्वारा बताए जाने पर कि ऐसे निर्धारितियों को प्रतिदाय क्यों जारी किया गया जिनके प्रति कोई प्रतिदाय देय नहीं था, आईटीडी ने बताया (135 मामलों में) कि ये प्रतिदाय निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गये थे क्योंकि मामले सीपीसी-बेंगलूरु में केन्द्रीय रूप से संसाधित किए गये थे। प्रणाली में एक वकील के साथ मिल कर डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा अनधिकृत रूप से अभिगम किया था तथा अनुचित सुधारों को करते हुए

प्रतिदाय जारी किया था। उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दायर की गई थी।

यह तथ्य इसे इंगित करता है कि आईटीडी के पास प्रणाली में अनधिकृत अभिगम का प्रबंधन करने के स्थान पर कोई प्रभावी अभिगम नियंत्रण नहीं है। यह अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र को भी दर्शाता है जो विभिन्न सुरक्षा जोखिमों को संबोधित नहीं करता।

5.8.5 आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) के माध्यम से परिकलित गलत ब्याज

किसी भी मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का सार यह है कि गणना विशेष रूप से, ब्याज गणना प्रणाली के मामले में, प्रणाली में भरे गए एक उचित सूत्र पर आधारित होनी चाहिए और किसी भी संशोधन को करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आईटीडी ने अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अन्तर्गत ब्याजों के संशोधन के संबंध में मानव हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 से आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) मोड्यूल को अपनाया क्योंकि वह पहले सॉफ्टवेयर में एएसटी में प्रचलित था। इसके बाद, आईटीडी में निर्धारण कार्रवाई केवल आईटीबीए में की जा रही है।

हमने पाया कि 6,217 मामले (लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गये) जिन्हें नि.वर्ष 2016-17 तथा नि.वर्ष 2017-18 में एएसटी के माध्यम से संसाधित किया गया था, में से 496 मामलों को नि.वर्ष 2018-19 में आईटीबीए के माध्यम से संसाधित/पूर्ण किया गया था। इसके अलावा, यह देखने के लिए कि क्या ब्याज का सही परिकलन इस अनुप्रयोग के माध्यम से किया जा रहा था, हमने 496 मामलों की जांच की जिन्हें आईटीबीए के माध्यम से संसाधित किया गया था। 496 मामलों में से हमने 32 मामलों में शामिल ₹ 2,297.95 लाख का कर प्रभाव पाया जिसके ब्याज का परिकलन भी आईटीबीए के माध्यम से भूलवश किया गया था। इस प्रकार, ब्याज की गणना के सम्बंध में प्रणाली की कमी अभी भी नए अनुप्रयोग अर्थात्, आईटीबीए में बनी हुई है

ऐसे तीन निर्देशित मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(क) प्रभार: प्र. सीआईटी-II, मुम्बई; नि.वर्ष: 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 4,177.23 लाख⁹² की आय पर आईटीबीए के माध्यम से दिसम्बर 2018 में संविक्षा के बाद बैंक की आय का निर्धारण किया।

⁹² विशेष प्रावधान के तहत (अधिनियम की धारा 115 जेबी)

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने रिटर्न फाईल करने की देय तिथि अर्थात् 30 नवम्बर 2016 को अपनी आय की रिटर्न फाईल की थी। इसके अलावा, निर्धारिती ने 31 मार्च 2018 को देय तिथि के प्रति 27 मार्च 2018 को अपनी संशोधित आय की रिटर्न फाईल की थी। जैसे कि, आयकर रिटर्न प्रेषित करने में चूक के संबंध में अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज तत्कालीन मामलों में उदग्रहण योग्य नहीं था। तथापि, आईटीबीए के माध्यम से उत्पन्न कर मांग को गणना करते समय अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज ₹ 395.08 लाख तक उदग्रहित किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप समान राशि द्वारा अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज की अधिक उगाही की गई।

(ख) प्रभार: प्रा. सीआईटी डीडीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय)-I, देहरादून; नि.वर्ष: 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने आईटीबीए के माध्यम से जनवरी 2019 में संविक्षा के बाद निर्धारिती कंपनी की आय का निर्धारण किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आय की रिटर्न को फाईल करते समय निर्धारित ने ₹ 7,549.58 लाख के भुगतान योग्य कर के प्रति ₹ 12,628.87 लाख का टीडीएस क्रेडिट था। इसके अलावा गणना पत्रक को आईटीबीए के माध्यम से जनरेट किया गया था जो दर्शाता है कि विभाग ने ₹ 9,147.09 लाख की कर देयता के प्रति 10.812.50 लाख के टीडीएस क्रेडिट को अनुमत किया था। इसलिए, अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज के उदग्रहण के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि, आईटीबीए मॉड्यूल ने ₹ 246.19 लाख तक राशि का अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज उदग्रहित किया गया था। आईटीबीए मॉड्यूल में प्रणाली के माध्यम से अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज का गलत उदग्रहण अनुप्रयोग में त्रुटि को दर्शाता है जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

(ग) प्रभार: प्रा. सीआईटी (एलटीयू) बंगलुरु; नि.वर्ष: 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 58,754.86 लाख की आय पर आईटीबीए के माध्यम से दिसंबर 2018 में संविक्षा के बाद निर्धारिती कंपनी की आय का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने 30 नवंबर 2015 को अपनी आय की रिटर्न भरने की देय तिथि के प्रति 23 नवंबर 2015 को अपनी आय की रिटर्न फाईल की। जैसे कि, आयकर रिटर्न को प्रेषित करने में चूक के संबंध में अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज तत्कालीन मामले में उदग्रहण योग्य नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईटीबीए के माध्यम से उत्पन्न कर

मांग की गणना करते समय ₹697.06 लाख की राशि का अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज उदग्रहित किया गया था। आईटीडी ने अपने उत्तर में (नवम्बर 2019) बताया कि, निर्धारण आदेश में, ब्याज को स्वचालित वातावरण में आईटीडी द्वारा परिकलित किया गया है और संगणना में निर्धारण अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है। इस प्रकार, यह चूक निर्धारण अधिकारी की ओर से नहीं है। आईटीडी ने जनवरी 2019 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत चूक में सुधार किया।

‘आयकर विभाग में आईटी अनुप्रयोग’ पर हमारी पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा (2012-13 की प्रतिवेदन सं. 23) में, एएसटी प्रणाली में कमियों के पता चलने के बाद मंत्रालय ने बताया था कि मौजूदा आईटीडी अनुप्रयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) आईटीडी द्वारा किया जा रहा था, तथा मौजूदा प्रणाली से संबंधित सभी मामले को नए अनुप्रयोग अर्थात् आईटीबीए में ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा 30 मई 2014 को भारत सरकार को प्रस्तुत की गई कर प्रशासन सुधार कमीशन (टीएआरसी) के प्रतिवेदन में यह उजागर किया गया था कि आईटीडी अनुप्रयोग अर्थात् एएसटी का कोर मॉड्यूल विचित्र और असमान है जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली में गलत मांगों का सृजन होता है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह बताया गया कि हालांकि ‘सीबीडीटी की आईटीबीए के माध्यम से प्रमुख अन्तरालों पर काबू पाने की योजना है’।

तथापि, 32 मामलों के संबंध में अभ्युक्तियां, जहां आईटीबीए के माध्यम से ब्याज का परिकलन गलत रूप से दिया गया, इस तथ्य को दर्शाती हैं कि नये अनुप्रयोग अर्थात् आईटीबीए में ब्याज की गणना के संबंध में प्रणाली में कमियां मौजूद हैं।

5.8.6 अन्य अनुपालन मामले

यह पैरा 2018-19 की अवधि के लिए की गयी हमारी नियमित लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अभ्युक्तियों से संबंधित है। हमने अधिनियम की धारा 234ए, 234बी तथा 234सी के अन्तर्गत ब्याज के संबंध में ₹ 1,10,269.82 लाख के कर प्रभाव के 134 मामलों को पाया।

ऐसे छह निर्देशित मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

(क) प्रभार: पीसीआईटी-1, कोईम्बटूर, चेन्नई; नि.वर्ष: 2009-10

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 761.50 लाख की आय पर दिसंबर 2016 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अन्तर्गत निर्धारिती

कंपनी के निर्धारण को पूर्ण किया। लेखापरीक्षा संविक्षा यह प्रकट करती है कि ₹ 20.71 लाख पर अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2016 की अवधि के लिए ₹ 225.19 लाख के स्थान पर प्रणाली (एएसटी) माध्यम से परिकलित किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 204.48 लाख तक की राशि के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत आदेश पास करके चूक में सुधार किया (सितंबर 2017)।*

(ख) प्रभार: प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-। दिल्ली; नि.वर्ष: 1995-96, 1996-97 और नि.वर्षों 1997-98

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 1998, मार्च 1999 तथा मार्च 2000 में क्रमशः ₹ 1,527.39 लाख, ₹ 5,572.94 लाख तथा ₹ 15,441.84 लाख पर नि.वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के लिए एक व्यक्ति के आय का निर्धारण किया। निर्धारिती ने सीआईटी (अपील) लखनऊ के समक्ष इन निर्धारण आदेशों के प्रति अपील की है जहां दिनांक 04 जुलाई 2016 के अपने आदेश के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आखिकार निर्णय लिया। अपील को अगस्त 2016 में निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रभावी किया गया, जिसमें निर्धारण अधिकारी ने गलत तरीके से निर्धारिती द्वारा अग्रिम कर की भुगतान में चूक के लिए अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत निर्धारित दरों से कम ब्याज दरों का प्रयोग किया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3,352 लाख के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017) तथा अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत आदेश पास करके चूक में सुधार किया (सितंबर 2017)।*

(ग) प्रभार: सीआईटी एलटीयू, बंगलूरु, कर्नाटक; नि.वर्ष: 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 7,82,161.61 लाख की आय पर संविक्षा के बाद दिसंबर 2017 में बैंक के निर्धारण को पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया है कि अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज की गणना करते समय आईटीडी ने ₹ 3,934.44 लाख तक की ब्याज राशि का कम उदग्रहण किया। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत आदेश पास करके चूक में सुधार किया (मार्च 2019)।*

(घ) प्रभार: पीसीआईटी-4, दिल्ली; नि.वर्ष: 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1,66,028 लाख तथा उस पर ₹ 56,432.90 लाख की कर देयता पर दिसंबर 2017 में निर्धारिती कंपनी की आय का निर्धारण

किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी के साथ-साथ एएसटी प्रणाली ने अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज का उदग्रहण इस तथ्य के बावजूद नहीं किया, कि निर्धारिती द्वारा प्रदत्त अग्रिम कर रिटर्न की गई आय पर देय कर से कम था। ब्याज की गणना में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 955.38 लाख के कर की कम उगाही हुई। यह इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाता है कि आईटीडी अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत सही ब्याज का उदग्रहण करने में विफल हो गया था और प्रणाली भी निर्धारिती की अन्तिम मांग की गणना करने में अक्षम थी। *आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154/250 के अन्तर्गत आदेश करके चूक में सुधार किया (फरवरी 2019)।*

(ड) प्रभार: पीसीआईटी-I, भुवनेश्वर, ओडिसा नि.वर्ष: 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1,68,887.69 लाख की आय पर दिसम्बर 2017 में निर्धारिती कंपनी की आय का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निर्धारिती कंपनी ने अग्रिम कर की किस्त के भुगतान में चूक की थी, अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज का उदग्रहण नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 234सी के अन्तर्गत प्रावधानों के पालन के लिए आईटीडी की ओर पर विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 111.78 लाख के ब्याज का गैर उदग्रहण हुआ। *आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत सुधार आदेश को पास करके चूक का सुधार किया (नवम्बर 2019)।*

(च) प्रभार: पीसीआईटी-II, हैदराबाद; नि.वर्ष: 2008-09

निर्धारिती कंपनी के मामलों को ₹ 4,094.11 लाख की आय तथा उस पर ₹ 1,293.13 लाख के कर को मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के अन्तर्गत निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा की जांच ने यह प्रकट किया कि, अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 956.85 लाख पर ब्याज की सही राशि की गणना करने के बजाय, एएसटी के माध्यम से ब्याज ₹ 237.81 लाख पर परिकलित किया गया था। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने प्रणाली के माध्यम से परिकलित गलत ब्याज को सही करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, प्रणाली के माध्यम से गणना में चूक तथा इस संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई उपचारी कार्रवाई ना करने के परिणामस्वरूप ₹ 719.04 लाख के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत आदेश पास करके चूक में सुधार किया (फरवरी 2019)।*

5.9 निष्कर्ष

- क. प्रणालीगत कमियों के कारण अथवा निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत हस्तक्षेप के कारण 8,35,727 अभिलेखों की संख्या में से चयनित 6,217 के नमूनों के मामलों के 76.68 प्रतिशत⁹³ में आईटीडी द्वारा ब्याज को गलत रूप से परिकलित किया गया था।
- ख. अन्य आईटीडी मॉड्यूल के इनपुट को एएसटी प्रणाली में उचित रूप से कैप्चर नहीं किया जा रहा था इसके परिणामस्वरूप काफी मामलों में ब्याज का गलत परिकलन हुआ जिससे अंतिम कर संग्रहण तथा प्रतिदाय पर प्रभाव पड़ा।
- ग. निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धाराओं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के अन्तर्गत प्रणाली के माध्यम से परिकलित गलत ब्याज को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, भले ही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्याज के मूल्य को संशोधित करने के लिए निर्धारण अधिकारी को एएसटी प्रणाली ने अनुमत किया, जिसके परिणामस्वरूप या तो कम उदग्रहण/भुगतान हुआ अथवा ब्याज का अधिक उदग्रहण/भुगतान हुआ।
- घ. निर्धारण अधिकारी ने कुछ मामलों में प्रणाली के माध्यम से परिकलित गलत ब्याज को अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के तहत संशोधित किया। तथापि इन सभी मामलों को सही राशि पर संशोधित नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज का या तो कम उदग्रहण/भुगतान अथवा अधिक उदग्रहण/भुगतान हुआ।
- ङ. जहां ब्याज की सही राशि को प्रणाली के माध्यम से परिकलित किया गया था वहाँ निर्धारण अधिकारी ने ब्याज राशि को मैन्युअल रूप से संशोधित किया, जो कि उचित नहीं था, इसके परिणामस्वरूप ब्याज का या तो कम उदग्रहण/भुगतान अथवा अधिक उदग्रहण/भुगतान हुआ जिसके कारण करदाता को कठिनाई तथा उत्पीड़न हुआ।

यह स्पष्ट नहीं है कि मानवीय रूप से संशोधन को क्यों अनुमत किया गया है, यदि अपवादात्मक मामलों में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो वह भी स्पष्ट रूप से वरिष्ठ स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के प्रोटोकॉल के बिना। वास्तव में यदि प्रत्येक स्तर पर

⁹³ 6,217 निर्धारण मामलों में से 4,767 निर्धारण मामले जिन्हें लेखापरीक्षित किया गया था।

मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है या उसे जारी रखा जाता है तो यह या तो खराब आईटी सिस्टम की ओर अथवा विवेकाधिकार बनाए रखने के लिए बिना स्पष्ट कारण के जानबूझकर प्रयास की ओर इंगित करता है।

च. एएसटी की संशोधन विशेषता का प्रयोग करते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज के गलत उदग्रहण (अधिक उदग्रहण) परिणामस्वरूप न केवल निर्धारिती को देय प्रतिदाय को अवरूद्ध किया गया, बल्कि नागरिक चार्टर द्वारा किये गये वादों को भी पूरा नहीं किया जा सका। इससे एक तरफ विभाग की दक्षता प्रभावित हुई और दूसरी तरफ निर्धारिती का अनुचित उत्पीडन हुआ।

छ. सभी आयकर रिटर्न (आईटीआर) पहले केन्द्रीयकृत संशोधन केन्द्र (सीपीसी), बेंगलूरु में धारा 143(1) के अन्तर्गत संक्षिप्त रूप में संसाधित की जाती है। सीपीसी द्वारा आईटीआर को संसाधित करना पूर्णतया स्वचालित माना जाता है। तथापि, निर्धारिती के प्रतिदाय को सीपीसी के माध्यम से संक्षिप्त तरीके से संसाधित मामलों में भी ब्याज राशि को संशोधन करके अवरूद्ध किया गया था।

ज. करों का निवल संग्रहण प्रतिदायों⁹⁴ के लिए अनुमत करके परिकलित किया जाता है। इसलिए अवरूद्ध प्रतिदायों का परिणाम बढ़ा हुआ निवल कर संग्रहण होता है। इसके अलावा ब्याज के अधिक उदग्रहण के कारण निर्धारिती से अनुचित कर मांग के परिणामस्वरूप विवाद तथा इसके अलावा अधिक बकाया होता है। इस प्रकार, प्रतिदाय का अवरूद्ध होना तथा अधिक मांग सरकार के राजस्व संग्रहण पर परिणामी प्रभाव डालते हैं।

5.10 सिफारिशें

क. सीबीडीटी कर तथा ब्याज की गणना में त्रुटि को बारंबार रोकने के लिए इन्कम टैक्स बिजनेस एप्लिकेशन (आईटीबीए) में उचित नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था करे।

ख. प्रत्यक्ष कर के लिए आईटी प्रणाली को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि निर्धारिती तथा आयकर अधिकारियों के मध्य शून्य या कम से कम व्यक्तिगत सम्पर्क हो। सरकार प्रत्यक्ष करों के लिए

⁹⁴ सीबीडीटी अकाउंट्स मैनुअल का पैरा 7.2.2.

- आईटी प्रणाली को सीबीडीटी से एक उचित दूरी पर एक स्वतंत्र सरकारी संस्था या संगठन के साथ रखने पर विचार कर सकती है।
- ग. एसटी माँड्यूल ब्याज राशि के मानवीय संशोधन की अनुमति देता है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की गणना में त्रुटियाँ हुई हैं। आईटीडी को एसटी के माध्यम से ब्याज की गणना में त्रुटियों के कारण और आईटी सिस्टम में मानवीय संशोधन की अनुमति देने के कारणों के बारे में जाँच करनी चाहिए।
- घ. प्रणाली को निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए संशोधन, यदि कोई हो तो, का लेखापरीक्षा ट्रेल उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए संशोधनों के लिए सभी औचित्य प्रणाली में उपलब्ध होना चाहिए।
- ङ. सीबीडीटी यह जाँच करे कि क्या पाई गई 'त्रुटियों' के दृष्टांत भूल के या जानबूझ कर किए गये त्रुटियों के हैं और यदि ये जानबूझ कर की गई त्रुटियाँ हैं, तो आईटीडी को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
- च. आईटी विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कि समान प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति का जोखिम कम से कम हो एओ की जवाबदेही तय करे ।
- छ. सीबीडीटी यह सुनिश्चित करे कि निर्धारिती को देय प्रतिदाय निर्धारित समय सीमा में जारी किया जाए, मैनुअल हस्तक्षेप द्वारा इसे रोकने/अवरूद्ध करने के बजाय नागरिक चार्टर के माध्यम से इसके वादों को कायम रखा जाए।
- ज. ब्याज का कम प्रभार करने के साथ-साथ प्रतिदाय को अवरूद्ध करने के संबंध में निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई को जांचा जाए।
- झ. जबकि लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों के नमूने का परिक्षण किया है, एसटी में संशोधन किए गए हों वहाँ सभी मामलों की जाँच करनी चाहिए। सीबीडीटी को चूक और जानबूझकर की गई गलती के मामलों की पहचान करनी चाहिए एवं कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्याय VI: पेनी स्टॉक पर दीर्घावधि पूंजी लाभ

6.1 प्रस्तावना

पेनी स्टॉक⁹⁵ वे स्टॉक होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचिबद्ध होते हैं जिनमें बहुत कम मूल्य पर कारोबार होता है, जिनमें बहुत कम बाजार पूंजीकरण होता है, यह अधिकतर अतरल रूप में होता है। ये स्टॉक स्वरूप में काफी अव्यवहार्य होते हैं तथा इन्हें तरलता की कमी, शेयरहोल्डरों की कम संख्या तथा सूचनाओं का सीमित प्रकटीकरण के कारण अधिक जोखिम वाला माना जाता है।

निर्धारण अधिकारी (एओ) को पेनी स्टॉक से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, आयकर विभाग (आईटीडी) में पेनी स्टॉक⁹⁶ से संबंधित सूचना को प्रदर्शित करने के लिए आयकर अनुप्रयोग प्रणाली में व्यक्तिगत संव्यवहार स्क्रीन (आईटीएस) पर 'पेनी स्टॉक' नया बटन जोड़ा गया है। इसके अलावा प्रणाली निदेशालय ने निर्धारितियों के विवरण अपलोड किए हैं जिन्होंने इस पेनी स्टॉक⁹⁷ में संव्यवहार किया है। आईटीडी ने विभिन्न पहलुओं का विवरण देते हुए 21 नवम्बर 2016 दिनांक को मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) को जारी किया, निर्धारण अधिकारी से विशेष मामलों की संविक्षा के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ इस पर विचार करने की प्रत्याशा की जाती है।

वित्त बिल 2017 के अनुसार, यह देखा गया कि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 10(38)⁹⁸ के अन्तर्गत दी गई छूट पर जाली संव्यवहारों में प्रविष्टि के द्वारा दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) छूट के रूप में अपनी अलेखांकित आय की घोषणा करने के लिए निश्चित व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।

⁹⁵ बीएसई सूचिबद्ध पेनी स्टॉक के माध्यम से प्रोजेक्ट बोगस एलटीसीजी के मामले में आयकर निदेशालय (जांच) कोलकता, की जांच रिपोर्ट का सन्दर्भ ले।

⁹⁶ प्रवर्तन सूचना प्रणाली (ईएफएस) प्रणाली निदेशालय की निर्देश संख्या-53दिनांक 8.3.2016

⁹⁷ सीबीडीटी की पत्र संख्या एफ.सं.387/30/2014-आईटी (आईएनवी-II) खंड-III दिनांक 16 मार्च 2016

⁹⁸ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(38) सूचिबद्ध इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) में छूट देता है, जहां शेयरों का हस्तांतरण 1 अक्टूबर 2004 को अथवा उसके बाद हुआ है तथा बिक्री का संव्यवहार प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) को प्रभाय है।

6.2 पृष्ठभूमि

आयकर निदेशालय (जांच) कोलकता ने अपने अधिकार क्षेत्र अर्थात् कोलकाता के अन्दर निभाव प्रविष्टि संचालकों⁹⁹ की जांच की तथा 84 बीएसई सूचीबद्ध पेनी स्टॉक की पहचान की तथा 32 से अधिक शेयर ब्रोकिंग ईकाईयों के कार्यालय परिसर में कई तलाशी और सर्वेक्षण किया। इकाईयों ने स्वीकार किया कि वे जाली एलटीसीजी में सक्रिय रूप से शामिल थे। डीआईटी (जांच) ने कई निभाव प्रविष्टि¹⁰⁰ प्रदाताओं के कार्यालय परिसर में सर्वेक्षण किया और उनके बयानों को दर्ज किया।

डीआईटी (जांच) कोलकता निभाव प्रविष्टि प्रदाताओं के अभिलेखों से 64,811 पैन्-इंडिया लाभकर्ताओं को पहचाना गया जिनमें ₹ 38,000 करोड़ (लगभग) की सन्देहास्पद एलटीसीजी छूट शामिल है तथा उनकी रिपोर्ट को डीजीआईटी के माध्यम से क्षेत्राधिकार निर्धारण विंग को भेज दिया है।

हमने मुंबई प्रभार को लेखापरीक्षा के लिए चयन किया, क्योंकि ₹ 38,000 करोड़ के कुल सन्देहास्पद एलटीसीजी छूटमें से 17,344 लाभकर्ताओं (27 प्रतिशत) वाले ₹ 12,234 करोड़ (32 प्रतिशत) मुंबई प्रभार के अन्तर्गत आता था।

6.3 कार्यप्रणाली सार

“डीआईटी (जांच), कोलकता की रिपोर्ट” के अनुसार कार्य प्रणाली प्रविष्टि आपरेटर¹⁰¹ द्वारा नियंत्रित कंपनी के पूर्व-निर्धारित पेनी स्टॉक कुछ शेयरों को बहुत कम कीमत पर अपने ही विनिमय के माध्यम से अथवा प्राथमिक निभाव के माध्यम से अर्थात् निजी स्थानन के माध्यम से लाभार्थी¹⁰² को खरीदवाना था। लाभार्थी एक वर्ष की सांविधिक अवधि के लिए शेयरों को रखता है जिसके बाद पेनी स्टॉक पर एलटीसीजी प्राप्त किया जाता है जिस पर 31 मार्च 2018 तक अधिनियम की धारा 10(38) के अंतर्गत छूटप्राप्त थी। उसी दौरान ऑपरेटर स्टॉक की कीमत में धांधली करते हैं तथा धीरे-धीरे कई बार इसकी

⁹⁹ डीआईटी (जांच) रिपोर्ट के अनुसार, कोई प्रविष्टि आपरेटर वह व्यक्ति है जो नकदी में कमीशन की निश्चित प्रतिशत प्रभारित करने के बाद समान राशि के नकद/चैक के बदले में निभाव प्रविष्टि देने का कार्य करता है।

¹⁰⁰ डीआईटी (जांच) रिपोर्ट के अनुसार, निभाव प्रविष्टि दो पार्टियों के बीच वित्तीय संव्यवहार है जहां एक पार्टी समान राशि के नकद के बदले में अन्य पार्टी के निभाव करने के लिए अपनी वित्तीय संव्यवहार में प्रविष्टि करता है तथा उस पर कुछ निर्धारित प्रतिशत के अतिरिक्त कमीशन प्राप्त करता है। ये निभाव प्रविष्टियां देय कर का भुगतान किए बिना लेखा बहियों में अपने अलेखांकित नकद के प्रवाह के लिए विभिन्न लाभकर्ताओं द्वारा किया जाता है।

¹⁰¹ डीआईटी (जांच) रिपोर्ट के अनुसार, कोई प्रविष्टि आपरेटर वह व्यक्ति है जो में कमीशन की निश्चित प्रतिशत को प्रभारित करने के बाद समान राशि के नकद/चैक के बदले में निभाव प्रविष्टि देने का कार्य करता है।

¹⁰² वह व्यक्ति जिसके पास अलेखांकित धन है और बिना किसी कर या जो भी हो का भुगतान किए बिना इसे अपनी लेखा बहियों में लाना चाहता है।

कीमत बढ़ाते हैं अक्सर 20 से 25 बार। जब कीमत इच्छित स्तर पर पहुंच जाती है, शेयरों को, लाभार्थी जिसने नाममात्र कीमत पर खरीदा है वे ऑपरेटर द्वारा जाली पेपर कंपनी को बेच दिया जाता है। इसके लिए, रिपोर्ट कहती है लाभार्थियों द्वारा अलेखांकित नकद प्रदान करवाया गया था जो ऑपरेटर द्वारा पेपर कंपनियों को कई परतों के माध्यम से भेजा गया तथा अन्त में जाली पेपर कंपनी के साथ पार्क किया गया था जिसे निकास प्रदाता के रूप में भी जाना जाता है जो शेयर खरीदेगा।

6.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

डीआईटी (जांच) कोलकाता की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में 17,344 लाभार्थी थे जिन्होंने एलटीसीजी छूटका दावा किया था। मामलों की नमूना जांच आयकर विभाग के मुंबई क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों जैसे कि नीचे दिये गए हैं के साथ लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी। निर्धारणों की लेखापरीक्षा के लिए, 29 सीआईटी में 547 मामले चयनित किए गये थे जिनमें से 499 मामलों की लेखापरीक्षा की गयी है। लेखापरीक्षा नहीं किए गये 48 मामलों में से 14 मामलों रिकार्डों की गैर प्रस्तुती तथा शेष मामले व्यक्तियों का पैना होना, डेटा की अनुपलब्धता, मुंबई से बाहर वाले क्षेत्राधिकारिक प्रभार आदि वाले बनते थे।

हमने अप्रैल 2020 में वित्त मंत्रालय को मामला उनकी टिप्पणियों के लिए सन्दर्भित किया। मंत्रालय की प्रतिक्रिया अभी प्रतिक्रित थी (जून 2020)।

6.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

- क) यह जांच करने के लिए कि क्या विभाग ने डीआईटी(जांच) कोलकाता द्वारा पहचाने गये सभी लाभार्थियों को लक्षित किया है जो पेनी स्टॉक के माध्यम से अधिनियम की धारा 10(38) के अन्तर्गत एलटीसीजी छूट का दावा कर रहे थे।
- ख) यह जांच करने के लिए कि क्या निर्धारण अधिकारी ने पेनी स्टॉक सहित एलटीसीजी दावों के निर्धारण पर आयकर विभाग द्वारा जारी किए गये बोर्ड के निर्देशों तथा एसओपी का अनुसरण किया है।

6.6 लेखापरीक्षा परिणाम

लाभार्थियों के निर्धारण अभिलेखों का सत्यापन, जिन्होंने पेनी स्टॉक में कारोबार किया था, जिनकी अधिनियम की धारा 10(38) के अन्तर्गत

संदेहास्पद एलटीसीजी छूट शामिल थी, की नमूना जांच की गई तथा निम्नलिखित परिणाम थे:

6.6.1 एलटीसीजी दावा करने के बावजूद लाभार्थी न तो कभी संविक्षा के लिए चयनित किये गये न ही अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत मामले पुनः से खोले गये।

हमने पाया कि 71 मामलों में जिनमें निर्धारिती छूट पूंजीगत लाभ दावे सहित, विभाग ने डीआईटी (जांच) की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कोई कार्रवाई नहीं की थी जबकि इन छूट पूंजीगत लाभ को संदेहास्पद के रूप में माना गया। पेनी स्टॉक के नये बटन के बावजूद, जिसे पेनी स्टॉक से संबंधित सूचना को प्रदर्शित करने के लिए आयकर अनुप्रयोग प्रणाली में व्यक्तिगत संव्यवहार स्क्रीन (आईटीएस) पर जोड़ा गया तथा उस निर्धारिती की जानकारी को अपलोड किया जिन्होंने प्रणाली निदेशालय द्वारा ऐसे पेनी स्टॉक से व्यापार किया था, छूट वाले पूंजीगत लाभ के दावे के परिप्रेक्ष्य में इन मामलों की संविक्षा या फिर से खोलने में आईटीडी विफल रहा।

6.6.1.1 36 मामलों में, निर्धारिती ने आईटीआर में एलटीसीजी की छूट का दावा किया था लेकिन विभाग पेनी स्टॉक पर एलटीसीजी तथा सीबीडीटी निर्देश¹⁰³ के छूट के दावों के सन्दर्भ में संविक्षा अथवा अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत फिर से खोलने के लिए इन मामलों का चयन करने में विफल हो गया था। ऐसा एक निर्दर्शित मामला को नीचे दर्शाया गया है:

(क) निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2013-14 के लिए एसीआईटी 17(2) मुम्बई के निर्धारित व्यक्तिगत मामले में, निर्धारिती ने आईटीआर 2 फाईल की जिसकी अनुसूची ईआई छूटजाली आय के विवरण पर यह प्रकट करता है कि निर्धारिती ने छूट वाली एलटीसीजी के रूप में ₹15.47 करोड़ का दावा किया था। नि.व. 2013-14 में निर्धारिती ने ऐसे कम्पनियां जो आयकर निदेशालय (जांच) कोलकाता द्वारा मान्यता प्राप्त थे, में कारोबार किया, जिसे ₹ 15.37 करोड़ की व्यापार मूल्य के साथ डीआईटी कोलकता रिपोर्ट के अनुसार पेनी स्टॉक के रूप में पहचाना गया था। तथापि छूट वाली एलटीसीजी के परिणाम के बावजूद संव्यवहार की सत्यता की जांच करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

6.6.1.2 28 मामलों में, निर्धारितियों ने अपने आईटीआर में कोई पूंजीगत लाभ नहीं दर्शाया था और जो न तो सीएसएस के तहत विभाग द्वारा चयनित थे और न ही अधिनियम की धारा 148 के तहत पुनः खोले गए थे। हालांकि

¹⁰³ सीबीडीटी पत्र सं. एफ.सं. 287/30/2014-आईटी (आईएनवी.।।।)- खंड-।।। डीटी. 16 मार्च, 2016

आयकर निदेशालय (जांच) कोलकाता के अनुसार, इन निर्धारितियों ने छूट प्राप्त एलटीसीजी दावे को शामिल करते हुए पेनी स्टॉकों में कारोबार किया था। इन निर्धारितियों के संबंध में आयकर निदेशालय (जांच), कोलकाता की रिपोर्ट में उपलब्ध सूचना एवं पेनी स्टॉक पर सीबीडीटी निर्देशों के बावजूद, आयकर विभाग एलटीसीजी शीर्ष के तहत आय के मोचन की जांच करने में विफल रहा। ऐसा एक निदर्शित मामला को नीचे दर्शाया गया है:

(क) आयकर कार्यालय 4(3)(4) मुम्बई में एक निर्धारिती कंपनी के निर्धारण के मामले में, आयकर विवरणी 6 में नि.व. 2010-11 एवं 2011-12 हेतु दाखिल की गई विवरणी में छूट प्राप्त आय के ब्यौरे की ईआई अनुसूची से पता चला कि निर्धारिती ने छूट प्राप्त शून्य आय को दर्शाया था। आयकर विभाग (जांच), कोलकाता द्वारा प्रयुक्त स्टॉक एक्सचेंज आंकड़ों से पता चला कि निर्धारिती ने एक कम्पनी (आयकर निदेशालय(जांच), कोलकाता की रिपोर्ट के अनुसार पेनी स्टॉक) में नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 13.51 करोड़ एवं ₹ 7.70 करोड़ के व्यापार मूल्य के साथ कारोबार किया था। हालांकि, एलटीसीजी शीर्ष के तहत आय के मोचन के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

6.6.1.3 सात मामलों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि, ये निर्धारिती आयकर निदेशालय (जांच), कोलकाता की रिपोर्ट के अनुसार पेनी स्टॉक में कारोबार करने में शामिल थे। हालांकि, इन निर्धारितियों ने अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं की थी। आयकर विभाग ने आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए इन निर्धारितियों को न तो कोई नोटिस जारी किए और न ही अधिनियम की धारा 144 के तहत कोई निर्धारण प्रक्रिया प्रारंभ की। यहां तक कि इन नॉन-फाइलर्स के संबंध में एनएमएस¹⁰⁴ का भी प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया गया था, जो एनएमएस की कमी को भी दर्शाता है। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

(क) आयकर कार्यालय 32(2)(1), मुम्बई में एक व्यक्तिगत निर्धारण के मामले में, नि.व. 2014-15 और 2015-16 के लिए निर्धारिती द्वारा विवरणी दाखिल नहीं की गई थी। इस मामले को न तो जांच के लिए चयनित किया और न ही विभाग द्वारा निर्धारिती का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाने के लिए कोई नोटिस दिया गया था। निर्धारिती ने ₹ 3.89 करोड़ के कारोबार मूल्य के साथ ऐसे कम्पनियों में कारोबार किया था जिसे आयकर निदेशालय (जांच) कोलकाता की रिपोर्ट के अनुसार पेनी स्टॉक के रूप में

¹⁰⁴ नॉन-फाइलर्स निगरानी प्रणाली

मान्यता दी गई थी। हालांकि, आयकर विभाग छूट प्राप्त एलटीसीजी के परिमाण के बावजूद आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए निर्धारिती को नोटिस जारी करने में विफल रहा, जो जाली रूप में हो सकते हैं। यह नॉन - फाइलर निगरानी प्रणाली की विफलता को भी दर्शाता है।

उत्तर में, विभाग ने बताया कि, व्यक्तिगत संव्यवहार विवरण (आईटीएस) के प्रश्न पूछताछ से, पेनी स्टॉक कम्पनी के संबंध में कोई विशिष्ट कारोबार आंकड़े प्रणाली में प्राप्त नहीं हुए थे। अतः लेखापरीक्षा प्रश्न पूछताछ स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, मामले को उपचारात्मक कार्रवाई के रूप में पुनः खोला जाएगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयकर निदेशालय (जांच), कोलकाता की रिपोर्ट के माध्यम से यह देखा गया कि निर्धारिती ने इन पेनी स्टॉकों में कारोबार किया था।

6.6.2 संवीक्षा हेतु लाभार्थियों को चयनित किया गया परंतु इसमें शामिल छूट प्राप्त एलटीसीजी के संबंध में परिवर्धन असंगत रूप से किया गया था अथवा नहीं किया गया।

6.6.2.1 21 मामलों में हमने देखा कि विभाग ने संवीक्षा हेतु मामलों का चयन किया परंतु ऐक्शनेबल इन्फोरमेशन मॉनीटरिंग सिस्टम (एआईएमएस) के तहत आईटीएस में विकसित किए गए नए टैब 'पेनी स्टॉक' के माध्यम से निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के बावजूद, दावा किए गए छूट प्राप्त पूंजीगत लाभ के संबंध में परिवर्धन नहीं किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने छूट प्राप्त एलटीसीजी को अस्वीकृत न करने का कोई भी औचित्य नहीं दिया, यद्यपि मामला पेनी स्टॉक के माध्यम से छूट प्राप्त एलटीसीजी को सत्यापित करने के लिए चयनित था, जो निर्धारण अधिकारी की अव्यवहारिक अभिवृत्ति और विभाग की कार्यप्रणाली में गैर-पारदर्शिता एवं पेनी स्टॉक के मामलों के निर्धारण में विभाग द्वारा जारी एसओपीके अननुपालन को भी इंगित करता है। तीन मामलों के दृष्टांत नीचे दिए गए हैं:

(क) एसीआईटी सर्कल 15(2)(1) में नि.व. 2013-14 के लिए व्यक्तिगत निर्धारण के मामले में, सितंबर 2016 में धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया गया था और पुनः खोलने का कारण पेनी स्टॉक कंपनी के शेयरों की बिक्री थी तथा कुल बिक्री प्रतिफल ₹ 14.82 करोड़ था। एसीआईटी 22(3) के द्वारा दिनांक 08.05.2017 को धारा 148 के तहत यह बताते हुए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था कि मामला एसीआईटी 15(2)(1) प्रभार को

हस्तांतरित कर दिया गया था। हालांकि वर्तमान निर्धारण अधिकारी प्रभारी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो प्रभार स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप कार्यवाही योग्य मामलों में कमजोर निगरानी को इंगित करता है, जिसका निर्धारितियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता था।

(ख) वार्ड आईटीओ 22(3)(2) मुम्बई में नि.व. 2014-15 के लिए व्यक्तिगत निर्धारण के मामले में, निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 19.10.2016 के अपने पत्र में धारा 147 के तहत पुनः खोलने के कारण बताए, कि आयकर निदेशालय (जांच) कोलकाता के अनुसार निर्धारिती ने ₹ 3.30 करोड़ के कुल कारोबार मूल्य के लिए पेनी स्टॉक के कारोबार से ₹ 3.21 करोड़ की एलटीसीजी छूट प्राप्त की है। इसलिए, अधिनियम की धारा 147 की परिभाषा के अंतर्गत ₹ 3.30 करोड़ की आय कर योग्य थी। हालांकि, निर्धारण आदेश (अक्टूबर 2017) पारित करते समय निर्धारण अधिकारी ने पेनी स्टॉकों के संबंध में निवेश एवं विक्रय प्रतिफल के विषय में कोई भी चर्चा नहीं की और पेनी स्टॉकों पर एलटीसीजी के लिए किसी भी अस्वीकृति के बिना विवरणी के अनुसार आय को स्वीकार किया।

(ग) डीसीआईटी, सेंट्रल सर्कल-1 कानपुर में नि.व. 2012-13 के लिए एक व्यक्तिगत निर्धारण के मामले में, निर्धारिती के आवासीय परिसर में जुलाई 2014 में जांच और जब्ती का कार्य किया गया था। ₹ 0.10 करोड़ की नकदी और ₹ 0.97 करोड़ के आभूषण जब्त किए गए थे। इस सर्कल में मामला केंद्रीकृत किया गया था। अधिनियम की धारा 153ए के तहत मई 2017 में निर्धारण आदेश पारित किया गया था। आय के विवरण की संगणना से यह देखा गया कि निर्धारिती ने एक पेनी स्टॉक कम्पनी जो आयकर निदेशालय (जांच), कोलकाता द्वारा मान्यता प्राप्त पेनी स्टॉक में से एक था के शेयर की बिक्री से ₹ 6.06 करोड़ के छूट प्राप्त एलटीसीजी का दावा किया था। इसलिए, एलटीसीजी के दावा की गई छूट को विभाग के द्वारा अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। हालांकि, निर्धारण आदेश पारित करते समय निर्धारण अधिकारी ने आईटीएस में और एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन मॉनीटरिंग सिस्टम (एआईएमएस) के तहत विकसित एक नए टैब 'पेनी स्टॉक' के माध्यम से उसके पास उपलब्ध सूचना के बावजूद, एलटीसीजी और पेनी स्टॉक के संबंध में बिक्री प्रतिफल के विषय में चर्चा नहीं की और इसकी स्वीकृति दी थी।

6.6.2.2 सात मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने कारोबार मूल्य के प्रतिशत के रूप में प्रविष्टि-निकास प्रदाता के मामले में अस्वीकृति दी थी। इन व्यक्तियों

के निर्धारण आदेशों के अनुसार, इन सभी का उपयोग प्रविष्टि प्रदाता द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को फर्जी आवास प्रविष्टियां प्रदान करने के लिए किया गया था। हालांकि, इसी प्रकार के अन्य मामलों में जो उसी प्रविष्टि प्रदाता के द्वारा उपयोग किए गए थे, निर्धारण अधिकारी ने 100 प्रतिशत अस्वीकृति दी थी। इस प्रकार निर्धारणों के दौरान दी गई अस्वीकृति में असंगतता है। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

(क) एक व्यक्तिगत निर्धारिती के मामले में, आईटीओ 30(1)(5), मुम्बई में नि.व. 2014-15 के लिए निर्धारण किया गया। मामले को सीएसएस के तहत शेयरों (आईटीएस में पेनी स्टॉक) में एक संदिग्ध बिक्री संव्यवहारों के कारण संवीक्षा के लिए चयन किया गया। निकास प्रदाता में से एक होने के कारण निर्धारिती ने एक कम्पनी के पेनी स्टॉक शेयर खरीदे थे। निर्धारण क्रम में, विभाग ने ₹ 6.36 करोड़ की कुल नकद जमा राशि का पांच प्रतिशत ₹ 0.32 करोड़ की राशि को यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया कि निर्धारिती एक निकास प्रदाता है। हालांकि, डीसीआईटी (सीसी)-8(3), मुम्बई में निर्धारण की गई कंपनी के ऐसे ही एक मामले में, जहां निर्धारिती कंपनी निकास प्रदाता थी और समान प्रकार से सनराइज एशियन लिमिटेड में कारोबार करती थी, विभाग ने कुल खरीद का 100 प्रतिशत अस्वीकृत कर दिया और संपूर्ण राशि को संकलित कर दिया था। इस प्रकार, निर्धारणों में स्पष्ट रूप से असंगतता दिखती है।

6.6.3 विक्रय प्रतिफल और कमीशन खर्चों की अस्वीकृति में असंगतता

6.6.3.1 हमने देखा कि जाली एलटीसीजी संव्यवहारों के प्रशोधन में निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए निर्धारण आदेशों में किए गए परिवर्धन में एकरूपता नहीं थी। पेनी स्टॉकों के निर्धारण में विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जो नियत करता है कि शेयरों की बिक्री पर प्राप्त एलटीसीजी की संपूर्ण बिक्री आय के अनुमानित दावे के मामले में, अधिनियम की धारा 10(38) के तहत छूट की किसी पात्रता के बिना अधिनियम की धारा 68 के तहत करयोग्य आय के रूप में जोड़ा जाना है। इसके अलावा, 32 मामलों में जाली एलटीसीजी को रद्द करते हुए विभाग ने कुल बिक्री प्रतिफल को अस्वीकृत कर दिया था, जबकि 43 मामलों में विभाग ने केवल निवल एलटीसीजी के दावे को अस्वीकृत किया था। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

अधिनियम की धारा 68 प्रावधान करती है कि, यदि निर्धारिती के बही-खाते में जमा की गई किसी भी राशि के स्वरूप एवं स्रोत के विषय में निर्धारिती कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है तो निर्धारिती की आय के रूप में जमा की गई राशि पर आयकर प्रभारित किया जाए।

सर्कल 31(3) मुम्बई में एक व्यक्तिगत निर्धारण के मामले में नि.व. 2013-14 के लिए निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 10 (38) के तहत ₹5.20 करोड़ की छूट का दावा किया था। निर्धारिती को बिक्री आय के रूप में ₹5.41 करोड़ प्राप्त हुए। आयकर विभाग ने केवल ₹5.20 करोड़ के निवल पूंजीगत लाभ को अस्वीकृत किया था, जिसका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 68 के तहत छूट का दावा किया गया। हालांकि, वार्ड आईटीओ 17(3)(1) मुम्बई में निर्धारण किए गए एक अन्य व्यक्तिगत मामले में नि.व. 2014-15 के लिए, निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 10(38) के तहत ₹10.82 करोड़ की छूट का दावा किया था। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 68 के तहत शेयरों की बिक्री आय के रूप में प्राप्त ₹11.01 करोड़ की राशि को अस्वीकृत कर किया था।

6.6.3.2 अघोषित आय को घोषित आय में परिवर्तित करने में संबद्ध लागत को विभाग द्वारा कमीशन खर्च के रूप में अस्वीकृत किया गया। हमने पाया कि उसको अस्वीकृत करने के दृष्टिकोण में कोई संगति नहीं थी। 40 मामलों में कमीशन के तहत अस्वीकृति नहीं दी गई, जबकि 69 मामलों में कमीशन की अस्वीकृति में 0.5 से 5 प्रतिशत तक का अंतर था। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा 69सी प्रावधान करती है कि, यदि निर्धारिती किसी भी वित्तीय वर्ष में निर्धारिती द्वारा वहन किए गए किसी भी व्यय के स्रोत के विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो ऐसे व्यय को उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती के आयकर प्रभारित करने के लिए निर्धारिती की आय माना जाय।

(क) वार्ड आईटीओ 18(2)(5) मुम्बई में दिसंबर 2017 में नि.व. 2015-16 के लिए व्यक्तिगत निर्धारण के मामले में, निर्धारिती ने एक प्रविष्टि प्रचालक से प्रविष्टि प्राप्त की थी जिसने जांचकर्ता विंग कोलकाता द्वारा रिकार्ड किए गए उसके बयान में स्वीकार किया था कि वह कमीशन वसूल करके लाभार्थियों को आवास प्रविष्टियां प्रदान कर रहा था। आयकर विभाग ने एक कम्पनी के पेनी स्टॉक शेयरों के विक्रय पर फर्जी लाभ के रूप में अस्पष्टीकृत निवेश के रूप में ₹5.27 करोड़ अस्वीकृत किया था। इसके अलावा, विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 69सी के तहत अस्पष्टीकृत व्यय के रूप में 0.5 प्रतिशत की दर पर कमीशन अस्वीकृत किया था।

(ख) केंद्रीय सर्कल 2(2), मुम्बई में दिसंबर 2017 में नि.व. 2014-15 के लिए व्यक्तिगत निर्धारण किए गए मामले में, निर्धारिती ने प्रविष्टि प्रचालक से

प्रविष्टि कराई थी। प्रचालक ने जांचकर्ता विंग, कोलकाता द्वारा रिकार्ड किए गए अपने बयान में स्वीकार किया कि उसने कमीशन शुल्क लेकर लाभार्थियों की आवास प्रविष्टियां की थी। आयकर विभाग ने शेयरों के विक्रय पर फर्जी लाभ होने के कारण अस्पष्टीकृत निवेश के रूप में ₹12.74 करोड़ को अस्वीकृत किया। इसके अलावा आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 69सी के तहत अस्पष्टीकृत व्यय के रूप में पांच प्रतिशत की दर पर कमीशन के भुगतान को अस्वीकृत किया था।

6.7 निष्कर्ष


एलटीसीजी दावा करने की आयकर विभाग के पास सूचना होने के बावजूद भी पेनी स्टॉक कंपनियों के शेयरों में व्यापार करने वाले निर्धारितियों की आईटीआर को न तो संवीक्षा हेतु चुना गया था और न ही संवीक्षा हेतु दोबारा खोला गया था। आयकर विभाग ऐसे निर्धारितियों को आईटीआर फाइल करने का नोटिस जारी करने में विफल रहा जो पेनी स्टॉक में व्यापार करते थे परंतु अपनी आईटीआर फाइल नहीं की थी। ऐसे नॉन फाइलर्स की पहचान करने के लिए नॉन फाइलर्स निगरानी प्रणाली का भी प्रभावपूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया था। निर्धारण अधिकारियों में इस तथ्य के बावजूद कि परिवर्धन के आधार एक समान थे एलटीसीजी छूट के परिवर्धन में एकरूपता नहीं थी। कुछ मामलों में, निर्धारण अधिकारियों ने दावा किए गए छूट प्राप्त एलटीसीजी के लिए कोई परिवर्धन नहीं किया था जिसके लिए निर्धारण आदेशों में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारियों ने विभिन्न प्रतिशतता पर परिवर्धन किए थे जबकि निर्धारितियों ने समान पेनी स्टॉक कंपनियों के शेयरों में व्यापार किया था। आयकर विभाग में पेनी स्टॉक में व्यापार कर रहे लाभार्थियों के मामलों से संव्यवहार करने के लिए कोई पद्धति नहीं थी क्योंकि कुछ मामलों में समस्त बिक्री प्रतिफल को अननुमत किया गया था जबकि कुछ मामलों में केवल दावा की गई एलटीसीजी को ही अननुमत किया गया था। प्रवेश और निकास प्रदाता को पेनी स्टॉक के लाभार्थी से प्राप्त कमीशन की अननुमति में भी अंतर है।

यह सिफारिश की जाती है कि

- (i) आयकर विभाग सीएसएस मानदंडों को इस प्रकार पुनः परिभाषित करे कि आईटीआर या अन्य स्रोतों से आयकर विभाग के पास उपलब्ध विशिष्ट सूचना का, संवीक्षा हेतु मामलों का चुनाव करने में प्रयोग किया जा सके।

- (ii) सीएसएस के अंतर्गत संवीक्षा हेतु चयन की पद्धति को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ साझा किया जाए जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 9 में कहा गया था ताकि लेखापरीक्षा में देखा जा सके कि क्या संवीक्षा हेतु मामलों का चयन सीएसएस मानदंडों के अनुसार हुआ है।
- (iii) आयकर विभाग यह जांच करे कि क्या पेनी स्टॉक पर एलटीसीजी का दावा किए गए मामलों के निर्धारण में हुई त्रुटियां भूल के कारण या जानबूझ कर की गई थी यदि ये त्रुटियां जानबूझ कर की गई थी तो आईटीडी को कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

नई दिल्ली
दिनांक: 03 अगस्त 2020


(नीलेश कुमार साह)
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर-1)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 04 अगस्त 2020


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1 (संदर्भ: पैरा 2.2.5)

निर्धारण में त्रुटियों के राज्यवार मामले						
राज्य	2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाईयों में पूर्ण लिए गए निर्धारण।	2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचें गए निर्धारण	लेखापरीक्षा ¹⁰⁵ आपत्तियां (सं)	त्रुटि सहित निर्धारण (सं.)	लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)	त्रुटि पूर्ण सहित निर्धारण का प्रतिशत (कॉल.5/कॉल. 3x100)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	25,620	22,160	1,598	1548	1,412.91	6.99
असम	3,618	3,540	290	275	47.31	7.77
बिहार	2,248	2,180	149	150	950.53	6.88
छत्तीसगढ़	6,724	3,747	258	253	96.49	6.75
दिल्ली	42,378	32,794	1,454	1,372	1,373.40	4.18
गोवा	1,222	1,193	120	120	81.88	10.06
गुजरात	16,291	15,923	1,214	1,049	2,146.06	6.59
हरियाणा	13,061	9,748	1,019	915	635.99	9.39
हिमाचलप्रदेश	1,710	1,212	122	117	49.77	9.65
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	843	597	40	39	0.44	6.53
झारखंड	3,799	2,370	141	117	47.84	4.94
कर्नाटक	12,737	12,342	1,142	1,071	6,380.78	8.68
केरल	11,080	10,770	744	725	251.16	6.73
मध्यप्रदेश	25,626	20,091	1,512	1,512	4,750.27	7.53
महाराष्ट्र	1,60,227	75,596	4,013	3,502	18,816.02	4.63
ओडिशा	4,680	4,404	528	496	477.39	11.26
पंजाब	12,845	7,474	677	510	199.57	6.82
राजस्थान	15,530	14,988	678	665	170.26	4.44
तमिलनाडु	23,843	20,466	2,061	1,899	2,373.66	9.28
यूटी चंडीगढ़	4,927	3,844	297	243	1,164.31	6.32
उत्तराखंड	916	911	37	35	65.09	3.84
उत्तरप्रदेश	26,617	26,257	946	884	1,127.25	3.37
पश्चिम बंगाल	42,078	39,632	2,493	2,271	2,313.85	5.73
कुल	4,58,620	3,32,239	21,533	19,768	44,932.14	5.95

¹⁰⁵ इसमें निगम कर, आयकर तथा अन्य प्रत्यक्ष कर के कम निर्धारणों और अधिक निर्धारणों की सभी लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल हैं।

परिशिष्ट 2.2 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.7)

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए निगम कर एवं आयकर के संबंध में कम निर्धारण के श्रेणीवार विवरण		
(₹ करोड़ में)		
उप श्रेणी	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	7,504	9,768.64
क. आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	1,663	2,963.66
ख. कर, अधिभार आदि की गलत दर का लगाना	695	218.51
ग. विवरणी प्रस्तुत करने में देरी, कर भुगतान में देरी आदि के लिए ब्याज/ शास्ति का अनुद्ग्रहण कम/ उद्ग्रहण	4,874	4,669.98
घ. अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/ प्रतिदाय पर ब्याज	120	319.08
ङ. अपीलीय आदेश को प्रभाव देते समय निर्धारण में त्रुटी	152	1,597.41
ख. कर रियायतों / छूटों/ कटौतियों का प्रशासन	6,407	18,533.62
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौती/ राहतें	287	1,244.86
ख. ट्रस्टों/ फर्मों/ सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूट/ कटौती/राहतें	618	1,576.28
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौती/ राहतें	465	156.24
घ. व्यवसायिक व्यय की गलत अनुमति	4,255	11,575.09
ङ. मूल्यहास / व्यापार हानि/ पूंजीगत हानि की अनुमति में अनियमितताएँ	745	3,064.33
च. डीटीएटी राहत की गलत अनुमति	37	916.82
ग. त्रुटियों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	2,536	6,939.74
क. मेट/ टनेज कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के तहत	250	498.74
ख. अस्पष्टीकृत निवेश/ नकद क्रेडिट आदि	582	1,160.10
ग. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना	666	240.70
घ. आर्म्स लेंथ प्राइस गलत अनुमान	306	291.06
ङ. पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय को समेकित करने में त्रुटि	144	237.00
च. घर संपत्ति से मिलने वाली आय की गलत गणना	83	53.20
छ. वेतन आय की गलत गणना	65	104.67
ज. टीडीएस/ टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटि	440	4,354.27
घ. अन्य	4,426	8,926.64
कुल	20,873	44,168.64

परिशिष्ट 2.3 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.4.4)

मंत्रालय को भेजे गए ड्राफ्ट पैराग्राफ के संबंध में आपत्तियों का श्रेणीवार ब्यौरा		
उपश्रेणी	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	80	1,496.65
क. आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	27	97.94
ख. कर, अधिभार आदि की गलत दर लगाना	34	213.06
ग. विवरणी प्रस्तुत करने में देरी, कर भुगतान में देरी आदि के लिए ब्याज/ शास्ति का उद्ग्रहण न करना/ कम उद्ग्रहण करना	5	4.84
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/ प्रतिदाय पर ब्याज	6	1,114.40
ङ. अपीलीय आदेश को प्रभाव देते समय निर्धारण में त्रुटी	8	66.41
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	206	5,578.48
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौतियाँ/ राहतें	52	2,037.22
ख. ट्रस्टों / फर्मों/ सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौती/ राहतें	5	18.73
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौती/ राहतें	1	0.26
घ. व्यवसायिक व्यय की गलत अनुमति	59	845.82
ङ. मूल्य हास/व्यापार हानि/ पूंजीगत हानि की अनुमति में अनियमितताएँ	89	2,676.45
ग. त्रुटियों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय	94	1,069.68
क. मेट/टनेज कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के तहत	24	449.12
ख. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना	11	15.97
ग. आय की गलत गणना	35	253.11
घ. टीडीएस/ टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	8	48.49
ङ. अस्पष्टीकृत निवेश/ नकद क्रेडिट	3	12.18
च. आर्म्स लेंथ प्राइसका गलत आकलन	13	290.81
घ. अन्य	13	235.98
कर/ब्याज का अधिक प्रभार	13	235.98
कुल	393	8,380.79

परिशिष्ट 2.4 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.7.2)

वि.व 2018-19 में उपचारात्मक कार्रवाही हेतु समयवर्जित होने वाले मामले		
राज्य	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जहां उपचारात्मक कार्रवाही समयवर्जित हो गयी	
	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	0	0
असम	0	0
बिहार	104	18.88
छत्तीसगढ़	19	140.06
दिल्ली	0	0
गोवा	7	0.61
गुजरात	181	110.94
हरियाणा	173	68.17
हिमाचल प्रदेश	28	2.32
केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर; तथा लद्दाख	18	4.12
झारखंड	16	14.12
कर्नाटक	9	2.41
केरल	15	12.98
मध्यप्रदेश	49	25.13
महाराष्ट्र	265	364.79
ओडिशा	144	646.81
पंजाब	57	2.55
राजस्थान	21	2.23
तमिलनाडु	314	213.17
यूटी चंडीगढ़	15	0.95
उत्तराखंड	0	0
उत्तर प्रदेश	50	18.71
पश्चिम बंगाल	476	588.09
कुल	1,961	2,237.04

परिशिष्ट 2.5 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.9.2)

वि.व 2016-17 से 2018-19 के दौरान अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण के विवरण					
राज्य	वि.व 2018-19 के दौरान मांगे गए अभिलेख	वि.व 2018-19 के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेख	वि.व 2018-19 के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का प्रतिशत	वि.व 2017-18 के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का प्रतिशत	वि.व 2016-17 के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	21,087	1,065	5.05	5.26	5.10
असम	3,618	78	2.16	0.59	0.03
बिहार	2,376	120	5.05	6.81	8.26
छत्तीसगढ़	3,747	0	0.00	0.30	1.12
दिल्ली	39,722	3,702	9.32	21.45	18.60
गोवा	1,223	29	2.37	2.46	6.01
गुजरात	16,291	368	2.26	2.40	4.14
हरियाणा	10,008	68	0.68	4.77	0.86
हिमाचल प्रदेश	1,280	20	1.56	5.24	0.00
केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर; तथा लद्दाख	722	77	10.66	1.26	0.16
झारखंड	2,405	35	1.46	2.03	1.45
कर्नाटक	13,662	397	2.91	5.64	7.10
केरल	11,446	368	3.22	5.01	3.11
मध्यप्रदेश	22,410	840	3.75	11.67	13.85
महाराष्ट्र	89,283	4,335	4.86	8.59	6.80
ओडिशा	4,940	296	5.99	6.94	9.44
पंजाब	7,793	183	2.35	5.08	0.12
राजस्थान	15,971	770	4.82	9.74	7.96
तमिलनाडु	22,337	2,750	12.31	11.38	16.18
यूटी चंडीगढ़	3,968	44	1.11	0.06	3.01
उत्तराखंड	916	5	0.55	1.56	0.63
उत्तरप्रदेश	26,808	429	1.60	1.67	3.47
पश्चिम बंगाल	39,417	2,013	5.11	6.49	7.43
कुल	3,61,430	17,992	4.98	8.27	8.29

परिशिष्ट 5.1
कानूनी प्रावधान
(संदर्भ पैरा 5.4 देखें)

अधिनियम की धाराएं 234ए, 234बी एवं 234सी के तहत ब्याज और 244ए के तहत प्रतिदाय पर ब्याज से संबंधित कानूनी प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा	अधिनियम में निर्धारित प्रावधान
234ए(1)	अधिनियम की धारा 234ए निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के कारण ब्याज के उदग्रहण हेतु प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार, जहां धारा 139 की उप-धारा (1) या उप-धारा (4) के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी अथवा, धारा 142 की उप-धारा (1) के तहत नोटिस के उत्तर में, नियत तिथि के बाद प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत नहीं करता, निर्धारिती प्रत्येक महीने या नियत तिथि के तुरंत बाद की तिथि से आरंभ होने वाली अवधि में शामिल महीने के हिस्से के लिए एक <i>प्रतिशत</i> की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और या, जहां कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, धारा 143(1) के तहत निर्धारित कुल आय पर कर की राशि पर धारा 144 के तहत निर्धारण पूरा होने की तिथि पर समाप्त होता है और जहां अग्रिम कर, टीडीएस/टीसीएस की राशि से कटौती करके, धारा 90, 90ए और 91 के तहत कर की राहत स्वीकृति के द्वारा और धारा 115 जेएए या 115जेडी के तहत उपलब्ध कर क्रेडिट के द्वारा कटौती करके नियमित निर्धारण के तहत निर्धारित कुल आय पर कर की राशि पर नियमित निर्धारण किया गया है।

234ए(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234ए(3) यह प्रावधान करती है, जहां किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी, आय या धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत आय के निर्धारण के बाद धारा 148 के तहत या 153ए के तहत या धारा 143 की उप-धारा(3) के तहत निर्धारण पूर्ण होने के बाद नोटिस के तहत आपेक्षित है, जो इस प्रकार के नोटिस के तहत स्वीकृत समय की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो निर्धारिती प्रत्येक माह या स्वीकृत समय की समाप्ति के तुरंत बाद के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाली अवधि में शामिल माह के हिस्से के लिए एक *प्रतिशत* की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और उस राशि पर धारा 153ए के तहत पुर्ननिर्धारण की पूर्णता की तिथि पर समाप्त होता है जिसके द्वारा इस प्रकार के पुर्न-निर्धारण या पुनः संगणना

के आधार पर नियत कुल आय पर कर धारा 143(1) के तहत नियत कुल आय पर या पुर्न निर्धारण के आधार पर कर से अधिक हो।

स्पष्टीकरण 3 के साथ पठित 234ए(1)	उप-धारा 1 के तहत स्पष्टीकरण 3 में यह प्रावधान है कि जहां, निर्धारण वर्ष के संबंध में, धारा 147 या 153ए के तहत प्रथम बार निर्धारण किया जाता है, तो किया गया निर्धारण इस धारा के उद्देश्य के लिए एक नियमित निर्धारण माना जाएगा।
----------------------------------	---

234बी(1) अधिनियम की धारा 234बी निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समयावधि के लिए अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उदग्रहण के लिए प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार, जहां किसी भी वित्तीय वर्ष में, एक निर्धारिती जो अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे कर का भुगतान करने में विफल होता है या, जहां निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित किए गए कर का नब्बे प्रतिशत से कम है, तो निर्धारित, नियमित निर्धारण के तहत नियत कुल आय के निर्धारित की तिथि तक इस प्रकार के वित्तीय वर्ष के बाद आगामी अप्रैल के प्रथम दिन से प्रत्येक माह या इस समयावधि में शामिल माह के हिस्से के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, निर्धारित किए गए कर की राशि के बराबर या, जैसा भी मामला हो, उस राशि पर जिसके द्वारा पूर्वोक्त भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर से कम हो जाता है।

234बी(3)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234बी(3) में यह प्रावधान है कि, जहां धारा 147 या 153ए के तहत पुर्न-निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप, उप-धारा(1) के तहत किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम कर के भुगतान में कमी के संबंध में उस राशि पर जिस पर ब्याज देय था उसमें वृद्धि हुई है निर्धारिती ऐसे वित्तीय वर्ष के बाद आगामी अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए प्रत्येक माह या माह के हिस्से के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और धारा 147 अथवा 153ए के तहत (जैसा भी मामला हो) पुर्न-निर्धारण की तिथि की समाप्ति पर उस राशि जिस पर उनके द्वारा पुर्न-निर्धारण के आधार पर निर्धारित कुल आय पर कर नियमित निर्धारण के तहत नियत कुल आय पर कर अधिक होता है।
----------	--

स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित 234बी(1)

उप-धारा 1 के तहत स्पष्टीकरण 2 प्रावधान करता है कि जहां, निर्धारण वर्ष के संबंध में प्रथम बार धारा 153ए के तहत निर्धारण किया जाता है, तो किया गया निर्धारण इस धारा के उद्देश्य के लिए एक नियमित निर्धारण माना जाएगा।

234सी	अधिनियम की धारा 234सी में निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समयावधि के लिए अग्रिम कर की किशतों के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उदग्रहण हेतु प्रावधान है। धारा के अनुसार, जहां किसी भी वित्तीय वर्ष में, निर्धारित जो अधिनियम की धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे कर का भुगतान करने में विफल रहा है या, जहां ऐसे निर्धारित द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम कर की किस्त निर्दिष्ट महीनों के लिए नियत प्रतिशत से कम है, तो कंपनी, कमी की राशि पर तीन महीने के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।
-------	--

धारा 244ए के अधिनियम की धारा 244ए अग्रिम कर, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तहत प्रतिदायों या स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट पर ब्याज समयावधि के लिए अति भुगतान के कारण सृजित प्रतिदाय पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान करती है, जहां इस अधिनियम के तहत प्रतिदाय की कोई भी राशि निर्धारित पर देय हो जाती है, तो वह इस धारा के प्रावधानों के अधीन होगा, वह उक्त राशि के अतिरिक्त प्राप्त करने का हकदार होगा, उस पर साधारण ब्याज की संगणना निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी:

(i) जहां प्रतिदाय अग्रिम कर के माध्यम से भुगतान किए गए किसी भी कर के बाहर है या धारा 199 के तहत भुगतान किया गया माना गया है, निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारण वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से वह तिथि जिस पर प्रतिदाय की अनुमति दी गई है उस अवधि में समाहित प्रत्येक माह या माह के हिस्से के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से इस प्रकार के ब्याज की संगणना की जाएगी। बशर्ते कि कोई भी ब्याज देय नहीं होगा, यदि प्रतिदाय की राशि नियमित निर्धारण पर नियत कर के 10 प्रतिशत से कम है।

(ii) किसी अन्य मामले में, इस प्रकार के ब्याज की संगणना प्रत्येक माह अथवा अवधि या तिथि से अवधि में शामिल माह के हिस्से के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर की जाएगी, जैसा भी मामला हो, कर के भुगतान की तिथियां या जुर्माना उस तिथि को हो सकता है जिस पर प्रतिदाय की अनुमति दी गई है।

परिशिष्ट 5.2
राज्य-वार चयनित नमूने¹⁰⁶
(संदर्भ: पैराग्राफ 5.6)

राज्य/क्षेत्र	वि.व 2016-17 (मामलों की संख्या)	वि.व 2017-18 (मामलों की संख्या)	वि.व 2018-19 (मामलों की संख्या)	कुल (मामलों की संख्या)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	226	92	17	335
बिहार	41	20	18	79
दिल्ली	518	224	79	821
गुजरात	219	142	59	420
कर्नाटक	470	285	108	863
केरल	182	92	30	304
महाराष्ट्र	804	572	41	1417
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	110	54	55	219
एनईआर ¹⁰⁷	119	33	4	156
ओडिशा	16	19	10	45
एनडब्ल्यूआर ¹⁰⁸	238	281	33	552
राजस्थान	108	117	17	242
तमिलनाडु	497	440	21	958
उत्तर प्रदेश	103	81	4	188
पश्चिम बंगाल	263	178		441
कुल	3,914	2630	496	7,040

¹⁰⁶ वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एटीएस के माध्यम से संसाधित/ पूर्ण किए गए मामलों का चयन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, आईटीबीए के माध्यम से संसाधित/पूर्ण किए गए मामलों का चयन किया गया।

¹⁰⁷ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

¹⁰⁸ उत्तर-पश्चिम क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, यूटी 'चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं)

संकेताक्षर

एसीआईटी	सहायक आयकर आयुक्त
एक्ट	आयकर अधिनियम, 1961
एएलपी	आर्म्स लेंथ कीमत
एओ	निर्धारण अधिकारी
एओपी	व्यक्तियों का समूह
एएसटी	एसेसमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम
एवाई	निर्धारण वर्ष
सीएसएस	कम्प्यूटर एंडिड स्कूटनी सिलेक्शन
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड
सीसीआईटी	मुख्य आयकर आयुक्त
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी(ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
सीपीसी	केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्र
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीटी	निगम कर
सीवीसी	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
डीजीआईटी (सिस्टम)	आयकर महानिदेशक (सिस्टम)
डीओआर	राजस्व विभाग
डीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
डीटी	प्रत्यक्षकर
एफआईआर	प्रथम सूचना रिपोर्ट
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीटीआर	सकल कर प्राप्तियां
आईआरएलए	व्यक्तिगत चालू लेज़र खाता
आईटी	आयकर
आईटीएटी	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
आईटीबीए	इन्कम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीआर/रिटर्न	आयकर विवरणी
जेसीआईटी	संयुक्त आयकर आयुक्त
एलटीसीजी	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ
एलटीसीएल	दीर्घकालिक पूंजीगत हानि
पीएसी	सार्वजनिक लेखा समिति
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
प्र. सीसीए.	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक

प्र. सीसीआई.टी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमओपी	कार्यालय प्रक्रिया मेनुअल
एनएमएस	नॉन-फाइलर्स निगरानी प्रणाली
आरओसी	कंपनी पंजीयक
रूल्स	आयकर नियम, 1962
टीसीएस	स्रोत पर संग्रहित कर
टीडीएस	स्रोत पर कर की कटौती
टीपी	स्थानांतरण मूल्य
टीपीओ	स्थानांतरण निर्धारण अधिकारी

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
www.cag.gov.in